

राष्ट्रीय ग्रीन ट्रीब्युनल मुख्य पीठ मूल प्रार्थना पत्र संख्या 209/2022 मेघ सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.08.2022 के क्रम में।

तथ्यात्मक रिपोर्ट

माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रीब्युनल मुख्य पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2022 में इस कार्यालय से संबंधित बिन्दुओं की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है।

01. यह कि माननीय न्यायालय ग्रीन ट्रीब्युनल के आदेश दिनांक 22.08.2022 के बिन्दु संख्या 10 के क्रम में निवेदन है कि रणधीसर पहाड़ी पर कुल 42 खननपट्टों में से 05 खननपट्टों को पूर्व में तथा 35 खननपट्टों में अनियमितता एवं बकाया के कारण दिनांक 09.09.2022 को आवंटन निरस्त किए जाकर दिनांक 10.09.2022 को कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया तथा 02 खननपट्टों का क्रमः दिनांक 17.09.2022 व 20.09.2022 को निरस्त किया जाकर क्षेत्र का कब्जा लिया जा चुका है। इस प्रकार रणधीसर पहाड़ी में सभी 42 खनन पट्टे निरस्त हो जाने पर सम्पूर्ण क्षेत्र में खनन कार्य बन्द करवा दिया गया है। तथा भविष्य में किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं होने पाये इस हेतु हल्का खनिकार्यदेशक एवं 06 बोर्डर होमगार्डस को रणधीसर पहाड़ी क्षेत्र का निरीक्षण कर अवैध खनन की रोकथाम / निगरानी हेतु तैनाती किया जा चुका है।

02. यह कि कुल 22 खनन पट्टों के बकायादारों से अवैध खनन की शास्ति राशि रुपये 18.8053 करोड़ की वसूली की कार्यवाही की गई। जिनमें से 06 प्रकरणों में पूर्ण वसूली की कार्यवाही की जा चुकी है। तथा वर्तमान में बकाया 16 प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम. संख्या	कुल प्रकरण	की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
01	06 प्रकरण	सम्पत्ति कुर्क	
02	03 प्रकरण	सम्पत्ति की सूचना प्राप्त की गई।	कोई सम्पत्ति नहीं होने की सूचना प्राप्त।
03	02 प्रकरण	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 16668/2019 आदेश दिनांक 13.11.2019 व 9470/2016 आदेश दिनांक 14.12.2017 के माध्यम से वसूली पर रथगन पारित।	
04	05 प्रकरण	अन्य जिले क्रमः बीकानेर, नागौर व जयपुर जिले से संबंधित	बकायादारों के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही हेतु संबंधित जिले को प्रस्ताव प्रेषित।
कुल प्रकरण	22		

03. यह कि आदेश के बिन्दु संख्या 26 के तहत प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009 से पूर्व अवैध खनन की शास्ती हेतु 38 व्यक्तियों को शास्ती वसूली हेतु नोटिस जारी किये जिनमें से कुल 23 व्यक्तियों से रुपये 4,29,62,500 वसूल किये गये तथा वर्ष 2011 के पश्चात् 45 प्रकरणों में नोटिस जारी किये गये जिनमें से कुल 31 व्यक्तियों से रुपये 12,64,69,817 वसूल किये गये (सूची संलग्न है।)

04. यह कि आदेश के बिन्दु संख्या 24 के अनुसार तामील हेतु प्राप्त नोटिस 93 समस्त लीजधारकों को तामील करवाये जा चुके हैं। तामील रिपोर्ट संलग्न है।

9/11/22  
**(Siddharth Sihag)**  
 Collector & DM  
 Churu (Raj.)

Item No.01

(Court No. 2)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH**

(By Video Conferencing)  
Original Application No.209/2022

Megh Singh & Ors.

...Applicants

Versus

State of Rajasthan

...Respondent

Date of hearing: 22.08.2022

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicant: None.

Respondents: Mr. Nishant Awana, Advocate for Rajasthan PCB.  
Mr. Saurabh Rajpal along with Mr. Ankit Shah, Advocates  
for Phadi Randhisar Khanan and Kreshar Vikas  
Prabhandh Samiti.

**Application is registered based on a complaint received by E-mail.**

**ORDER**

1. The applicant is, by sending the present letter petition to this Tribunal, seeking protection of the remaining part of Randhisar Pahari, Tehsil – Sujangadh, District- Churu, Rajasthan. It is stated that above said Pahari, being part of Arawali Range, was providing environmental cover to the area of 10 village panchayats for retaining monsoon ensuring rainfall. The above said Pahari is at the verge of extinction due to Illegal mining. Surrounding 8-10 hillocks have already disappeared due to unsustainable mining. It is further stated that the mining agreement for the period of 10 years permitting mining in the area had expired on 15.10.2009 and due to objection by the Forest Department, mining in the area was stopped by the Mining Department. Thereafter, the Mining Mafia succeeded in getting the 20 years mining leases w.e.f 20.06.2011. It is complained that the lessees have carried out the mining in utter violation of the lease conditions. Mining has

been done so unscientifically by straight cutting Randhisar Pahari to the depth of 250-500 feet that remaining part of Randhisar Pahari may fall at any time causing such human disaster as occurred in Maharangarh Durg Jodhpur stampede and Bhopal Gas leakage. Illegal and excessive unsustainable mining is destroying ecology of Randhisar Pahari, a part of Arawali range, endangering the lives of inhabitants and future generations. The applicant has given the list of firms/persons carrying on mining activities and list of stone crushers operating in the area and also enclosed photographs of alleged illegal mining.

2. It is now well settled that this Tribunal is empowered to take cognizance of the cases involving questions relating to environment arising out of the implementation of enactments specified in First Schedule of the National Green Tribunal Act, 2010 'Suo Moto' as held by Hon'ble Supreme Court in **Municipal Corporation of Greater Mumbai V/s. Ankita Sinha and others 2021 SSC Online SC 897.** This Tribunal can also take cognizance of such cases on the basis of letter petitions in accordance with settled principles of law governing the public interest litigation.

3. Accordingly, this Tribunal, vide order dated 22.04.2022, took cognizance and constituted a Joint Committee comprising of Chief Conservator of Forests, Regional Office, MoEFF & CC, Lucknow (Uttar Pradesh) representative of State PCB, Director, Department of Mines and Geology, Government of Rajasthan, and District Magistrate, Churu District and directed the same to submit Factual and Action taken Report within two months. The relevant part of the order is reproduced below:

*"In view of the serious allegations made in the letter Petition, we are of the considered view that it would be appropriate to have a factual and action taken report in the matter. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Chief Conservator of Forests, Regional Office, MoEFF & CC, Lucknow, Uttar Pradesh representative of State PCB, Director, Department of Mines and*

*District. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicants and take requisite action by following due process of law. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."*

4. In compliance thereof, the Joint Committee visited the site on 06.06.2022 and 07.06.2022 and has submitted report vide email dated 27.06.2022. The relevant part of the report reads as under:-

*"X X X X X X  
In compliance of the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) Central Bench, Bhopal order dated 22.04.2022, in the matter of original application No. 209/2022, Megh Singh & Others Versus State of Rajasthan and Others, the committee of following 04 members visited the site i.e. Randhisar Pahari, Tehsil- Sujangarh, District-Churu on 06.06.2022 to record the factual situation and actions required to be taken:*

- 1. Shri Bhagirath Shakh, Additional District Collector, Sujangarh, District-Churu (Raj.)*
- 2. Shri Mahesh Dutt Purohit, Deputy Director(S)/ Scientist 'C', MoEF&CC IRO Jaipur*
- 3. Shri Bheem Singh, Superintending Mining Engineer, Bikaner (Raj.)*
- 4. Shri Deepak Tanwar, EE & Regional Officer, RSPCB, Nagaur (Nodal Officer)*

*As per the order of Hon'ble NGT, the committee verified the factual status on these following issues: -*

- 1. Randhisar Pahari, Tehsil Sujangarh, District- Churu, Rajasthan being part of the Aravalli range, Providing environmental cover to the area of 10 village panchayats for retaining monsoon ensuring rainfall.*
- 2. Randhisar Pahari is at the verge of extinction due to illegal mining.*
- 3. Surrounding 08- 10 hillocks have already disappeared due to unsustainable mining.*
- 4. Expiry of mining agreement and objection of Forest Department for stopping mining in the area.*
- 5. Extension of mining lease upto 20 years.*
- 6. Mining in utter violation of the lease conditions.*
- 7. Unscientific straight cutting of Randhisar Pahari to the depth of 250 - 500 ft*

8. *Illegal and excessive unsustainable mining is destroying ecology of Randhisar Pahari, a part of Aravali range, endangering the lives of inhabitants and future generations.*
9. *Verification of mining leases and stone crushers operating in the area.*
10. *Complete destruction of the pathway to Mataji Mandir from Randhisar Pahari.*
11. *Potential risks to Holi Dhora and Bholenathji ki Samadhi due to illegal mining. Destruction of road between Randhisar and Dhatri and common roads in between agricultural fields by Mining Mafias.*

**Field Observations:-**

- *Randhisar Pahari of village Randhisar, Tehsil- Sujangarh District-Churu is not a part of Aravali range as stated in Secretary, Mines and Petroleum Department, Jaipur letter dated 19.08.2003 and Directorate of Mines and Geology, Udaipur letter dated 25.11.2011.*

*Mining activities in Randhisar Pahari area was permitted by Govt. of India vide order dated 20.06.2011. The compensatory plantation was carried out by ACF, Bikaner in accordance to District Collector, Churu letter dated 18.02.1999 on the non lease area allotted to Forest Department. Plantation was done under CDP Phase-I scheme (SDS scheme) for the area of 35 hectares of land in the year 2001-02 in the revenue village of Ponrrasar, Tehsil-Shri Dungargarh, District- Bikaner and 28 hectares of plantation was carried out under Afforestation Scheme in the year 2002-03. [Annexure-1].*

- *As per the revenue record, Randhisar Pahari is located in Khasra No. 536/319, 78 and 370 of village- Randhisar Tehsil- Sujangarh District- Churu, the area of which is 68.61 hectares. The mining leases are allotted by the Mining department all around the Randhisar Pahari. As per the revenue officer reports, only one hill i.e. Randhisar Pahari has been located, no other hill is located within the radius of 20km of Randhisar Pahari, only village viz. Revenue Village Randhisar is located within the radius of 1 km of Randhisar Pahari. No other village is situated within the radius of 1 km of village Randhisar [Annexure-2]. The average rainfall recorded in the period of past 10 years is 495.1 MM [Annexure-3].*

- *As per the report of Assistant Mining Engineer, Department of Mines and Geology, Churu dated 15.06.2022 [Annexure-4], 42 mining leases all around the Randhisar Pahari were allotted as mining lease to the lease holders during the year*

1973 to 1981. As per the Rajasthan Revenue Department order dated 16.10.1981, the land area of Randhisar Pahari was transferred to Forest Department. Due to which mutation of the above 42 mining leases in the revenue record was made on the name of the forest department dated 11.01. 1986. The forest diversion of 41 leases was permitted by Ministry of Environment and Forest, Govt. of India vide order dated 16.08.1999 for a period of 10 years. The left one mining lease, M.L. No. 11/1978 was not permitted forest diversion since no application was made by its lease holder. The duration of forest diversion was applicable upto 15.08.2009, thereafter mining operation was terminated by Mining Department immediately. The renewal of 40 mining leases for forest diversion was done by Ministry of Environment and Forest, Govt. of India vide order dated 20.06.2011 for a period equivalent to the validity period of mining lease or maximum for a period of 20 years. A renewal application of M.L. No. 06/1998 was rejected by Mining Engineer, Bikaner vide order dated 12.08.2010.

Surveys were conducted during the year 2000 for the verification of the complaints received from 03.07.2000 to 07.07.2000, wherein it was found that 38 mining lease holders were carrying out mining activity beyond permitted mining area. A penalty of Rs. 8,65,20,000/- was imposed on the 38 mining lease holders. Out of 38 defaulters, 25 mining lease holders deposited an amount of Rs. 4,26, 26,500/-. Mining activities in the remaining 13 defaulter mining leases was terminated and issuance of ravanas of the same was also discontinued. The mining activity in these 13 defaulter mining leases has been abandoned till date. Verification of illegal mining was reconducted in the year 2012, in which 33 mining lease holders were found defaulters. Penalty of Rs. 25,57,18,200/- was imposed on defaulters. 18 out of 33 defaulters deposited an amount of Rs. 11,11,66, 503/- . The remaining 15 mining leases are closed and issuance of ravanas of the same has been discontinued till date.

Further, in the year 2021-22, a survey of 19 mining leases was jointly conducted by Forest Department, Churu and Mining Department, Churu, during which 10 mining lease holders were found as defaulters and penalty of Rs. 79,96,800/- was imposed and mining activities in these leases were suspended from 01.06.2022.

Therefore, a total of Rs. 35,02,35,000/- has been imposed as penalty of illegal mining carried out in randhisar. A recovery of Rs. 15,37,93003/- has been made by Mining Department, Churu. Mining activity in the mining leases which have not deposited penalty has been closed till date **[Annexure-4]**.

- 42 mining leases were allotted in the foothills of Randhisar Pahari during the period from 1973 to 1981. The minimum area of these mining leases is about 900sqm whereas the maximum area is about 6000sqm. As the area of these mining leases is very less, mining has been carried out downwards from surface level i.e. into the depth of mine pit and the same has reached upto 200ft above ground (surface) level. Out of the above 42 mining leases, 03 mining leases have been cancelled. Out of the remaining 39 mining leases, 24 mining lease holders have appointed Mines Managers who have obtained permission from Director of Mines Safety, Ajmer [**Annexure-4**].
- Verification of mining leases in compliance to the Hon'ble NGT, Principal Bench order dated 22.04.2022 was conducted on 06.06.2022 and 07.06.2022. It was observed that mining activities were carried out in 14 mining leases. Mining activity in 25 mining leases from which recovery of penalty for illegal mining is due, were found completely stopped. During verification, it was also observed that no mine manager was available on site and mining activities were not found as per procedure of the mining plan. Notices have been issued to such mining lease holders.

Almost all of the mining leases have provided wire fencing/permanent wall, lease pillars, sign boards and plantation as per conditions of mining lease agreement Rajasthan Minor Mineral Concession Rules, 2017.

As per the report of District Forest Officer, Churu dated 17.06.2022, it has been suggested that there should be a demarcation of dumping area, approach road, labour huts and green belt in between two adjacently located mining leases so as to restrict illegal mining activities. It has also been advised to provide GPS locations of all mining leases with demarcation of approach road, Labour huts, dumping area and green belt to Forest Department to monitor illegal activities in mining area. District Forest Officer, Churu also suggested that the vacant land in between adjacent mining leases is forest land where there is neither natural plantation nor a possibility of afforestation, therefore, such land areas should be surrendered to Mining Department and land in some other area should be allotted to Forest Department for afforestation (Forest land Diversion) as per norms [**Annexure-5**].

With reference to status of compliance of environmental clearance conditions it was observed that the mining cluster is having 42 number of mining leases, out of which 14 mining leases have been reported as operational. All the leases have accorded environmental clearance,

monthly compliance report. All the leases in the cluster are less than 1 hectare due to which adequate benches are not being formed. No details with references to ESR/CSR, rain water harvesting structures etc. has been submitted by any of the lessee. Although some efforts have been made for plantation in and around the lease area, scope of further plantation is there.

- Verification of stone crushers located on foothills of Randhisar Pahari was conducted on dated 06.06.2022 and 07.06.2022. Out of the 51 stone crushers located in the foothills of Randhisar Pahari, 06 were found dismantled during verification. Further, it was observed that 45 stone crushers are in operative conditions. From these 45 crushers, 43 have obtained valid consent to operate from State Board and remaining 02 crushers have applied for renewal of their consent to operate. Out of these 43 stone crushers, 08 crushers were found operative without adequate pollution control measures. Show cause notices for intended directions for closure under section 31(A) of Air Act, 1981 have been issued to these defaulter stone crushers by Regional Office, RSPCB, Nagaur [**Annexure-6**].
- No obstacle/hindrances were observed on the pathway to Mataji Mandir during the joint verification [**Annexure-4**].
- As per report of Executive Engineer, PWD Ratangarh Division, dated 16.06.2022 [**Annexure-7**], following roads are damaged.
  1. Approach road to Randhisar hill
  2. Approach road to randhisar
  3. Randhisar to mine area, Randhisar
  4. Kuhariya to Dhatri
- No potential risk to Bholenathji ki Samadhi due to mining activities have been observed. No record related to Holi Dhora is available in Department of Mines, Churu. However, Holi Dhora in the complaint is the place located in M.L. No. 162/1990 which is allotted to Shri Rajendra Panwar. In this mining lease, mining activities is being carried out within the mining area. Pillars with fencing as a safety measure has also been provided [**Annexure-4**].
- No obstruction/hindrances on the revenue pathways and common roads in between the agriculture fields were observed during field visit. No overloaded vehicle was observed in the area.

#### **Conclusions:-**

1. Randhisar Pahari is not a part of Aravali range.

3. Cases of illegal mining have been reported and action against the defaulters is a routine procedure of Mines Department. Penalties have been imposed on the defaulters and recovery of the same has also been made. Mining leases which have not deposited penalty amount have been closed and no mining activities have been carried out.

4. Only one hillock of Randhisar Pahari was located as per the revenue officer reports.

5. Renewal of forest diversion and subsequent allotment of mining leases of Randhisar Pahari by respective departments have been done as per their rules.

6. Mining activities are not being conducted as per conditions of mining plan. The mining leases varies from 900 sqm to 6000 sqm in area, due to this less area mining is being carried out in depth and reaches upto 200ft above ground level. Conditions of mining plan may not be followed. Out of the 42 mining leases, 25 mining leases are closed and no mining activities are being carried out there. 24 leases have obtained permission to appoint mine manager as per permission from DGMS, Ajmer.

7. Efforts made for compliance of environmental clearance conditions by the project proponents are not satisfactory as six monthly compliance report alongwith all the necessary supporting documents are not been submitted/ uploaded regularly on Parivesh portal. Plantation also need to be increased. Actions regarding CSR/CER have not been intimated with documentary evidences of amount spent for socio economic upliftment activities in the field of education, sanitation and other social activities.

8. Stone crushers all around the Randhisar Pahari are operative. All have obtained valid consent from State Pollution Control Board. Most of the crushers have been equipped with adequate pollution control measures, while notices have been issued to those which are lacking to comply with consent to operate conditions.

9. No obstacle/hindrances were observed on the pathway to Mataji Mandir and roads between randhisar and dhatri and common roads in between agriculture fields.”

5. Mr. Saurabh Rajpal and Mr. Ankit Shah, Advocates have appeared on behalf of **Phadi Randhisar Khanan Kreshar Vikas Prabhandh Samiti** for 36 Stone Crushers and 25 Mining Lease Holders and have filed application for impleadment alongwith copies of the relevant documents and their vakalatnama which are taken on record. Soft copies thereof be filed in the Registry and be supplied to the other parties. The application is allowed and **Phadi Randhisar Khanan and Kreshar Vikas Prabhandh Samiti** for 36 Stone Crushers and 25 Mining Lease Holders is impleaded as respondent No.

5 after MoEF & CC, Government of India, State of Rajasthan, State PCB and District Collector, Churu who stand arrayed as respondents No.1 to 4. All the 42 lessees and 51 stone crushers, whose full particulars shall be submitted by the State PCB within two weeks, stand impleaded as respondents No.6 to 98. The Registry is directed to prepare and place on record memo of parties accordingly.

6. In the report of the Joint Committee, it has been mentioned that Randhisar Pahari of village Randhisar, Tehsil- Sujangarh District-Churu is not a part of Aravali range as stated in Secretary, Mines and Petroleum Department, Jaipur letter dated 19.08.2003 and Directorate of Mines and Geology, Udaipur letter dated 25.11.2011. ***The question Whether Randhisar Pahari of village Randhisar, Tehsil- Sujangarh District-Churu forms part of Aravali mountain ranges is required to be considered.*** The applicant has claimed that surrounding 8-10 hillocks have already disappeared due to unsustainable mining. In the report, it is mentioned that as per the revenue officers reports, only one hill i.e. Randhisar Pahari has been located, no other hill is located within the radius of 20 km of Randhisar Pahari. ***The question as to whether Surrounding 8-10 hillocks have disappeared due to unsustainable mining also needs to be gone into for adjudication of the environmental questions involved.*** In the present case, the requirement of environmental clearance was dispensed with on the ground that the area of individual mining leases is less than 5 hectares. ***However, the questions as to whether the mining leases taken together made out case of cluster mining and whether the same being a case of cluster mining required environmental clearance also arise for consideration.***

7. The applicant has filed objections to the report of Joint Committee. We have gone through the report of the Joint Committee and we find that the report of the Joint committee has been prepared casually without looking into

all material aspects of compliance with consent conditions and environmental norms and generalized, vague, conjectural and contradictory observations have been made in the report without undertaking detailed enquiry and verifying specific individual compliance status.

8. In the report, it has been mentioned that 42 mining leases all around the Randhisar Pahari were allotted to the lease holders during the years 1973 to 1981. As per the Rajasthan Revenue Department order dated 16.10.1981, the land area of Randhisar Pahari was transferred to Forest Department due to which mutation of the above 42 mining leases in the revenue record was made on the name of the forest department dated 11.01. 1986. The forest diversion of 41 leases was permitted by Ministry of Environment and Forest, Govt. of India vide order dated 16.08.1999 for a period of 10 years. The left one mining lease, M.L. No. 11/1978 was not permitted forest diversion since no application was made by its lease holder. The duration of forest diversion was applicable upto 15.08.2009, thereafter mining operation was terminated by Mining Department immediately. The renewal of 40 mining leases for forest diversion was done by Ministry of Environment and Forest, Govt. of India vide order dated 20.06.2011 for a period equivalent to the validity period of mining lease or maximum for a period of 20 years. A renewal application of M.L. No. 06/1998 was rejected by Mining Engineer, Bikaner vide order dated 12.08.2010. Compensatory plantation was carried out by ACF, Bikaner in accordance with letter dated 18.02.1999 of District Collector, Churu on the non lease area allotted to Forest Department. Plantation was done under CDP Phase-I scheme (SDS scheme) for the area of 35 hectares of land in the year 2001-02 in the revenue village of Ponrrasar, Tehsil- Shri Dungargarh, District- Bikaner and 28 hectares of plantation was carried out under Afforestation Scheme in the year 2002-03.

9. We would like to have a comprehensive report giving detailed particulars regarding (i) Village, Tehsil and District and revenue numbers of

the land allotted for afforestation in lieu of diverted forest land, (ii) entries in revenue record to show whether the same has been mutated in the name of forest department, (iii) the status of compensatory afforestation including species planted, survival rate and (iv) expenditure incurred on the same till date. The PCCF, Rajasthan is directed to file detailed report in this regard.

10. In the report, it has been mentioned that surveys were conducted during the year 2000 for the verification of the complaints received during years 03.07.2000 to 07.07.2000, wherein it was found that 38 mining lease holders were carrying out mining activity beyond permitted mining area. A penalty of Rs. 8,65,20,000/- was imposed on the 38 mining lease holders. Out of 38 defaulters, 25 mining lease holders deposited an amount of Rs. 4,26,26,500/-. Mining activities in the remaining 13 defaulter mining leases was terminated and issuance of ravanas of the same was also discontinued. The mining activity in these 13 defaulter mining leases has been abandoned till date. Verification of illegal mining was reconducted in the year 2012, in which 33 mining lease holders were found defaulters. Penalty of Rs. 25,57,18,200/- was imposed on defaulters. 18 out of 33 defaulters deposited an amount of Rs. 11,11,66,503/- . The remaining 15 mining leases are closed and issuance of ravanas of the same has been discontinued till date. Further, in the year 2021-22, a survey of 19 mining leases was jointly conducted by Forest Department, Churu and Mining Department, Churu, during which 10 mining lease holders were found as defaulters and penalty of Rs. 79,96,800/- was imposed and mining activities in these leases were suspended from 01.06.2022. A total of Rs. 35,02,35,000/- has been imposed as penalty of illegal mining carried out in Randhisar out of which recovery of Rs. 15,37,93,003/- has been made by Mining Department, Churu.

11. The State is bound under **the doctrine of Public Trust** to protect and preserve natural resources and take effective remedial action by way of imposition and recovery of penalty and environmental compensation from the

defaulters and prosecution and blacklisting of the defaulters/ persons indulging in illegal mining to ensure that natural resources are not exploited and plundered away by mining mafia under the cover of inaction, negligence, connivance or corruption of the concerned instrumentalities of the State.

12. The Joint Committee has merely submitted that in cases of non-deposit of penalty the mining was terminated/closed without mentioning action taken for cancellation of lease, recovery of the penalty, imposition and recovery of environmental compensation from the defaulters and prosecution of the persons involved in illegal mining. State of Rajasthan has to take not only stern but also exemplary action and the details of action so taken for cancellation of lease, recovery of the penalty, imposition and recovery of environmental compensation from the defaulters and prosecution of the persons involved in illegal mining have to be furnished to this Tribunal.

13. We find it difficult to understand the reasons for failure of the instrumentalities of the State to prevent illegal mining and then even recover the penalty amounts. Failure to prevent illegal mining despite large administrative establishments and contingents of the Directorate of Mining and Geology, State PCB, and District Administration raises serious doubts regarding their efficiency and warrants appropriate reform for training and accountability. One may wonder why these Authorities/District Administration do not carry out timely periodical inspections to detect illegal mining and nip the evil in the bud instead of allowing mining for long periods without monitoring/periodical inspections and reporting illegal mining after the mischief is done and the defaulter absconds. It is also common knowledge that such mining leases are granted in favour of persons/association of persons who have requisite financial means, establishments and infrastructure and who do not have any criminal or insolvency antecedents and more often than not they are also required to furnish guarantees for discharge of their financial obligations. Can persons,

considered to be having such financial means for grant of mining lease, evade payment of penalty that too for illegal mining carried out under the very nose (supervisory/monitoring mechanism) of the Director Mining and Geology and District Administration, without connivance of the concerned Officers. Further, the law empowers realization of such penalty amounts as arrears of land revenue by attachment and sale of immovable and immovable properties and/or arrest and detention of the defaulters. Can instrumentalities of State justify their failure to recover the penalty amounts by recourse to such recovery methods on any valid ground except legally permissible grounds of death and insolvency of the defaulters and legally impermissible ground of incompetence or corruption of its Officers. Failure to prevent illegal mining coupled with failure to recover the penalty seriously undermines the credibility of State Machinery by raising serious doubts not only regarding its efficiency but also about its integrity and endangers rule of law by shaking faith of the people in efficacy of State Government and democratic institutions. Instrumentalities of State have to urgently respond to this call of duty and act promptly to remedy the malady. The proceeds of crime earned by offences of illegal mining attract the provisions of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 and warrant reference to the concerned agencies-ED/CBI etc. for investigation, discovery and arrest of the Offenders and their associates for their prosecution and punishment by the State Government. In appropriate cases, even this Tribunal may, in exercise of its very wide statutory powers, make such reference if so warranted. In the present case, we consider it appropriate to and accordingly direct the Chief Secretary, Government of Rajasthan to look into the matter of recovery of penalty amounts, issue appropriate directions as may be required for realization thereof, initiate appropriate disciplinary proceedings against concerned defaulting officers and submit action taken report with specific steps taken/ to be taken with specific timelines for realization of penalty amounts and initiation of disciplinary proceedings by following due course of

law. The report be submitted within one month at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

14. It may be next observed that verification of mining leases in compliance to the order dated 22.04.2022 passed by this Tribunal was conducted on 06.06.2022 and 07.06.2022. It has been concluded in the report that out of the 42 mining leases, 25 mining leases are closed and no mining activities are being carried out there. Mining activities are not being conducted as per conditions of mining plan. The mining leases varies from 900 sqm to 6000 sqm in area, due to this less area mining is being carried out in depth and reaches upto 200ft above ground level. Conditions of mining plan are not being followed. Efforts made for compliance of environmental clearance conditions by the project proponents are not satisfactory as six monthly compliance report alongwith all the necessary supporting documents are not been submitted/ uploaded regularly on Parivesh portal. Plantation program need to be strengthened and also need to be increased. Actions regarding CSR/CER have not been intimated with documentary evidences of amount spent for socio-economic upliftment activities in the field of education, health, sanitation and other social activities.

15. In the report, the Joint Committee has made general and vague observations that almost all of the mining leases have provided wire fencing/permanent wall, lease pillars, sign boards and plantation as per conditions of mining lease agreement Rajasthan Minor Mineral Concession Rules, 2017 and the Joint Committee has not taken pains to ascertain compliance status in respect of each mining lease. In the report it has been mentioned that District Forest Officer, Churu dated 17.06.2022 had suggested that there should be a demarcation of dumping area, approach road, labour huts and green belt in between two adjacently located mining leases so as to restrict illegal mining activities and had also advised to provide

GPS locations of all mining leases with demarcation of approach road, Labour huts, dumping area and green belt to Forest Department to monitor illegal activities in mining area which implies non-compliance in respect of the said aspects. In the report, it has been mentioned that none of the lessees has submitted regular six monthly compliance report. All the leases in the cluster are less than 1 hectare due to which adequate benches are not being formed. No details with references to ESR/CSR, rain water harvesting structures etc. have been submitted by any of the lessee. Observations in the report *"....Although some efforts have been made for plantation in and around the lease area, scope of further plantation is there"* show the casual and contradictory approach of the Joint Committee in preparing the report and fail to convey any thing worth consideration to this Tribunal. Whether the consent conditions for requisite plantation have been complied with or not was all that was required to be reported that too with requisite details and photographs.

16. The report of the Joint Committee regarding verification of stone crushers located on foothills of Randhisar Pahari, which was conducted on dated 06.06.2022 and 07.06.2022, also suffers from gross inadequacies and deficiencies. In the report, it has been mentioned that out of the 51 stone crushers located in the foothills of Randhisar Pahari, 06 were found dismantled during verification. 45 stone crushers were observed to be in operative conditions out of which 43 stone crushers had obtained valid consent to operate from State Board and remaining 02 crushers had applied for renewal of their consent to operate. Mere pendency of application for renewal confers no authority to operate. Allowing units to operate without disposal of applications for renewal is not only legally impermissible and administratively inexpedient but also requires enquiry into reasons for delay in filing such applications by the project proponents as well as disposal by the Concerned Officers and closure of the defaulting Units during such pendency

and departmental action against Officers delaying disposal of renewal applications is the only remedy under the environmental laws which are based on and governed by the precautionary principle. Further in the report, it has been mentioned that out of these 43 stone crushers, 08 crushers were found operative without adequate pollution control measures. Show cause notices for intended directions for closure under section 31(A) of Air Act, 1981 have been issued to these defaulter stone crushers by Regional Office, RSPCB, Nagaur. Issuing such show cause notices is not by itself sufficient and prompt action is required to be taken on the basis thereof. The requisite details regarding compliance with consent conditions and environmental norms as well as remedial action including closure, imposition and recovery of environmental compensation and prosecution taken against the defaulters and reclamation have to be furnished to this Tribunal.

17. In the report it has been mentioned that as per report of Executive Engineer, PWD Ratangarh Division, dated 16.06.2022, approach roads to Randhisar hill, Randhisar to mine area, and Kuhariya to Dhatri have been damaged but no remedial measures have been taken or recommended.

18. Conditions were imposed by MoEF & CC in its consent order dated 20.06.2011 that no labour camps would be set up inside the forest area and labourers would be provided alternative fuel and that the mining lessees will plant and maintain 25 trees each year. The Joint Committee has not gone into the questions where labourers camps have been set up, whether the labourers have been provided alternative fuel, besides safety equipment, sanitation and hygienic living conditions and whether the mining lessees have planted and maintained the trees as required. Mining lessees- M/s P.G Stone and M/s Shyam Grit were mentioned not to have complied with the requirements and leases were not extended in their favour but the applicant has alleged that M/s P.G Stone and M/s Shyam Grit have indulged in illegal

them. The Joint Committee has also not gone into the question as to whether mining is being done only by the persons in whose favour the lease has been granted and whether any mining lease has been sublet or is being operated by any person other than the lessee. The Joint Committee has merely stated that mining leases of the defaulters who have not paid the penalty have been closed but the Joint Committee has not gone into the question whether those leases have been temporary closed or have been surrendered/cancelled and permanently closed and whether any mining closure plan has been implemented. As per condition no. 12 of forest diversion letter dated 20.06.2011, the fencing, protection and regeneration of the safety zone area (7.5 meters strip along the outer boundary of the combined mining lease area) was to be done and maintained at the project cost. The lessees have claimed that the requisite amount had been deposited with the concerned Department. The Joint Committee has not gone into the question as to whether any safety zone area (7.5 meters strip) has been fenced, protected and regenerated along the outer boundary of the combined mining lease area, The Joint Committee has also not looked into the question as to whether any illegal mining has been done in area measuring 44.523 hectares provided for infrastructural support and forest purpose land measuring 8.882 hectares and if so by whom and to what extent. The Joint Committee has also not going to question as to whether any proceedings has been initiated for imposition of any environmental compensation on any of the defaulter lessee or stone crusher.

19. Mr. Sohanlal Guru, Assistant Mining Engineer, Mining and Geology Department, Churu, Rajasthan had mentioned in his report that following violations of the environmental norms were observed on the basis of inspection carried out on 27.05.2022 and 28.05.2022:

1. "मौका निरीक्षण के दौरान 9 खननपट्टों में खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया।

2. खननपट्टा के मौका निरीक्षण के दौरान 17 खननपट्टों में खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति नहीं पायी गयी।
3. खननपट्टे में अनुमोदित खनन योजना (माईनिंग प्लान) के अनुसार 17 खननपट्टों में खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।
4. चार खननपट्टों में खननपट्टा की सुरक्षा दीवार/तारबन्दी किया जाना नहीं पाया गया।
5. एक खननपट्टा में सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया गया।
6. एक खननपट्टा में सीमा स्तम्भ लगा हुआ नहीं पाया गया।
7. दो खननपट्टों में निर्धारित नियमानुसार वृक्षारोपण की पालना नहीं पाई गयी।”

20. In the present case, we find that the Joint Committee has not looked into the material aspects and has conducted superficial verification and made general and vague and conjectural and contradictory observations and the report submitted does not warrant due credence for lack of essential particulars. Therefore, we are constrained to and accordingly do constitute another Committee comprising representatives of MoEF & CC and CPCB to be nominated by the Secretary, MoEF & CC and Chairman, CPCB from their Offices at Delhi. The Joint Committee may meet within two weeks, undertake visits to the mining sites, look into all material aspects of the case including the aspects highlighted above keeping in mind all material allegations made in the application, interact with the applicants and other residents of the surrounding area of the mines, verify the factual position and compliance status with respect to consent conditions and environmental norms as referred to above by all possible means including geo tagging, mapping by drone/making video films with audio and taking photographs with smart phone/cameras as may be appropriate and make its recommendations regarding remedial action/measures. State PCB shall be the nodal agency for co-ordination for compliance and shall provide all logistic support and bear the necessary expenses.

21. Report shall be furnished by the Joint Committee within one month by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.
22. The Department of Mines and Geology, Rajasthan and State PCB are under statutory obligations to take all requisite measures to prevent and abate environmental pollution/degradation independent of and even before giving of any directions and passing of any order by this Tribunal or any other Court and, therefore, the Director, Department of Mines and Geology, Rajasthan and State PCB must enquire into the factual position regarding compliance with consent conditions and environmental norms in the present case and take appropriate remedial action to prevent and abate environmental pollution/degradation by following due process of law. Report regarding Action Taken/To Be Taken with specific timelines be also filed by them within one month at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
23. Notice alongwith the copies of the application and report of the Joint Committee and documents attached therewith be issued to the Secretary, MoEF & CC, Government of India, State of Rajasthan through Chief Secretary, Government of Rajasthan, District Collector, Churu and 42 mining lessees and 51 stone crushers requiring them to file their response/reply to the allegations made in the application/observations made in the report of the Joint Committee and compliance with consent conditions and environmental norms within one month at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
24. Notice be served on the 42 mining lessees and 51 stone crushers through District Collector, Churu and for this purpose notice issued to them

be sent to the District Collector, Churu by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard.

25. The Registry is also directed to supply the copies of the application and report of the Joint Committee and documents attached therewith to the State PCB and Phadi Randhisar Khanan and Kreshar Vikas Prabhandh Samiti through E-mail IDs. Reply/response by the State PCB and Phadi Randhisar Khanan and Kreshar Vikas Prabhandh Samiti be also filed within one month at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

26. In their replies the State PCB and Director, Mines and Geology, Government of Rajasthan shall specifically mention details regarding compliance with the consent conditions and environmental norms by the lessees and stone crushers. In his reply the District Collector, Churu shall specifically give all details regarding proceedings taken by him against each of the defaulting lessees for recovery of penalties imposed for pre 2009 and post 2011 defaults/illegal mining as referred to above.

27. List for further consideration on 29.09.2022.

28. In the meanwhile, mining lessees who have substantially complied with consent conditions and environmental norms and have paid the penalty and undertake to pay the environmental compensation, if any imposed shall be allowed to carry on the mining on due certification by the Director, Mines and Geology, Government of Rajasthan and State PCB in this regard and no mining shall be allowed to be carried on by the defaulting mining lessees till further orders of this Tribunal to the contrary. The District Magistrate and Superintendent of Police, Churu shall take all requisite steps for ensuring that no illegal mining by any of the defaulter lessees takes place in the mining area and that no stone crusher, which has not obtained

29. In view of the facts and circumstance of the case, we also consider personal appearance of Member Secretary, RPCB, Director, Mines and Geology, Government of Rajasthan and District Collector, Churu, on the next date of hearing through VC to be essential for producing the relevant documents regarding compliance with environmental norms and realization of the penalty amounts from the defaulters and assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case and they are accordingly directed to remain present before this Tribunal on the date of hearing fixed in the case.

30. A copy of this order be forwarded to the Chief Secretary, Government of Rajasthan, PCCF, Rajasthan and District Magistrate and Superintendent of Police, Churu by e-mail for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

August 22, 2022  
AG

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)  
Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old  
Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235  
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in


क्रमांक:- सखअ/चूरु/अवैध/2022-23/ 555 दिनांक :- 12.09.2022

**-:कार्यालय आदेश:-**

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश दिनांक 09.09.2022 अनुसार निकट ग्राम रणधीसर पर स्वीकृत खननपट्टों के खण्डित किये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि कार्यदेशक द्वारा क्षेत्र में स्वीकृत खननपट्टों का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में दिनांक 10.09.2022 को लिया गया है।  
अतः उक्त क्षेत्र में स्वीकृत खननपट्टों के खण्डित होने के कारण क्षेत्र में अवैध खनन की कोई भी किसी तरह की गतिविधि नहीं होने पाये, इस हेतु क्षेत्र का समय-समय पर मौका निरीक्षण कर पूर्ण निगरानी रखने हेतु निम्नलिखित कर्मचारियों की ड्यूटी तुरन्त प्रभाव से लगाई जाती है:-

क्र. सं.	नाम मय विवरण	नाका स्थल/ड्यूटी स्थल
1.	श्री अर्जुनराम, खनि कार्यदेशक-1A	रणधीसर पहाड़ी
2.	श्री विजेन्द्रसिंह (रा) 210, होम गार्ड	रणधीसर पहाड़ी
3.	श्री गोविन्द सिंह 220, होम गार्ड	रणधीसर पहाड़ी
4.	श्री राकेश कुमार 130, होम गार्ड	रणधीसर पहाड़ी
5.	श्री तोलाराम 181 मय राईफल, होम गार्ड	रणधीसर पहाड़ी
6.	श्री राजु सिंह 22, होम गार्ड	रणधीसर पहाड़ी
7.	श्री लालचन्द 275, होम गार्ड	रणधीसर पहाड़ी

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि तुरन्त प्रभाव से संबंधित क्षेत्र रणधीसर पहाड़ी में अपनी उपस्थिति देकर रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। तथा रणधीसर पहाड़ी में खनन गतिविधियों के संबंध में प्रत्येक सोमवार को साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

  
12/09/2022  
(सोहनलाल गुरु)


सहायक खनि अभियन्ता,  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

क्रमांक/सम/ 555- 555

दिनांक:- 12-09-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला कलक्टर, चूरु।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, चूरु।
3. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर वृत्त, बीकानेर।
4. खनि कार्यदेशक-1A कार्यालय हाजा।
5. इन्चार्ज, बोर्डर होम गार्ड्स श्री.....

  
12/09/2022  
सहायक खनि अभियन्ता,  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)





**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT  
JODHPUR**

S.B. Civil Writ Petition No. 16668/2019

✓ Lalit Kumar Verma S/o Shri Hanuman Mal Verma, Aged About 65 Years, R/o Hanuman Colony, Post Ladnu, District Nagaur, Through His Power Of Attorney Holder Hari Prasad Harshwal S/o Shri Sultan Mal Age 65 Years R/o Parinara, Churu.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Principal Secretary To Government, Mines Department, The Government Of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.

2. The Joint Secretary, Govt. Of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.

3. The Director, Mines And Geology Department, Khanij Bhawan, Udaipur.

4. The Mining Engineer, Mines And Geology Department, Bikaner.

5. The Assistant Mining Engineer, Mines And Geology Department, Churu.

----Respondents

---

For Petitioner(s) : Mr. Muktesh Maheshwari

---

**JUSTICE DINESH MEHTA**

**Order**

**13/11/2019**

Inviting Court's attention towards the report given by a Sub-Committee constituted, learned counsel submits that it was clearly reported that the impugned recovery was illegal, yet for about 12 years, the respondents did not take any recovery proceedings, giving an impression that recovery against the petitioner has been dropped.



The respondents have sprung into action and have not only sought to recover the basic demand, which was initially raised in 2003, but have also sought to recovery penalty.

Mr. Maheshwari's basic contention has been that the respondents have calculated the amount purportedly payable by the petitioner simply on the basis of conjectures and surmises, without giving any detail about the quantity of mineral excavated by the petitioner, beyond his mining rights.


The matter requires consideration.

Issue notice. Issue notice of the stay application also.

Meanwhile, no coercive measures shall be taken by the respondents in pursuance of the notice of demand dated 04.09.2019 (Annex.10).

(DINESH MEHTA),J

143-skm/-



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT  
JODHPUR**

S.B. Civil Writ Petition No. 9470 / 2016

✓ Shankar Lal S/o Late Shri Ganesha Ram, aged about 35 years, resident of Badi Jasolai, Bikaner through its Power of Attorney Holder Shri Gopal Ji Modi S/o Ram Chandra Ji Modi, aged about 47 years, Parvati Sadan, Near Arvind Pathology Lab, Old Gajmer Road, Bikaner.

-----Petitioner

Versus



The State of Rajasthan through the Secretary, Department of Mines, Government of Rajasthan, Jaipur.

The Director, Department of Mines and Geology, Udaipur.

The Mining Engineer, Bikaner.

The Assistant Mining Engineer, Churu.

-----Respondent

---

For Petitioner(s) : Mr. Sushil Solanki

For Respondent(s) : Ms. Suman Porwal

---

**HON'BLE MS. JUSTICE NIRMALJIT KAUR**

Order

**14/12/2017**

No reply has been filed till date. However, learned counsel for the respondent prays for time to file the reply.

Reply be filed within three weeks.

List on 22/01/2018, as prayed. Till then, no coercive steps be initiated against the petitioner till the next date of hearing only.

(NIRMALJIT KAUR), J.

परिशिष्ट- 11

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT  
JODHPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 9470 / 2016

Shankar Lal

----Petitioner

Versus

State & Ors

----Respondent



Petitioner(s) : None present

Respondent(s) : Mrs. Suman Porwal

HON'BLE MS. JUSTICE NIRMALJIT KAUR

Order

22/01/2018

Admitted.

Put up in due course. Interim order to continue.

(NIRMALJIT KAUR),J.

Praveen/69

Praveen/69

27-7-20

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no.01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल.-11/1978/ 535 दिनांक :- 12-09-2022

To

The Mining Engineer (Recovery)  
Mines & Geology Deptt.,  
Bikaner (Raj.)

Sub:- Application for recovery of money referred to in section 256/257 of the Rajasthan Land revenue Act 1956(Rajasthan Act 15 of 1956) .


Sir,

This is an application for recovery of money referred to in section 256/257 of the Rajasthan Land Revenue Act 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).

\* The required particulars are as under:-


- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | The name of officer or authority To whom the sum is due & payable                | Assistant Mining Engineer, Churu  |
| 2 | Name & Description of the person from whom the sum is due & payable              | सर्वश्री पी.जी. स्टोन केसिंग इण्डस्ट्रीज, भागीदार श्री राजेन्द्र खत्री व सौरभ खत्री पुत्र श्री जेठमल खत्री, निवासी-पावती सदन, गजनेर रोड, बीकानेर, तहसील व जिला- बीकानेर                                     |
| 3 | Sum Due & Nature there of  | एम.एल. 11/1978, खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट, निकट ग्राम-रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला - चूरु में अवैध खनन पंचनामा दिनांक 31.10.2012 राशि 59,21,559/- स्थिर भाटक अवधि दि. 01.04.21 से 10.09.22 राशि- 74,832/- |
|   |  | योग :- 59,96,391/- मय ब्याज   |
| 4 | The period, if any from which it is due & the date on which it become payable    | अवधि दिनांक 03.07.2000 से 10.09.2022 तक की बकाया व उस पर नियमानुसार-देय ब्याज   |
| 5 | Process by which the sum may be recovered  | भू-राजस्व अधिनियम के तहत  |
| 6 | Further Particulars, (if any against which process may be executed)              | समस्त चल-अचल सम्पति   |
| 7 | Further particular, if required, under section 257 of Rajasthan Act, 15 of 1956. | समस्त चल-अचल सम्पति   |

The sum is recoverable by you in the same manner as an arrear of revenue and you are therefore required to recover it as such and submit it to undersigned office at Churu.

  
12/09/2022  
ASSISTANT MINING ENGINEER  
Churu(Rajasthan)

CERTIFIED THAT :-

- The full efforts have been made for the recoveries the Govt. dues.
- The address of the defaulters available in the record has been given in the certificate.
- The 30/45 days notice was given to the defaulter for payment of dues.
- There is no refundable cases entered pending in this office

  
12/09/2022  
ASSISTANT MINING ENGINEER  
CHURU(Rajasthan)

## कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)

कर्मांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल.-54/1990/ 541

दिनांक :- 12-09-2022

To

The Mining Engineer (Recovery)  
Mines & Geology Deptt.,  
Bikaner (Raj.)

Sub:- Application for recovery of money referred to in section 256/257 of the Rajasthan Land revenue Act 1956(Rajasthan Act 15 of 1956) .


Sir,

This is an application for recovery of money referred to in section 256/257 of the Rajasthan Land Revenue Act 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).

\* The required particulars are as under:-


- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | The name of officer or authority To whom the sum is due & payable                | Assistant Mining Engineer, Churu   |
| 2 | Name & Description of the person from whom the sum is due & payable              | श्री किशन सिंह गहलोट पुत्र श्री धुड़ाराम गहलोट, निवासी रानीसर बास, तहसील व जिला बीकानेर  |
| 3 | Sum Due & Nature there of  | एम.एल. 54/1990, खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट, निकट ग्राम-रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला - चूरु में<br>अवैध खनन पंचनामा दिनांक 03 से 07.07.2000 राशि 75,60,000/-<br>अवैध खनन पंचनामा दिनांक 02.11.2012 राशि 67,14,674/-<br>स्थिर भाटक अवधि दि. 01.04.19 से 26.08.22 राशि- 4,09,027/- |
|   |  | योग :- 1,46,83,701/- मय ब्याज  |
| 4 | The period, if any from which it is due & the date on which it become payable    | अवधि दिनांक 26.08.2022 तक की बकाया व उस पर नियमानुसार देय ब्याज  |
| 5 | Process by which the sum may be recovered  | भू-राजस्व अधिनियम के तहत   |
| 6 | Further Particulars, (if any against which process may be executed)              | समस्त चल-अचल सम्पति  |
| 7 | Further particular, if required, under section 257 of Rajasthan Act, 15 of 1956. | समस्त चल-अचल सम्पति  |

The sum is recoverable by you in the same manner as an arrear of revenue and you are therefore required to recover it as such and submit it to undersigned office at Churu.

  
12/09/2022  
ASSISTANT MINING ENGINEER  
Churu(Rajasthan)

CERTIFIED THAT :-

- The full efforts have been made for the recoveries the Govt. dues.
- The address of the defaulters available in the record has been given in the certificate.
- The 30/45 days notice was given to the defaulter for payment of dues.
- There is no refundable cases entered pending in this office

  
12/09/2022  
ASSISTANT MINING ENGINEER  
CHURU(Rajasthan)

## कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)

क्रमांक- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल.-25/1979/ 542 दिनांक :- 12-09-2022

To

The Mining Engineer (Recovery)  
Mines & Geology Deptt.,  
Nagaur (Raj.)

Sub:- Application for recovery of money referred to in section 256/257 of the Rajasthan Land revenue Act 1956(Rajasthan Act 15 of 1956) .


Sir,

This is an application for recovery of money referred to in section 256/257 of the Rajasthan Land Revenue Act 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).

\* The required particulars are as under:-


- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | The name of officer or authority To whom the sum is due & payable                | Assistant Mining Engineer, Churu   |
| 2 | Name & Description of the person from whom the sum is due & payable              | सर्वश्री खाटु श्याम प्रिट उधोग, प्रो० श्री भगवान दास लाहटा, पुत्र श्री रामकुमार लाहटा, निवासी-जसवन्तगढ, तहसील-लाडनू, जिला-नागौर(राज०)।<br>तहसील-सुजानगढ, जिला- चूरु  |
| 3 | Sum Due & Nature there of  | एम.एल. 25/1979, खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट, निकट ग्राम-रणधीसर, तहसील-सुजानगढ, जिला - चूरु में<br>अवैध खनन पंचनामा दिनांक 03 से 07.07.2000 राशि 9,24,000/-<br>अवैध खनन पंचनामा दिनांक 07.11.2012 राशि 75,16,767/-<br>अधिशुल्क निर्धारण दिनांक 2014-15 तक की राशि 13,263/-<br>स्थिर भाटक अवधि दि. 01.04.14 से 17.11.21 राशि- 3,63,384/- |
|   |  | योग :- 88,17,414/- मय ब्याज  |
| 4 | The period, if any from which it is due & the date on which it become payable    | अवधि दिनांक 17.11.2021 तक की बकाया व उस पर नियमानुसार देय ब्याज  |
| 5 | Process by which the sum may be recovered  | भू-राजस्व अधिनियम के तहत   |
| 6 | Further Particulars, (if any against which process may be executed)              | समस्त चल-अचल सम्पत्ति  |
| 7 | Further particular, if required, under section 257 of Rajasthan Act, 15 of 1956. | समस्त चल-अचल सम्पत्ति  |

The sum is recoverable by you in the same manner as an arrear of revenue and you are therefore required to recover it as such and submit it to undersigned office at Churu.

  
 12/09/2022  
 ASSISTANT MINING ENGINEER  
 Churu(Rajasthan)

CERTIFIED THAT :-

- The full efforts have been made for the recoveries the Govt. dues.
- The address of the defaulters available in the record has been given in the certificate.
- The 30/45 days notice was given to the defaulter for payment of dues.
- There is no refundable cases entered pending in this office

  
 12/09/2022  
 ASSISTANT MINING ENGINEER  
 CHURU(Rajasthan)

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल.-45/1978/ 529 दिनांक :- 12-09-2022

To

The ~~Assistant~~ Mining Engineer (Recovery)  
Mines & Geology Deptt.,  
Jaipur (Raj.)

Sub:- Application for recovery of money referred to in section 256/257 of the Rajasthan Land revenue Act 1956(Rajasthan Act 15 of 1956) .


Sir,

This is an application for recovery of money referred to in section 256/257 of the Rajasthan Land Revenue Act 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).

\* The required particulars are as under:-


- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | The name of officer or authority To whom the sum is due & payable                | Assistant Mining Engineer, Churu  |
| 2 | Name & Description of the person from whom the sum is due & payable              | श्री ईन्द्रचन्द्र गोल्यान पुत्र श्री देवकीनन्दन गोल्यान, निवासी- 107, पैराडाईज अपार्टमेंट, डी-148, दुर्गा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, जिला-जयपुर-302016   |
| 3 | Sum Due & Nature there of  | एम.एल. 45/1978, खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट, निकट ग्राम-रणघीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला - चूरु में<br>अवैध खनन पंचनामा दिनांक 03 से 07.07.2000 राशि 13,86,000/-<br>अवैध खनन पंचनामा दिनांक 03.11.2012 राशि 66,21,169/-<br>स्थिर भाटक अवधि दि. 01.04.20 से 10.09.22 राशि-2,60,238/- |
|   |  | योग :- 82,67,407/- मय ब्याज   |
| 4 | The period, if any from which it is due & the date on which it become payable    | अवधि दिनांक 03.07.2000 से 10.09.2022 तक की बकाया व उस पर नियमानुसार देय ब्याज   |
| 5 | Process by which the sum may be recovered  | भू-राजस्व अधिनियम के तहत  |
| 6 | Further Particulars, (if any against which process may be executed)              | समस्त चल-अचल सम्पति   |
| 7 | Further particular, if required, under section 257 of Rajasthan Act, 15 of 1956. | समस्त चल-अचल सम्पति   |

The sum is recoverable by you in the same manner as an arrear of revenue and you are therefore required to recover it as such and submit it to undersigned office at Churu.

  
12/09/2022  
ASSISTANT MINING ENGINEER  
Churu(Rajasthan)

CERTIFIED THAT :-

- The full efforts have been made for the recoveries the Govt. dues.
- The address of the defaulters available in the record has been given in the certificate.
- The 30/45 days notice was given to the defaulter for payment of dues.
- There is no refundable cases entered pending in this office

  
12/09/2022  
ASSISTANT MINING ENGINEER  
CHURU(Rajasthan)

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)  
Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale  
tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235  
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

केमाक:- साखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल.-44/1978/ 530

दिनांक :- 12-09-2022

To

The Mining Engineer (Recovery)  
Mines & Geology Deptt.,  
Jaipur (Raj.)

Sub:- Application for recovery of money referred to in section 256/257 of the Rajasthan Land revenue Act 1956(Rajasthan Act 15 of 1956) .


Sir,

This is an application for recovery of money referred to in section 256/257 of the Rajasthan Land Revenue Act 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).

\* The required particulars are as under:-


- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | The name of officer or authority To whom the sum is due & payable                | Assistant Mining Engineer, Churu   |
| 2 | Name & Description of the person from whom the sum is due & payable              | श्री ईन्द्रचन्द्र गोल्यान पुत्र श्री देवकीनन्दन गोल्यान, निवासी- 107, पैराडाईज अपार्टमेंट, डी-148, दुर्गा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, जिला-जयपुर-302016  |
| 3 | Sum Due & Nature there of  | एम.एल. 44/1978, खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट, निकट ग्राम-रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला - चूरु में अवैध खनन पंचनामा दिनांक 03 से 07.07.2000 राशि 33,60,000/- अवैध खनन पंचनामा दिनांक 03.11.2012 राशि 1,54,42,143/- स्थिर भाटक अवधि दि. 01.04.20 से 10.09.22 राशि-2,65,353/- |
|   |  | योग :- 1,90,67,496/- मय ब्याज  |
| 4 | The period, if any from which it is due & the date on which it become payable    | अवधि दिनांक 03.07.2000 से 10.09.2022 तक की बकाया व उस पर नियमानुसार देय ब्याज  |
| 5 | Process by which the sum may be recovered  | भू-राजस्व अधिनियम के तहत   |
| 6 | Further Particulars, (if any against which process may be executed)              | समस्त चल-अचल सम्पति  |
| 7 | Further particular, if required, under section 257 of Rajasthan Act, 15 of 1956. | समस्त चल-अचल सम्पति  |

The sum is recoverable by you in the same manner as an arrear of revenue and you are therefore required to recover it as such and submit it to undersigned office at Churu.

  
12/09/2022  
ASSISTANT MINING ENGINEER  
Churu(Rajasthan)

CERTIFIED THAT :-

- The full efforts have been made for the recoveries the Govt. dues.
- The address of the defaulters available in the record has been given in the certificate.
- The 30/45 days notice was given to the defaulter for payment of dues.
- There is no refundable cases entered pending in this office

  
12/09/2022  
ASSISTANT MINING ENGINEER  
CHURU(Rajasthan)

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer. Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल.-44/1978/614

दिनांक :- 04/10/2022

To

The Mining Engineer (Recovery)  
Mines & Geology Deptt.,  
Sriganganagar(Raj.)

Sub:- Application for recovery of money referred to in section 256/257 of the Rajasthan Land revenue Act 1956(Rajasthan Act 15 of 1956) .


Sir,

This is an application for recovery of money referred to in section 256/257 of the Rajasthan Land Revenue Act 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).

\* The required particulars are as under:-


- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | The name of officer or authority To whom the sum is due & payable                | Assistant Mining Engineer, Churu   |
| 2 | Name & Description of the person from whom the sum is due & payable              | श्री ईन्द्रचन्द्र गोल्यान पुत्र श्री देवकीनन्दन गोल्यान, निवासी-7 सी ब्लॉक, श्रीगंगानगर, जिला-श्रीगंगानगर(राज0)  |
| 3 | Sum Due & Nature there of  | एम.एल. 44/1978, खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट, निकट ग्राम-रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला - चूरु में<br>अवैध खनन पंचनामा दिनांक 03 से 07.07.2000 राशि 33,60,000/-<br>अवैध खनन पंचनामा दिनांक 03.11.2012 राशि 1,54,42,143/-<br>स्थिर भाटक अवधि दि. 01.04.20 से 10.09.22 राशि-2,65,353/-<br><br>योग :- 1,90,67,496/- मय ब्याज |
| 4 | The period, if any from which it is due & the date on which it become payable    | अवधि दिनांक 03.07.2000 से 10.09.2022 तक की बकाया व उस पर नियमानुसार देय ब्याज  |
| 5 | Process by which the sum may be recovered  | भू-राजस्व अधिनियम के तहत   |
| 6 | Further Particulars, (if any against which process may be executed)              | समस्त चल-अचल सम्पति  |
| 7 | Further particular, if required, under section 257 of Rajasthan Act, 15 of 1956. | समस्त चल-अचल सम्पति  |

The sum is recoverable by you in the same manner as an arrear of revenue and you are therefore required to recover it as such and submit it to undersigned office at Churu.

  
 04/10/2022  
 ASSISTANT MINING ENGINEER  
 Churu(Rajasthan)

CERTIFIED THAT :-

- The full efforts have been made for the recoveries the Govt. dues.
- The address of the defaulters available in the record has been given in the certificate.
- The 30/45 days notice was given to the defaulter for payment of dues.
- There is no refundable cases entered pending in this office

  
 04/10/2022  
 ASSISTANT MINING ENGINEER  
 CHURU(Rajasthan)

## कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल.-45/1978/613

दिनांक :- 04.10.2022

To

The Mining Engineer (Recovery)  
Mines & Geology Deptt..  
Sriganganagar (Raj.)

Sub:- Application for recovery of money referred to in section 256/257 of the Rajasthan Land revenue Act 1956(Rajasthan Act 15 of 1956) .


Sir,

This is an application for recovery of money referred to in section 256/257 of the Rajasthan Land Revenue Act 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).

\* The required particulars are as under:-

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | The name of officer or authority To whom the sum is due & payable                | Assistant Mining Engineer, Churu   |
| 2 | Name & Description of the person from whom the sum is due & payable              | श्री ईन्द्रचन्द्र गोल्यान पुत्र श्री देवकीनन्दन गोल्यान, निवासी-7 सी ब्लॉक, श्रीगंगानगर, जिला-श्रीगंगानगर(राज0)  |
| 3 | Sum Due & Nature there of  | एम.एल. 45/1978, खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट, निकट ग्राम-रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला - चूरु में अवैध खनन पंचनामा दिनांक 03 से 07.07.2000 राशि 13,86,000/- अवैध खनन पंचनामा दिनांक 03.11.2012 राशि 66,21,169/- स्थिर भाटक अवधि दि. 01.04.20 से 10.09.22 राशि-2,60,238/- |
|   |  | योग :- 82,67,407/- मय ब्याज  |
| 4 | The period, if any from which it is due & the date on which it become payable    | अवधि दिनांक 03.07.2000 से 10.09.2022 तक की बकाया व उस पर नियमानुसार देय ब्याज  |
| 5 | Process by which the sum may be recovered  | भू-राजस्व अधिनियम के तहत   |
| 6 | Further Particulars, (if any against which process may be executed)              | समस्त चल-अचल सम्पति  |
| 7 | Further particular, if required, under section 257 of Rajasthan Act. 15 of 1956. | समस्त चल-अचल सम्पति  |

The sum is recoverable by you in the same manner as an arrear of revenue and you are therefore required to recover it as such and submit it to undersigned office at Churu.

  
 04/10/2022  
 ASSISTANT MINING ENGINEER  
 Churu(Rajasthan)

CERTIFIED THAT :-

- The full efforts have been made for the recoveries the Govt. dues.
- The address of the defaulters available in the record has been given in the certificate.
- The 30/45 days notice was given to the defaulter for payment of dues.
- There is no refundable cases entered pending in this office

  
 04/10/2022  
 ASSISTANT MINING ENGINEER  
 CHURU(Rajasthan)

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)  
Office of the Supdt. Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan)  
Tel. no 0151-2226611

E-mail- sme.bikaner@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एम.एल.-62/1983/ दिनांक :-

कार्यालय आदेश

सर्वश्री रणधीसर स्टोन केशिंग इण्डस्ट्रीज प्रोपराईटर श्री ओमप्रकाश यादव पुत्र श्री सेडूराम यादव निवासी- रणधीसर, तहसील-सुजानगढ, जिला-चुरु के पक्ष में खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 18/1978, खनिज-स्टोन बैलास्ट, क्षेत्रफल 2500वर्गमीटर, निकट ग्राम-रणधीसर, तहसील-सुजानगढ, जिला-चुरु के पक्ष में अवधि दिनांक 31.10.1978 से 5 वर्ष के लिए सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल./18/1978/1631 दिनांक 31.07.1978 द्वारा स्वीकृत किया गया।

कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीके/एम.एम.एल. 62/1983/942 दिनांक 09.11.1990 द्वारा खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण अवधि दिनांक 31.10.1983 से 30.10.1993 हेतु स्वीकृत हुआ। खननपट्टा का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 41/1993 दिनांक 27.04.1993 को अवधि दिनांक 31.10.1993 से 30.10.2003 व चतुर्थ नवीनीकरण एम.एल. 32/2003 दिनांक 21.10.2003 को अवधि दिनांक 31.10.2003 से 30.10.2023 तक के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त खननपट्टा तत्समय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 1,05,000/- है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 81 दिनांक 03.06.2022 जारी किया। जो कि पट्टाधारी को दिनांक 12.06.2022 को तामिल हुआ।

1. यह कि देय राशि रुपये 1,76,72,445/-आपके विरुद्ध बकाया है और निश्चित तिथी पर भुगतान करने में आप असफल रहे हैं। यह संविदा की धारा की धारा 4(3)(4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लंघन है।

पट्टाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नहीं करने के कारण एवं वर्तमान में पट्टेधारी के विरुद्ध राशि मय ब्याज रुपये 1,76,98,695/-बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये है। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2471 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-  
भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

क्रमांकसम/ 1831

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान),जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 2471 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरु को उनके पत्र क्रमांक 435 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चुरु।
5. सर्वश्री रणधीसर सओन केशिंग इण्डस्ट्रीज, रणधीसर पहाडी तहसील सुजानगढ जिला चुरु द्वारा स.ख.अ. चुरु।

cc-I

09/09/2022

-sd-  
भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT. OF RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)


क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-62/1983/582

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 62/1983 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1831 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022  
(सोहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी-64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।  
क्रमांक:अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एल. 41/1978/ दिनांक: 2022

कार्यालय आदेश

सर्वश्री गंगानगर कन्स. कम्पनी, 7 सी ब्लॉक, श्रीगंगानगर के पक्ष खनन पट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट क्षेत्रफल 4000वर्गमीटर निकटग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 41/1978 सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर कार्यालय के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एल.एल. -41/78/2464 दिनांक 28.10.1978 द्वारा अवधि दिनांक 27.01.1979 से 26.01.1989 के लिए स्वीकृत हुआ। खननपट्टा का द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 27.01.1989 से 26.01.1999 हेतु दिनांक 26.07.1988 को आवेदन पत्र एम.एल. 28/88 प्रस्तुत किया गया। पट्टाधारी ने खननपट्टा का तृतीय नवीनीकरण 27.01.1999 से 26.01.2019 हेतु दिनांक 10.05.1999 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 49,000/- है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल./41/78/257 दिनांक 15.01.2019 द्वारा खननपट्टा का हस्तांतरण श्री मेघाराम पुत्र श्री रूपाराम जाट, निवासी-धातरी, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू(राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषों के निवारण हेतु पट्टाधारी को चेतना पत्र संख्या 67 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पट्टेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

- 1- खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया।
- 2- खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।
- 3- खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पट्टाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाब दिनांक 14.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नहीं हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरू द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 4000वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशांषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-

भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

क्रमांक/सम/ 1883

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक: निदे/प.2(एच-1)चुरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 424 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चुरू।
5. श्री मेघाराम पुत्र श्री रूपाराम जाट, निवासी-धातरी, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू(राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू।
6. रक्षित पत्रावली

CC - I

सु/एम  
09/09/2022

भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT. OF RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,

Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)


कमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-41/1978/ 560

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 41/1978 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश कमांक 1883 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022  
(सोहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी-64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।  
क्रमांक:अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एल. 16/1999/ दिनांक: 2022

कार्यालय आदेश

सर्वश्री पड़िहारा स्टोन कसिंग कम्पनी, 7-सी, ब्लॉक, श्री गंगानगर के पक्ष में खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चुरु में क्षेत्रफल 6000वर्गमीटर का प्रथम नवीनीकरण एम. एल. 43/1978 अवधि दिनांक 13.03.1979 से 12.03.1989 के लिए सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के कार्यालय आदेश क्रमांक:अखअ/श्रीगंगा/एमएमएल/43/1978/2440 दिनांक: 28.10.1978 द्वारा स्वीकृत किया गया। खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय के आदेश क्रमांक खअ/बीका/अप्र/302 दिनांक 03.03.2008 से खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 31/1988 अवधि दिनांक 13.03.1989 से 12.03.1999 व तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 16/1999 अवधि दिनांक 13.03.1999 से 12.03.2019 तक के लिये स्वीकृत किया गया। खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय के आदेश क्रमांक खअ/बीका/अप्र/नवीनी एमएमएल /16/99/589 दिनांक 21.08.2016 द्वारा उक्त खननपट्टा श्री ओमप्रकाश किल्का पुत्र श्री भंवरलाल किल्का, निवासी-आबसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चुरु के पक्ष में हस्तान्तरण स्वीकृत किया गया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ी हुई मानी गयी। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/अखअ/बीका/अप्र/एमएल-16/1999/3245 दिनांक 08.09.2017 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण सर्वश्री दुर्गा स्टोन, गॉव-रणधीसर, तहसील -सुजानगढ़, जिला-चुरु के पक्ष में हस्तान्तरण स्वीकृत किया गया। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/अखअ/बीका/अप्र/एमएल-16/1999/1092 दिनांक 19.02.2020 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण श्री खीया राम पुत्र श्री सुरजा, जाति-जाट, निवासी-वार्ड नं. 07, ढाणी पोटलियान, कलेंरो की ढाणी, बीदासर, तहसील-बीदासर, जिला-चुरु(राजस्थान) के पक्ष में हस्तान्तरण स्वीकृत किया गया। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 65,881/- है।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु पट्टाधारी को चेतना पत्र संख्या 66 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पट्टेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1-खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

2- खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पट्टाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 16.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नहीं हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरु द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 6000वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशांशा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-  
भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

क्रमांक/सम/ 1905

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक: निदे/प.2(एच-1)चुरु/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरु।
3. उप वन संरक्षक, चुरु।
4. सहायक खनि अभियन्ता, चुरु को उनके पत्र क्रमांक 464 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
5. श्री खीया राम पुत्र श्री सुरजा, जाति-जाट, निवासी-वार्ड नं. 07, ढाणी पोटलियान, कलेंरो की ढाणी, बीदासर, तहसील-बीदासर, जिला-चुरु(राजस्थान)
6. रक्षित पत्रावली

CC-I

09/09/2022

भीमसिंह  
अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no.01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)


क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-16/1999/579

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 16/1999 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1905 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
(सोहनलाल गुरु)

सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)  
Office of the Supdt. Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan)  
Tel. no 0151-2226611

E-mail- [sme.bikaner@rajasthan.gov.in](mailto:sme.bikaner@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- अखअ/बीका/अप्र/चूरु/एम.एम.एल.-59/1981/

दिनांक :-

**कार्यालय आदेश**

श्री गणेश पुत्र श्री हरिराम माली, निवासी-रानी बाजार, बीकानेर के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम- रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 4381/- पर खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/ एम.एम.एल./59/81/1423 दिनांक 07.11.1981 द्वारा संविदा पंजीयन की तिथि से 10 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ। संविदा का पंजीयन दिनांक 09.07.1982 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा की अवधि दिनांक 09.07.1982 से 08.07.1992 तक के लिए प्रभाव में आया।

खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण एम.एम.एल. 77/1992 दिनांक 01.02.1992 को अवधि दिनांक 09.07.1992 से 08.07.2002 तक के लिए आवेदित किया गया। खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एम.एल. 20/2001 दिनांक 29.05.2001 को अवधि दिनांक 09.07.2002 से 08.07.2022 तक के लिए आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा तत्समय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 08.07.2032 तक स्वतः ही बढ़ गई है। कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/ अप्र/चूरु/एम.एम.एल./59/81/683 दिनांक 16.02.2018 द्वारा उक्त खननपट्टा सर्वश्री नन्दिनी स्टोन, रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चूरु(राजस्थान) के पक्ष में हस्तान्तरण स्वीकृत किया गया। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 49000/- है। कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/ अप्र/चूरु/एम.एम.एल./59/81/1273 दिनांक 27.02.2020 द्वारा उक्त खननपट्टा श्री अर्जुनराम पुत्र श्री मोहनराम जाट, निवासी- वार्ड नं. 7, ढाणी रामदेवरा, कालेरों की ढाणी, बीदासर, तहसील-बीदासर, जिला-चूरु (राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

सहायक खनि अभियन्ता, चूरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 108 दिनांक 01.06.2022 जारी किया।

1. आपके के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे का मौका पंचनामा दिनांक 28.12.2021 के अनुसार आप द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 3019 टन खनिज मैसेनरी स्टोन का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जिसकी मॉग नियमानुसार रू. 10,56,650/- कायम की गई।

जिसकी पालना में पट्टाधारी द्वारा राशि रूपये 1,96,650/- दिनांक 09.06.2022 को राजकोष में जमा करवाये गये, परन्तु पट्टाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पूर्ण पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नहीं करने के कारण एवं शेष राशि रूपये 8,60,000/- बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरु ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को

पढाये है। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2473 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अग्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जम्मा करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

*SOL*  
भीम सिंह  
अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांकसम/ 1843

दिनांक: 9.9.2022

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 2473 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरु को उनके पत्र क्रमांक 475 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरु।
5. श्री अर्जुन राम पुत्र श्री मोहनराम जाट निवासी वार्ड नम्बर 7, ढाणी रामदेवरा, कालेरो की ढाणी, बीदासर तहसील बीदासर जिला चुरुचुरु द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरु।

CC-I

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर वृत्त बीकानेर।  
Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235  
E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- सखअ/चुरु/अप्र/एम.एम.एल-59/1981/ 570

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 59/1981 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ,  
जिला-चुरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1843 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

*SOL*  
12/09/2022  
(सोहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चुरु(राजस्थान)

कार्यालय आदेश

श्री सुरजाराम पुत्र श्री चूनाराम मेघवाल के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम- रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु क्षेत्रफल 3500 वर्गमीटर कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के आदेश कमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एल./13/78/1220 दिनांक 22.06.1978 द्वारा संविदा पंजीयन की तिथि से 10 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ। संविदा का पंजीयन दिनांक 27.01.1979 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 27.01.1979 से 26.01.1989 तक के लिए प्रभाव में आया। उक्त खननपट्टे का हस्तान्तरण श्री लोकबन्धु सोमानी पुत्र श्री रामचन्द्र सोमानी, निवासी-जसवन्तगढ़, तहसील-लाडनू, जिला-नागौर के पक्ष में खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश कमांक खअ/बीके/एम.एम.एल./13/78/36 दिनांक 06.01.1982 द्वारा स्वीकृत किया गया। खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 39/1988 अवधि दिनांक 27.01.1989 से 26.01.1999 तक के लिए कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर में दिनांक 07.11.1988 को आवेदित किया गया। खननपट्टा का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 60/1998 कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर में दिनांक 31.08.1998 को आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 14.01.2029 तक स्वतः ही बढ़ी हुई मानी गयी। उक्त खननपट्टे का हस्तान्तरण श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर जोन, जोधपुर के आदेश कमांक अनिखा/जोध/सीसी/अप्र/चुरु/एम.एल./13/78/2136 दिनांक 06.07.2018 द्वारा श्री अश्वनी कुमार साई पुत्र श्री विजय कुमार साई, निवासी-1-बी-2, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर(राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 30,048/- है।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु पट्टाधारी को चेतना पत्र संख्या 63 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पट्टेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1-खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

2- खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पट्टाधारी द्वारा चेतना पत्र की पालना नहीं की गई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरु द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 3500वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंक बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंसा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र कमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-

भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

कमांकसम/ 1862

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र कमांक: निदे/प.2(एच-1)चुरु/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरु को उनके पत्र कमांक 430 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चुरु।
5. श्री अश्वनी कुमार साई पुत्र श्री विजय कुमार साई, निवासी-1-बी-2, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर(राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरु।
6. रक्षित पत्रावली

CC-I

09/09/2022

-sd-

भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT. OF RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)  
Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kumbha,  
Old Sale tax office building, Kathariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250233  
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांक- राखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-13/1978/585

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवेध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय- खननपट्टा एम.एल. 13/1978 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, वीकानेर के आदेश क्रमांक 1862 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022  
(सोहनलाल गुरु)

सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी-64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।  
क्रमांक:अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एल. 49/1983/ दिनांक: 2022

**कार्यालय आदेश**

सर्वश्री जय बालाजी इण्डस्ट्रीज, प्रो० श्री सुशील कुमार सुरेखा, रणधीसर के पक्ष में खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट, निकट ग्राम रणधीसर पहाड़ी, तहसील सुजानगढ़ क्षेत्रफल 2000वर्गमीटर का प्रथम नवीनीकरण सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल./24/78/ 1592 दिनांक 31.07.1978 द्वारा अवधि दिनांक 26.11.1978 से 25.11.1983 हेतु स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 49/1983 कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/एमएमएल/49/83/1074 दिनांक 02.11.1991 द्वारा अवधि 26.11.1983 से 25.11.1993 तक के लिये स्वीकृत किया गया। कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एल./49/83/996 दिनांक 22.03.1993 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण सर्वश्री अम्बिका स्टोन केसिंग इण्डस्ट्रीज, प्रो० श्रीमति सरोज सहगल पत्नि श्री विनोद कुमार सहगल, निवासी-श्रीगंगानगर के पक्ष में स्वीकृत किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 51/1993 दिनांक 17.06.1993 को अवधि दिनांक 26.11.1993 से 25.11.2003 हेतु आवेदित किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का चतुर्थ नवीनीकरण एम.एल. 23/2003 दिनांक 02.07.2003 को अवधि दिनांक 26.11.2003 से 25.11.2023 हेतु आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। कार्यालय अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर जोन, जोधपुर के आदेश क्रमांक अनिखा/जोध/अप्र/एम.एल./49/83/986 दिनांक 28.02.2018 द्वारा खननपट्टा का नामान्तरण श्री रजनीश सहगल पुत्र श्री विनोद कुमार सहगल, निवासी-फिरोजपुर सिटी(पंजाब) के पक्ष में स्वीकृत हुआ। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 64,910/- है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/अप्र/एम.एल./49/83/960 दिनांक 26.03.2018 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण श्री रामअवतार पुत्र श्री सत्यनारायण खटीक, निवासी रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू (राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषों के निवारण हेतु पट्टाधारी को चेतना पत्र संख्या 89 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पट्टेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1- खनन कार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया।  
2- खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

3- खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पट्टाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाब दिनांक 14.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नहीं हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरू द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 2000वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशांषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जम्मा करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-

भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

क्रमांक/सम/ 1973

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक: निदे/प. 2(एच-1)चुरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 462 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चुरू।
5. श्री रामअवतार पुत्र श्री सत्यनारायण खटीक, निवासी रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू (राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू।
6. रक्षित पत्रावली

cc-5

से.एम.  
09/09/2022



भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT. OF RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in


क्रमांक- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-49/1983/ 581

दिनांक -12.09.2022

1. भोग शाखा
2. अवेध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय- खननपट्टा एम.एल. 49/1983 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1973 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022  
(सोहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी-84, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।  
क्रमांक:अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एल. 53/1978/ दिनांक: 2022

**कार्यालय आदेश**

श्री पी.राम सोमानी के पक्ष में खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम- रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु क्षेत्रफल 2550 वर्गमीटर का प्रथम नवीनीकरण अवधि दिनांक 16.02.1979 से 15.02.1989 हेतु कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल./53/1978/3065 दिनांक: 21.12.1978 द्वारा स्वीकृत किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का द्वितीय-नवीनीकरण एम.एल. 38/1988 दिनांक 07.11.1988 को अवधि दिनांक 16.02.1989 से 15.02.1999 के लिए आवेदित किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 06/1999 हेतु दिनांक 12.03.1999 को अवधि दिनांक 16.02.1999 से 15.02.2019 के लिए आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 49,000/- है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/अप्र/एम.एल./53/1978/3663 दिनांक 13.10.2017 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मूलचन्द जाति जाट(बागंडवा) निवासी-सैनिक बस्ती, चूरु तहसील व जिला- चूरु(राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

सहायक खनि अभियन्ता, चूरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु पट्टाधारी को चेतना पत्र संख्या 73 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पट्टेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

- 1- खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया।
- 2- खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।
- 3- खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।
- 4- खननपट्टे की बाहरी तारबन्दी नहीं किया जाना पाया गया।

पट्टाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाब दिनांक 18.07.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नहीं हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरु द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 2550वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जम्मा करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-सह-

भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

क्रमांक/सम/ 1925

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक: निदे/प. 2(एच-1)चूरु/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चूरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चूरु को उनके पत्र क्रमांक 470 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चूरु।
5. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मूलचन्द जाति जाट(बागंडवा) निवासी-सैनिक बस्ती, चूरु तहसील व जिला- चूरु(राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चूरु।
6. रक्षित पत्रावली

CC-I

09/09/2022

भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT. OF RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

दिनांक :-12.09.2022

क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-53/1978/ 564

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 53/1978 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1925 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022  
(सोहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)  
Office of the Supdt. Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan)  
Tel. no 0151-2226611

E-mail- [sme.bikaner@rajasthan.gov.in](mailto:sme.bikaner@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एम.एल.-65/1983/

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

सर्वश्री चुरु लेबर कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी, रणधीसर पहाड़ी, तहसील-सुजानगढ, जिला-चुरु के पक्ष में खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 38/1978, खनिज-स्टोन बैलास्ट, क्षेत्रफल 2500वर्गमीटर, निकट ग्राम-रणधीसर, तहसील-सुजानगढ, जिला-चुरु के पक्ष में अवधि दिनांक 11.11.1978 से 5 वर्ष के लिए सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल./38/1978/1954-59 दिनांक 16.09.1978 द्वारा स्वीकृत किया गया। कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीके/एम.एम.एल. 65/1983/301 दिनांक 01.05.1991 द्वारा खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण अवधि दिनांक 11.11.1983 से 10.11.1993 हेतु स्वीकृत हुआ। खननपट्टा का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 39/1993 दिनांक 27.04.1993 को अवधि दिनांक 11.11.1993 से 10.11.2003 व चतुर्थ नवीनीकरण एम.एल. 33/2003 दिनांक 10.11.2003 को अवधि दिनांक 11.11.2003 से 10.11.2023 तक के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त खननपट्टा तत्समय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 75,606/- है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 79 दिनांक 03.06.2022 जारी किया। जो कि पट्टाधारी को दिनांक 12.06.2022 को तामिल हुआ।

1. यह कि देय राशि रुपये 1,35,28,800/-आपके विरुद्ध बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने में आप असफल रहे हैं। यह संविदा की धारा 4(3)(4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लंघन है।

पट्टाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नहीं करने के कारण एवं वर्तमान में पट्टेधारी के विरुद्ध राशि मय ब्याज रुपये 1,35,47,702/-बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये है। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2489 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-

भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

क्रमांकसम/1807

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 2489 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरु को उनके पत्र क्रमांक 443 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरु।
5. सर्वश्री चुरु लेबर कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी, रणधीसर पहाड़ी, तहसील सुजानगढ जिला चुरु द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरु

cc-I

  
09/09/2022

  
भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)


क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-65/1983/584

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 65/1983 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1807 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022  
(सोहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

**कार्यालय आदेश**

श्री धन्नाराम पुत्र श्री हनुमानाराम खटीक, निवासी रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला-चूरु के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में क्षेत्र 5521वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 966रु 20पैसे पर कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीके/एमएमएल/14/1977/471 दिनांक 31.07.1977 द्वारा संविदा पंजीयन तिथि से 10 वर्ष के लिये स्वीकृत किया गया। संविदा का पंजीयन दिनांक 26.10.1977 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 26.10.1977 से 25.10.1987 तक के लिए प्रभाव में आया। खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 40/1987 अवधि दिनांक 26.10.1987 से 25.10.1997 तक के लिए कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीके/नवीनी/एम.एम.एल./40/87/1219 दिनांक 24.04.1992 द्वारा स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण आवेदन पत्र एम.एल. 99/1996 दिनांक 23.10.1996 को अवधि दिनांक 26.10.1997 से 25.10.2017 के लिए प्रस्तुत किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर जोन, जोधपुर के आदेश क्रमांक अनिखा/जोध/ अप्र/चूरु/एम.एल./40/87/3043 दिनांक 15.10.2018 द्वारा खननपट्टे का नामान्तरण श्री बनवारी लाल पुत्र श्री धन्नाराम बागड़ी, निवासी- रणधीसर पहाड़ी, तहसील-सुजानगढ़, जिला - चूरु हाल निवासी भगवती गैस गोदाम के पास, जगमालपुरा रोड़, वार्ड नं. 45, सीकर तहसील व जिला- सीकर(राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 25.10.2027 तक स्वतः ही बढ़ी हुई मानी गयी। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/ चूरु/एम.एल./40/87/121 दिनांक 10.01.2019 द्वारा खननपट्टा सर्वश्री माँ भवानी स्टोन, रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़ जिला-चूरु (राजस्थान) के पक्ष में हस्तान्तरण स्वीकृत किया गया। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 49,000/- है।

सहायक खनि अभियन्ता, चूरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु पट्टाधारी को चेतना पत्र संख्या 58 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पट्टेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

- 1- खननपट्टा पर सूचना बोर्ड स्थापित नहीं पाया गया।
- 2- खननपट्टे के सीमा स्तम्भ लगे हुए नहीं पाए गए।
- 3- खननपट्टे से संबंधित वृक्षारोपण नहीं किया जाना पाया गया।

पट्टाधारी द्वारा चेतना पत्र की पालना नहीं की गई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरु द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 5521वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंसा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-

भीमसिंह  
अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

क्रमांक/सम/ 1967

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक: निदे/ प. 2(एच-1)चूरु/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चूरु।
3. उप वन संरक्षक, चूरु।
4. सहायक खनि अभियन्ता, चूरु को उनके पत्र क्रमांक 468 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
5. सर्वश्री माँ भवानी स्टोन, रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़ जिला-चूरु (राजस्थान)
6. रक्षित पत्रावली

cc-I

श्री  
09/09/2022

भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)


क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-40/1987/590

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 40/1987 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1967 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।



(सोहनलाल गुरु)

सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

**कार्यालय आदेश**

श्री दौलाराम खटीक पुत्र श्री रामचन्द्र खटीक, निवासी-रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चूरु के पक्ष में एक खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट, क्षेत्रफल 2150 वर्गमीटर, निकट ग्राम रणधीसर पहाड़ी, तहसील सुजानगढ़ का सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, श्री गंगानगर के आदेश कमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल./68/78/3097 दिनांक 22.12.1978 द्वारा संविदा पंजीयन तिथि से 10 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया। संविदा का पंजीयन दिनांक 25.06.1979 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 25.06.1979 से 24.06.1989 के लिए प्रभाव में आया। पट्टाधारी द्वारा प्रथम नवीनीकरण आवेदन पत्र दिनांक 13.04.1989 को एम.एल. 45/1989 अवधि 25.06.1989 से 24.06.1999 तक के लिये खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 12/1999 दिनांक 15.04.1999 को अवधि दिनांक 25.06.1999 से 24.06.2019 हेतु आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1988 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। पट्टाधारी का स्वर्गवास होने पर कार्यालय अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर जोन, जोधपुर के आदेश कमांक अनिखा/जोध/सीसी/अप्र/चुरु/एम.एल./68/78/2042 दिनांक 11.08.2017 द्वारा उक्त खननपट्टा श्रीमति शान्ति देवी पत्नि श्री दौलाराम खटीक, निवासी-रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चूरु (राजस्थान) के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 24.06.2029 तक स्वतः ही बढ़ी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 49,000/- है।

सहायक खनि अभियन्ता, चूरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु पट्टाधारी को चेतना पत्र संख्या 62 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पट्टेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

- 1- खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।
- 2- खननपट्टा की सुरक्षा दीवार/तारबंदी किया जाना नहीं पाया गया।
- 3- खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।
- 4- खननपट्टे से संबंधित वृक्षारोपण नहीं किया जाना पाया।

पट्टाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाब दिनांक 16.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नहीं हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरु द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 2150वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंक बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र कमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

- 21 -  
(भीमसिंह)

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

कमांक/सम/ 2002

दिनांक: 9.9.2022

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र कमांक: निदे/ प. 2(एच-1)चूरु/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चूरु।
3. उष वन संरक्षक, चूरु।
4. सहायक खनि अभियन्ता, चूरु को उनके पत्र कमांक 454 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
5. श्रीमति शान्ति देवी पत्नि श्री दौलाराम खटीक, निवासी-रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चूरु (राजस्थान)।
6. रक्षित पत्रावली

cc-5  
श्री  
09/09/2022

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)


क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-68/1978/578

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 68/1978 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 2002 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022  
(सोहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी-64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।  
कमांक:अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एल. 36/1980/ दिनांक: 2022

कार्यालय आदेश

श्री दुलाराम पुत्र श्री उमाराम मेघवाल, निवासी-लालगढ़, चुरु के पक्ष में एक खननपट्टा एम.एल. 36/1980, खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम- रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरु क्षेत्रफल 3394वर्ग मीटर वार्षिक स्थिर भाटक 594/- पर संविदा पंजीयन से 10 वर्ष के लिये कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश कमांक खअ/बीका/एम.एल.एल./36/1980/1235 दिनांक: 31.08.1981 द्वारा स्वीकृत किया गया। संविदा का पंजीयन 25.08.1982 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 25.08.1982 से 24.08.1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी हुआ। खननपट्टे का हस्तान्तरण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश कमांक खअ/बीका/एम.एल.एल. 36/80/1570 दिनांक 09.06.1989 द्वारा श्री रामनिवास शर्मा पुत्र श्री गोरधन राम शर्मा, निवासी-ईयारा, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चुरु के नाम से स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 114/1992 दिनांक 18.02.1992 को अवधि दिनांक 25.08.1992 से 24.08.2002 तक की अवधि के लिए आवेदित किया गया। द्वितीय नवीनीकरण हेतु एम.एल. 52/2001 दिनांक 29.10.2001 को अवधि दिनांक 25.08.2002 से 24.08.2022 तक की अवधि के लिए आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 24.08.2032 तक स्वतः ही बढ़ी हुई मानी गयी। इस कार्यालय के आदेश कमांक अखअ/बीका/चुरु/एम.एल./36/80/424 दिनांक 05.02.2018 द्वारा खननपट्टा श्रीमति बिज्जू देवी पत्नि श्री श्रवण कुमार जाट, निवासी-छापर, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरु के पक्ष में हस्तान्तरण स्वीकृत किया गया। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 29,008/- है।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु पट्टाधारी को चेतना पत्र संख्या 60 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पट्टेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

- 1-खनन कार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया।
- 2- खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।
- 3- खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पट्टाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाब दिनांक 16.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नहीं हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरु द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 3394वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंसा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र कमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जम्मा करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

  
भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

कमांक/सम/ 1946

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र कमांक: निदे/प.2(एच-1)चुरु/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरु को उनके पत्र कमांक 460 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चुरु।
5. श्रीमति बिज्जू देवी पत्नि श्री श्रवण कुमार जाट, निवासी-छापर, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरु (राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरु।
6. रक्षित पत्रावली

CC-I

  
09/09/2022

  
भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-36/1980/588

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 36/1980 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1946 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022  
(सोहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी-64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।  
क्रमांक:अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एल. 50/1979/ दिनांक: .2022

कार्यालय आदेश

सर्वश्री जैन स्टोन कर्सिंग वर्कस-II, रणधीसर पहाड़ी, तहसील -सुजानगढ़, जिला-चूरु के पक्ष में खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट, क्षेत्रफल 2700वर्गमीटर, निकट ग्राम रणधीसर पहाड़ी, तहसील सुजानगढ़, जिला-चूरु का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 50/1979 अवधि दिनांक 21.12.1979 से 20.12.1989 तक के लिये कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एल.एल./50/79/1585 दिनांक 30.08.1979 द्वारा स्वीकृत किया गया। पट्टाधारी ने खननपट्टा का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 87/1989 अवधि दिनांक 21.12.1989 से 20.12.1999 हेतु दिनांक 18.12.1989 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। पट्टाधारी ने खननपट्टा का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 41/1999 अवधि दिनांक 21.12.1999 से 20.12.2019 हेतु दिनांक 14.07.1999 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 49,000/- है।

सहायक खनि अभियन्ता, चूरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु पट्टाधारी को चेतना पत्र संख्या 54 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पट्टेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1-खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

2- खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पट्टाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 16.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नहीं हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरु द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 2700वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशांषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

*sd*  
भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

क्रमांक/सम/ 1898

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक: निदे/ प.2(एच-1)चूरु/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चूरु।
3. उप वन संरक्षक, चूरु।
4. सहायक खनि अभियन्ता, चूरु को उनके पत्र क्रमांक 466 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
5. सर्वश्री जैन स्टोन कर्सिंग वर्कस-II, रणधीसर पहाड़ी, तहसील -सुजानगढ़, जिला-चूरु (राजस्थान)
6. रक्षित पत्रावली

CC-I  
*सोहन*  
09/09/2022

*sd*  
भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)


क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-50/1979/ 587

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 50/1979 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1898 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022

(सोहनलाल गुरु)

सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

**कार्यालय आदेश**

श्री सुरजाराम पुत्र श्री उमाराम निवासी-ग्राम डुंगरास अगुणा तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राजस्थान) के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ जिला चूरु में क्षेत्र 2800वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 500/- प्रति वर्ष की दर से संविदा पंजीयन की तिथी से 10 वर्ष के लिए कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश कमांक खअ/बीके/एम.एम.एल./05/81/736 दिनांक 28.04.1981 द्वारा स्वीकृत होकर अवधि दिनांक 14.08.1981 से 13.08.1991 के लिए प्रभावी हुआ। खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश कमांक 711-719 दिनांक 28.07.1990 के द्वारा खननपट्टा का हस्तांतरण श्री झूमरमल खिलेरी पुत्र श्री अमराराम खिलेरी, निवासी- डुंगरास अगुणा, तहसील- सुजानगढ, जिला-चूरु (राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत हुआ। खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 161/1990 अवधि दिनांक 14.08.1991 से 13.08.2001 तक के लिए कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर वृत्त, बीकानेर कार्यालय के आदेश कमांक 571 दिनांक 05.07.1991 के तहत स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 40/2000 अवधि दिनांक 14.08.2001 से 13.08.2021 तक के लिए दिनांक 11.08.2000 को खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय में आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा तत्समय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 13.08.2031 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 68,600/- है।

इस कार्यालय के आदेश कमांक अखअ/बीका/ अप्र/एमएल-161/1990/2553 दिनांक 24.11.2021 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण सर्वश्री अम्बे माईन्स एण्ड मिनरल्स, पता- खसरा नं.- 634/344, निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु पट्टाधारी को चेतना पत्र संख्या 75 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पट्टेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

- 1- खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया।
- 2- खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।
- 3- खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पट्टाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 29.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नहीं हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरु द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 2800वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंसा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र कमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

*sd-*  
भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

कमांक/सम/ 1911

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र कमांक: निदे/प. 2(एच-1)चूरु/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरु को उनके पत्र कमांक 488 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चूरु।
5. सर्वश्री अम्बे माईन्स एण्ड मिनरल्स, पता- खसरा नं.- 634/344, निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरु।
6. रक्षित पत्रावली

CC-I

*सिद्ध*  
09/09/2022

*sd*  
भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-161/1990/580

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 161/1990 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1911 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022  
(सोहनलाल गुरु)

सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

**कार्यालय आदेश**

श्री सुरजाराम पुत्र श्री पूरणराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी देगां पोस्ट रूपलीसर, तहसील- सरदारशहर जिला चूरु के पक्ष में सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक खअ/श्रीगंगा/एम.एल.एल./74/78/695 दिनांक 26.02.1979, क्षेत्रफल 4916वर्गमीटर का खननपट्टा एम.एल. 74/78 वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील-सुजानगढ़, जिला-चूरु में रु. 860.30 वार्षिक स्थिर भाटक पर संविदा पंजीयन से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया। संविदा का पंजीयन दिनांक 31.07.1979 को हुआ। इस प्रकार उक्त खननपट्टा दिनांक 31.07.1979 से 30.07.1989 के लिए प्रभाव में आया।

कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1267 दिनांक 19.09.1981 द्वारा उक्त खननपट्टा का हस्तांतरण मैसर्स पूनियों बैलास्ट सप्लायर्स प्रो. श्री भंवरलाल पूनिया पुत्र श्री सुगनाराम पूनिया, निवासी- रणधीसर पहाड़ी, तहसील- सुजानगढ़, जिला-चूरु के पक्ष में स्वीकृत किया गया। खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण आवेदन पत्र एम.एल. 8/1989 अवधि दिनांक 31.07.1989 से 30.07.1999 तक के लिए दिनांक 20.01.1989 को कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर में प्रस्तुत किया गया। खननपट्टा का द्वितीय नवीनीकरण आवेदन पत्र एम.एल. 4/1999 अवधि दिनांक 31.07.1999 से 30.07.2019 तक के लिए दिनांक 10.03.1999 को कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर में प्रस्तुत किया गया। उक्त खननपट्टा तत्समय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 30.07.2029 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 1,05,000/- है।


सहायक खनि अभियन्ता, चूरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु पट्टाधारी को चेतना पत्र संख्या 59 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पट्टेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1- खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया।  
2- खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

3- खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पट्टाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाब दिनांक 18.07.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नहीं हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरु द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 4916वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

  
भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांक/सम/ 1890

दिनांक: 9.9.2022

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक: निदे/प.2(एच-1)चूरु/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चूरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चूरु को उनके पत्र क्रमांक 490 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चूरु।
5. मैसर्स पूनियों बैलास्ट सप्लायर्स प्रो. श्री भंवरलाल पूनिया पुत्र श्री सुगनाराम पूनिया, निवासी- रणधीसर पहाड़ी, तहसील- सुजानगढ़, जिला-चूरु(राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चूरु।
6. रक्षित पत्रावली

cc-I  
  
09/09/2022

  
भीमसिंह  
अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT. OF RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)


क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-74/1978/ 596

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 74/1978 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1890 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022

(सोहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी-84, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।  
क्रमांक:अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एल. 36/1986/ दिनांक: .2022

कार्यालय आदेश

श्री चम्पालाल पुत्र श्री जेठमल प्रजापत, निवासी पड़िहारा के पक्ष में खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट, क्षेत्रफल 5523 वर्गमीटर निकट ग्राम रणधीसर पहाड़ी, तहसील सुजानगढ़ में खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एम.एल./48/80/442-487 दिनांक 17.02.1981 से स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का पंजीयन दिनांक 18.09.1981 को हुआ। इस प्रकार इस खनन पट्टे की अवधि दिनांक 18.09.1981 से 17.09.1986 तक थी। खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एम.एल.-36/86/1706 दिनांक 10.09.1991 से प्रथम नवीनीकरण अवधि दिनांक 18.09.1986 से 17.09.1996 के लिये स्वीकृत किया गया। खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक/खअ/बीका/नवीनी/एम.एम.एल.-36/86/1344 दिनांक 02.07.94 से खननपट्टा का हस्तान्तरण मैसर्स पूजा स्टोन बैलास्ट, रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चूरु के पक्ष में स्वीकृत किया गया। पट्टाधारी द्वारा द्वितीय नवीनीकरण एम.एम.एल. 65/1995 दिनांक 18.09.1995 को अवधि दिनांक 18.09.1996 से 17.09.2016 तक के लिए आवेदित किया गया। पट्टाधारी द्वारा तृतीय नवीनीकरण एम.एम.एल. 04/2016 दिनांक 20.10.2016 को अवधि दिनांक 18.09.2016 से 17.09.2036 तक के लिए आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 17.09.2031 तक स्वतः ही बढ़ी हुई मानी गयी। उक्त खननपट्टे का हस्तान्तरण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/अप्र/एम.एल./36/86/3564 दिनांक 05.10.2017 द्वारा सर्वश्री अंबिका स्टोन बैलास्ट सप्लायर्स, रणधीसर, तहसील- सुजानगढ़, जिला-चूरु (राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 37,827/- है।

सहायक खनि अभियन्ता, चूरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु पट्टाधारी को चेतना पत्र संख्या 55 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पट्टेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1-खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

2- खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पट्टाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाब दिनांक 28.7.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नहीं हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरु द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 5523वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंसा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

- 21 -

भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

क्रमांक/सम/ 1940

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक: निदे/प.2(एच-1)चूरु/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चूरु।
3. उप वन संरक्षक, चूरु।
4. सहायक खनि अभियन्ता, चूरु को उनके पत्र क्रमांक 428 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
5. सर्वश्री अंबिका स्टोन बैलास्ट सप्लायर्स, रणधीसर, तहसील- सुजानगढ़, जिला-चूरु (राजस्थान)।
6. रक्षित पत्रावली

cc-I  
09/09/2022

- 21 -

भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in


क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-36/1986/ 589

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 36/1986 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1940 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022  
(सोहनलाल पुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी-84, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।  
कमांक:अखअ/बीका/अप्र/घूरु/एम.एल 92/1978/ दिनांक: 2022

कार्यालय आदेश

श्री कुम्हाराम पुत्र देवाराम जाट, निवासी-खारिया मोटा, पोस्ट-सालासर, तहसील गुजानगढ जिला- घूरु के पक्ष खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट, निकट ग्राम-रणधीसर, तहसील-गुजानगढ, जिला-घूरु (राजस्थान) क्षेत्रफल 4.000वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 875/- की दर पर सविदा पंजीयन की तिथि से 10 वर्ष के लिए कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगगानगर के आदेश कमांक अखअ/भीगमा/एम.एल./92/1978/307 दिनांक: 31.01.1979 द्वारा स्वीकृत किया गया। सविदा पंजीयन दिनांक 30.03.1979 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 30.03.1979 से 29.03.1989 तक के लिए प्रभाव में आया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 36/1988 दिनांक 01.10.1988 को अवधि दिनांक 30.03.1989 से 29.03.1999 हेतु आवेदित किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 5/1999 दिनांक 10.03.1999 को अवधि दिनांक 31.03.1999 से 30.03.2017 हेतु आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1988 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। पट्टाधारी का स्वर्गवास 29.05.2007 को होने पर कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश कमांक अखअ/बीका/अप्र/1308 दिनांक 12.09.2008 द्वारा उक्त खननपट्टा सत्यनारायण पूनियाँ पुत्र श्री सुगनाराम पूनियाँ, निवासी-पडिहारा, तहसील-सुजानगढ, जिला-घूरु(राजस्थान) के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 29.03.2029 तक स्वतः ही बढी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 1,05,000/- है। कार्यालय अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर जोन, जोधपुर के आदेश कमांक अनिखास/जोध/घूरु/एम.एल./92/1978/2498 दिनांक 07.11.2019 द्वारा खननपट्टा का हस्तांतरण श्री बाबूलाल पूनियाँ पुत्र श्री सुगनाराम पूनियाँ, निवासी-सागर रोड, जाट छात्रावास के सामने, तिलक नगर, बीकानेर(राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

सहायक खनि अभियन्ता, घूरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु पट्टाधारी को चेतना पत्र संख्या 72 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पट्टेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

- 1-खनन कार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया।
- 2- खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।
- 3- खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।
- 4-खननपट्टा की बाहरी तारबंदी किया जाना नहीं पाया गया।

पट्टाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाब दिनांक 18.07.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नहीं हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, घूरु द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 4000वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुसंधान की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र कमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, घूरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जमा करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त, बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

कमांक/सम/ 1995

प्रतिलिपी-निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र कमांक निदेश/ प 2(एच-1)घूरु/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलेक्टर, घूरु।
3. उप सन संचालक, घूरु।
4. सहायक खनि अभियन्ता, घूरु को उनके पत्र कमांक 482 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
5. श्री बाबूलाल पूनियाँ पुत्र श्री सुगनाराम पूनियाँ, निवासी-सागर रोड, जाट छात्रावास के सामने, तिलक नगर, बीकानेर(राजस्थान)।
6. रक्षित प्रभावली

CC-3  
09/09/2022

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त, बीकानेर।

GOVT. OF RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-92/1978/ 577

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 92/1978 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1995 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022  
(सोहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)  
Office of the Supdt. Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner  
(Rajasthan) Tel. no 0151-2226611

E-mail- [sme.bikaner@rajasthan.gov.in](mailto:sme.bikaner@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एम.एल.-32/1988/

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

श्री निरंजन लाल पुत्र श्री भंवरलाल शर्मा, निवासी- सुजानगढ, तहसील-सुजानगढ, जिला-चुरु के पक्ष में खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण अवधि दिनांक 06.03.1979 से 05.03.1989 एम.एल. 78/1978 खनिज स्टोन बैलांस्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ जिला-चुरु क्षेत्रफल 3500वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 2725/- पर कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 20-23 दिनांक 24.01.1979 द्वारा स्वीकृत हुआ। खननपट्टे की द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 32/88 अवधि दिनांक 06.03.1989 से 05.03.1999 तक के लिए दिनांक 16.09.1988 को आवेदित किया गया। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 729 दिनांक 31.10.1988 द्वारा खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण स्वीकृत किया गया।

खननपट्टे का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 11/98 अवधि दिनांक 06.03.1999 से 05.03.2019 तक के लिए दिनांक 20.03.1998 को आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा तत्समय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढी हुई अवधि में प्रभावशील रहा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 73,069/- है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 86 दिनांक 03.06.2022 जारी किया। जो कि पट्टाधारी को दिनांक 12.06.2022 को तामिल हुआ।

1. यह कि देय राशि रुपये 1,53,48,873/-आपके विरुद्ध बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने में आप असफल रहे हैं। यह संविदा की धारा की धारा 4(3)(4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लंघन है।

पट्टाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नहीं करने के कारण एवं वर्तमान में पट्टेधारी के विरुद्ध राशि मय ब्याज रुपये 1,53,67,140 /-बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये है। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2475 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-  
भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

क्रमांकसम/ 1801

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 2475 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरु को उनके पत्र क्रमांक 431 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरु।
5. श्री निरंजन शर्मा पुत्र स्व. श्री भंवरला शर्मा, निवासी नया बास, सुजानगढ, तहसील सुजानगढ जिला चुरु द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरु

CC-I  
श्री  
09/09/2022

भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)


क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-32/1988/583

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 32/1988 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1801 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
21/09/2022  
(सोहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

क्रमांक:- अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एम.एल.-11/1978/

दिनांक :-

**कार्यालय आदेश**

श्री पूराराम पुत्र श्री धन्नाराम हरिजन, निवासी- नापासर, जिला-बीकानेर के पक्ष में खननपट्टा एम. एल. 11/1978, खनिज-स्टोन बैलास्ट, क्षेत्रफल 3052वर्गमीटर, निकट ग्राम-रणधीसर, तहसील-सुजानगढ, जिला-चुरु के पक्ष में कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल./11/1978/378 दिनांक 09.03.1978 द्वारा संविदा पंजीयन की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया। संविदा का पंजीयन दिनांक 26.04.1978 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा की अवधि दिनांक 26.04.1978 से 25.04.1988 तक के लिए स्वीकृत हुआ। कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीके/एम.एम.एल. 11/1978/779 दिनांक 04.05.1981 द्वारा खननपट्टे का हस्तांतरण सर्वश्री पी.जी. स्टोन केशिंग इण्डस्ट्रीज, गजनेर रोड़, बीकानेर के पक्ष में स्वीकृत हुआ। खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 58/1987 दिनांक 31.10.1987 को अवधि दिनांक 27.04.1988 से 26.04.1998 व द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 17/1998 दिनांक 23.04.1998 को अवधि दिनांक 27.04.1998 से 26.04.2018 तक के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

उक्त खननपट्टा तत्समय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 26.04.2028 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 49,000/- है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 88 दिनांक 03.06.2022 जारी किया। जो कि पट्टाधारी को दिनांक 12.06.2022 को तामिल हुआ।

1. यह कि देय राशि रुपये 59,82,809/-आपके विरुद्ध बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने में आप असफल रहे हैं। यह संविदा की धारा की धारा 4(3)(4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लंघन है।

पट्टाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नहीं करने के कारण एवं वर्तमान में पट्टेधारी के विरुद्ध राशि मय ब्याज रुपये 59,95,059 /-बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये है। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2479 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

*sd-*  
भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

क्रमांकसम/ 1783

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 2479 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरु को उनके पत्र क्रमांक 441 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरु।
5. सर्वश्री पी.जी. स्टोन केशिंग इण्डस्ट्रीज, निवास:- पार्वती सदन, गजनेर रोड़, बीकानेर, जिला-बीकानेर द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरु

*cc I*  
*सीएस*  
*09/09/2022*

*sd*  
भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT. OF RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamea,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांक- सखअ/चूरु/अप/एम.एल. 11/1978/ 561

दिनांक - 12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय- खननपट्टा एम.एल. 11/1978 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1783 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022

(सोहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी-64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।  
कमांक:अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एल. 74/1982/ दिनांक: 2022

**कार्यालय आदेश**

सर्वश्री जैन स्टोन क्रेसिंग वर्क्स-1, प्रो0 श्री चैनरूप पाटनी निवासी-सुजानगढ़, जिला-चुरु के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम-रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरु क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 1620/- पर संविदा निष्पादन से 05 वर्ष के लिये कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के आदेश कमांक अखअ/श्रीगंगा/एम.एल./15/1978/1598 दिनांक: 31.07.1978 द्वारा प्रथम नवीनीकरण अवधि दिनांक 01.07.1978 से 30.06.1983 हेतु स्वीकृत किया गया। खननपट्टा का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 74/1982 अवधि दिनांक 01.07.1983 से 30.06.1993 तक के लिये कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश कमांक अखअ/बीका/एमएमएल/74/82/1762 दिनांक 08.02.1991 द्वारा स्वीकृत किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 29/1993 दिनांक 24.02.1993 को अवधि दिनांक 01.07.1993 से 30.06.2003 तक के लिए आवेदित किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का चतुर्थ नवीनीकरण एम.एल. 21/2003 दिनांक 26.05.2003 को अवधि दिनांक 01.07.2003 से 30.06.2023 तक के लिए आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ी हुई मानी गयी। इस कार्यालय के आदेश कमांक अखअ/बीका/चुरु/एम.एल./74/82/403 दिनांक 31.01.2018 द्वारा खननपट्टा श्रीमति फूली पत्नि स्व0 श्री पूराराम जाति जाट, निवासी-बाधसरा पूर्वी, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरु के पक्ष में हस्तान्तरण स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात इस कार्यालय के आदेश कमांक अखअ/बीका/चुरु/एम.एल./74/82/2973 दिनांक 12.06.2019 द्वारा खननपट्टा श्री राधेश्याम पुत्र श्री नत्थूराम जाट, निवासी-96, भंवर सिंह की कोठारी, बोधियावास, पड़िहारा, तहसील-रतनगढ़, जिला चुरु(राजस्थान) के पक्ष में हस्तान्तरण स्वीकृत किया गया। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 58,990/- है।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु पट्टाधारी को चेतना पत्र संख्या 71 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पट्टेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

- 1- खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया।
- 2- खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।
- 3- खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पट्टाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाब दिनांक 14.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नहीं हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरु द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 5000वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंसा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र कमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-

भीमसिंह  
अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

कमांक/सम/ 1959

दिनांक: 9.9.2022

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र कमांक: निदे/प. 2(एच-1)चुरु/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरु को उनके पत्र कमांक 458 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चुरु।
5. श्री राधेश्याम पुत्र श्री नत्थूराम जाट, निवासी-96, भंवर सिंह की कोठारी, बोधियावास, पड़िहारा, तहसील-रतनगढ़, जिला चुरु(राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरु।
6. रक्षित पत्रावली

CC-I

9  
09/09/2022

भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-74/1982/ 563

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 74/1982 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1959 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022  
(सोहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी-64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।  
क्रमांक:अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एल. 73/1977/ दिनांक: .2022

कार्यालय आदेश

श्री गणेशाराम पुत्र श्री तेजाराम मेघवाल, निवासी-बड़ी जसोलाई, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में क्षेत्र 1575वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 437.50 की दर पर संविदा पंजीयन की तिथी से 10 वर्ष के लिए कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एमएमएल/73/1977/1420- 1424 दिनांक 22.12.1977 स्वीकृत हुआ। संविदा का पंजीयन दिनांक 27.04.1978 को हुआ। अतः खननपट्टा अवधि दिनांक 27.04.1978 से 26.04.1988 के लिए प्रभाव में आया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 59/1987 अवधि दिनांक 27.04.1988 से 26.04.1998 तक के लिए दिनांक 26.10.1987 को कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर में आवेदित किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 16/1998 अवधि दिनांक 27.04.1998 से 26.04.2018 तक के लिए दिनांक 23.04.1998 को कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर में आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। कार्यालय अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर जोन, जोधपुर के आदेश क्रमांक अनिखा/जोध /अप्र/चुरु/एम.एल./73/77/रणधीसर/2018 /1696 दिनांक 31.05.2018 द्वारा खननपट्टा का नामान्तरण श्री शंकरलाल पुत्र स्व० श्री गणेशाराम मेघवाल, निवासी-बड़ी जसोलाई, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर के पक्ष में स्वीकृत किया गया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 26.04.2028 तक स्वतः ही बढ़ी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 54951/- है।

सहायक खनि अभियन्ता, चूरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु पट्टाधारी को चेतना पत्र संख्या 76 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पट्टेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1- खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

2- खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पट्टाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाब दिनांक 16.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नहीं हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरु द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 1575वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंसा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-  
भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांकसम/1855

दिनांक: 9.9.22

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक: निदे/प.2(एच-1)चुरु/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चूरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चूरु को उनके पत्र क्रमांक 474 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चूरु।
5. श्री शंकरलाल पुत्र स्व० श्री गणेशाराम मेघवाल, निवासी-बड़ी जसोलाई, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर(राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चूरु।
6. रक्षित पत्रावली

cc-I  
9  
28/9  
09/09/2022

भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)


क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-73/1977/ 559

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 73/1977 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1855 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022  
(सोहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी-64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।  
क्रमांक:अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एल. 15/1980/ दिनांक: 2022

### कार्यालय आदेश

श्री मुन्शीराम पुत्र श्री निकूराम चमार निवासी-वार्ड नं. 7, भादरा, तहसील-भादरा, जिला-हनुमानगढ़ (राजस्थान) के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में क्षेत्र 5000वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 875/- प्रति वर्ष की दर से 10 वर्ष के लिए कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश क्रमांक अखअ/बीके/एम.एल. 15/80/820-24 दिनांक 11.05.1980 द्वारा संविदा पंजीयन तिथि से 10 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया। संविदा की पंजीयन दिनांक 04.11.1981 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 04.11.1981 से 03.11.1991 के लिए प्रभाव में आया। खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 138/1991 अवधि दिनांक 04.11.1991 से 03.11.2001 तक के लिए दिनांक 03.06.1991 को खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय में आवेदित किया गया। खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 49/2001 अवधि दिनांक 04.11.2001 से 03.11.2021 तक के लिए दिनांक 15.10.2001 को खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय में आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। खननपट्टे का नामान्तरण श्री रामेश्वर लाल पुत्र श्री मुन्शीराम चमार, निवासी- धोलपालिया, तहसील-भादरा, जिला-हनुमानगढ़(राजस्थान) के पक्ष में कार्यालय अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर जोन, जोधपुर के आदेश क्रमांक अनिखा/जोध/अप्र/नामा/चुरु/एमएल/15/1980/ 380 दिनांक 03.06.2021 द्वारा स्वीकृत किया गया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 03.11.2031 तक स्वतः ही बढ़ी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 68,600/- है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/अप्र/एमएल./15/1980/1009 दिनांक 03.08.2021 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण सर्वश्री जय माँ स्टोन, रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चूरु (राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया।


सहायक खनि अभियन्ता, चूरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु पट्टाधारी को चेतना पत्र संख्या 53 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पट्टेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1- खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कामिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

2- खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पट्टाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाब दिनांक 29.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नहीं हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरु द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 5000वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पुष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशांषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जमा करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

  
भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

क्रमांक/सम/ 1918

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक: निदे/प.2(एच-1)चुरु/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चूरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चूरु को उनके पत्र क्रमांक 472 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चूरु।
5. सर्वश्री जय माँ स्टोन, रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चूरु(राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चूरु।
6. रक्षित पत्रावली

CC-I  
  
09/09/2022

  
भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-15/1980/ 566

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 15/1980 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1918 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022  
(सोहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी-64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।  
कमांक:अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एल. 101/1977/ दिनांक: 2022

**कार्यालय आदेश**

श्री पन्ना लाल भाम्भी पुत्र श्री बालूराम भाम्भी, निवासी जायल, तहसील-जायल, जिला नागौर के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम-रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु क्षेत्रफल 3600वर्गमीटर स्थिर भाटक 630/- संविदा निष्पादन से 10 वर्ष के लिये कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश कमांक खअ/बीके/एम.एल./101/1977/01-06 दिनांक: 02.01.1978 द्वारा स्वीकृत किया गया। संविदा का पंजीयन 07.01.1978 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 07.01.1978 से 06.01.1988 तक प्रभाव में आया। खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 56/1987 दिनांक 08.10.1987 को अवधि दिनांक 07.01.1988 से 06.01.1998 तक के लिये आवेदित किया गया। खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण हेतु दिनांक 21.08.1998 को अवधि दिनांक 07.01.1998 से 06.01.2018 तक के लिये आवेदित किया गया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 06.01.2028 तक स्वतः ही बढ़ी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 31,213/- है। इस कार्यालय के आदेश कमांक अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एल./101/77/3279 दिनांक 08.09.2017 द्वारा खननपट्टा का हस्तांतरण श्रीमति ममता देवी पत्नि श्री नरेन्द्र कुमार जाति जाट, निवासी-3 एच.डी.पी. (हरदयालपुरा), तहसील- पीलीबंगा, जिला-हनुमानगढ़ (राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

सहायक खनि अभियन्ता, चूरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु पट्टाधारी को चेतना पत्र संख्या 84 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पट्टेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1-खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

2- खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पट्टाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाब दिनांक 29.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नहीं हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरु द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 3600वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंसा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र कमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जम्मा करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-

भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

कमांक/सम/ 1932

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र कमांक: निदे/प.2(एच-1)चूरु/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चूरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चूरु को उनके पत्र कमांक 426 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चूरु।
5. श्रीमति ममता देवी पत्नि श्री नरेन्द्र कुमार जाति जाट, निवासी-3 एच.डी.पी.(हरदयालपुरा), तहसील-पीलीबंगा, जिला-हनुमानगढ़ (राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चूरु।
6. रक्षित पत्रावली

CC-I

सीई  
09/09/2022

भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT. OF RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mehalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)


क्रमांक- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-101/1977/ 565

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एम. 101/1977 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1932 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।



(सोहनलाल गुरु)

सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

कार्यालय आदेश

श्री जोराराम पुत्र श्री अमरा राम रैगर, निवासी-बीदासर, जिला-चुरु के पक्ष में एक खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट, निकट ग्राम रणधीसर पहाड़ी, तहसील सुजानगढ़ क्षेत्रफल 2616.90वर्गमीटर हेतु खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एल./82/76/2008 दिनांक 19.11.1976 द्वारा संविदा पंजीयन तिथि से 5 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया। संविदा का पंजीयन दिनांक 02.01.1979 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 02.01.1979 से 01.01.1984 के लिए प्रभाव से आया। खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 71/1983 कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/नवीनी/एम.एल./71/83/1645 दिनांक 06.02.1991 अवधि 02.01.1984 से 01.01.1994 तक के लिये स्वीकृत किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 44/1993 दिनांक 21.05.1993 को अवधि दिनांक 02.01.1994 से 01.01.2004 हेतु आवेदित किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 24/2003 दिनांक 14.07.2003 को अवधि दिनांक 02.01.2004 से 01.01.2024 हेतु आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 01.01.2029 तक स्वतः ही बढ़ी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 59,104/- है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/अप्र/एम.एल./71/83/2261 दिनांक 20.07.2017 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण श्री मंगतूराम पुत्र श्री भीखाराम डूडी, निवासी-छापर, तहसील- सुजानगढ़, जिला-चुरु (राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु पट्टाधारी को चेतना पत्र संख्या 57 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पट्टेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

- 1- खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।
- 2- खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पट्टाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाब दिनांक 16.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नहीं हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरु द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 2616.90वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशांषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

*sdh*  
(भीमसिंह)

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 09.09.2022

क्रमांक/सम/ 1988

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक: निदे/प.2(एच-1)चुरु/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरु।
3. उम वन संरक्षक, चुरु।
4. सहायक खनि अभियन्ता, चुरु को उनके पत्र क्रमांक 450 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
5. श्री मंगतूराम पुत्र श्री भीखाराम डूडी, निवासी-छापर, तहसील- सुजानगढ़, जिला-चुरु (राजस्थान)
6. रक्षित पत्रावली

cc - I  
*sdh*  
09/09/2022

*sdh*  
अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)


क्रमांक:- सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल-71/1983/ 596

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 71/1983 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ,  
जिला-चूरू के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1988 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022

(सोहनलाल गुरु)

सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरू(राजस्थान)


**कार्यालय आदेश**

श्री नोपाराम पुत्र श्री देवाराम मेघवाल, निवासी-रणधीसर पहाड़ी, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु के पक्ष में एम.एल. 57/1978 खनिज-स्टोन बैलास्ट, क्षेत्रफल 900 वर्गमीटर, निकट ग्राम-रणधीसर पहाड़ी, तहसील-सुजानगढ़, जिला चूरु में संविदा पंजीयन तिथि से 5 वर्ष के लिए सहायक खनि अभियन्ता, श्री गंगानगर के आदेश क्रमांक 3051 दिनांक 22.12.1978 द्वारा स्वीकृत किया गया। संविदा का पंजीयन दिनांक 15.01.1979 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 15.01.1979 से 14.01.1984 तक के लिए प्रभावी रहा। खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एल. एल.-74/83/800-804 दिनांक 04.06.1991 अवधि दिनांक 15.01.1984 से 14.01.1994 तक के लिए स्वीकृत किया गया। खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एल.एल.-74/83/2796 दिनांक 07.10.1993 द्वारा उक्त खननपट्टा का नामांतरण श्रीमति पारकी देवी पत्नि स्व० नोपाराम मेघवाल, निवासी-रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चूरु के पक्ष में स्वीकृत किया गया। खननपट्टा का द्वितीय नवीनीकरण आवेदन एम.एल. 63/1993 अवधि दिनांक 15.01.1994 से 14.01.2004 तक के लिए दिनांक 01.10.1993 को प्रस्तुत किया गया। खननपट्टा का तृतीय नवीनीकरण आवेदन एम.एल. 36/2003 अवधि दिनांक 15.01.2004 से 14.01.2024 तक के लिए दिनांक 12.12.2003 को प्रस्तुत किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 14.01.2029 तक स्वतः ही बढ़ी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 49,000/- है। पट्टाधारी को खननपट्टे के संबंध में एनवायरमेंट क्लियरेंस प्राप्त करने हेतु नोटिस क्रमांक सखअ/चुरु/एम.एल.एल.-36/2003/दिनांक 833 दिनांक 30.07.2015 जारी किया गया, जो पट्टाधारी प्रतिनिधि को दिनांक 10.08.2015 को तामिल कराया गया, जिसकी पालना अभी तक नहीं हुई है।

निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 22.12.2021 अनुसार खननपट्टा स्थल के सीमा स्तम्भ, वृक्षारोपण, सुरक्षा संबंधी चारदिवारी या तारबन्दी/फेंसिंग, सूचना पट्ट लगाने की पालना करने हेतु नोटिस दिनांक 22.12.2021 जारी किया गया। जो पट्टाधारी प्रतिनिधि को दिनांक 03.01.2022 को तामिल कराया गया। उक्त नोटिस की पालना अभी तक नहीं हुई है।

चेतना पत्र दिनांक 30.07.2015 व 21.12.2021 की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरु द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 900वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंसा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जम्मा करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

  
(भीमसिंह)


अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांकसम/ 1980

दिनांक: 9.9.2022

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक: निदे/प.2(एच-1)चुरु/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरु को उनके पत्र क्रमांक 486 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चुरु।
5. श्रीमति पारकी देवी पत्नि स्व० नोपाराम मेघवाल, निवासी-रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चूरु (राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरु।
6. रक्षित पत्रावली

  
अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

CC-5  
अ/5  
09/09/2022

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)


क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-74/1983/ 595

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 74/1983 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1980 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022

(सोहनलाल गुरु)

सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)  
Office of the Supdt. Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner  
(Rajasthan) Tel. no 0151-2226611  
E-mail- sme.bikaner@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एम.एल.-45/1978/

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

श्री इन्द्रचन्द गौल्यान पुत्र श्री लीलाधर गौल्यान निवासी- 7 सी, ब्लॉक, श्रीगंगानगर के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम-रणधीसर, तहसील-सुजानगढ, जिला-चुरु में क्षेत्रफल 3500वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 1134/- पर कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:सखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल./45/1978/2458 दिनांक 28.10.1978 द्वारा अवधि दिनांक 27.01.1979 से 26.01.1989 तक के लिए प्रथम नवीनीकरण स्वीकृत किया गया।

पट्टाधारी द्वारा द्वितीय नवीनीकरण आवेदन पत्र एम.एम.एल. 35/1988 अवधि दिनांक 27.01.1989 से 26.01.1999 तक के लिए दिनांक 26.09.1988 को कार्यालय खनि अभियन्ता बीकानेर में आवेदित किया गया। पट्टाधारी द्वारा तृतीय नवीनीकरण आवेदन पत्र एम.एम.एल. 04/1998 अवधि दिनांक 27.01.1999 से 26.01.2019 तक के लिए दिनांक 21.01.1998 को कार्यालय खनि अभियन्ता बीकानेर में आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 1,02,976/- है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 90 दिनांक 03.06.2022 जारी किया। जो कि पट्टाधारी को डाक विभाग की वेबसाईट अनुसार दिनांक 13.06.2022 को तामिल हुई।

1. यह कि देय राशि रुपये 82,38,865/- आपके विरुद्ध बकाया है और निश्चित तिथी पर भुगतान करने में आप असफल रहे है। यह संविदा की धारा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लंघन है।

पट्टाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नहीं करने के कारण एवं वर्तमान में पट्टेधारी के विरुद्ध राशि मय ब्याज रुपये 82,64,609/-बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2469 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-

भीम सिंह  
अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

क्रमांकसम/ 1825

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 2469 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरु को उनके पत्र क्रमांक 483 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चुरु।
5. श्री इन्द्रचन्द गौल्यान पुत्र श्री लीलाधर गौल्यान, निवास:- 107, पैराडाईज अपार्टमेंट, डी-148, दुर्गा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, जिला-जयपुर- 302016 द्वारा स.ख.अ. चुरु।

CC - I

श्रीमान  
09/09/2022

-sd-

भीम सिंह  
अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)  
Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235  
E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)


क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-45/1978/ 593

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 45/1978 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1825 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022  
(सोहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं मू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)  
Office of the Supdt. Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner  
(Rajasthan) Tel. no 0151-2226611

E-mail- [sme.bikaner@rajasthan.gov.in](mailto:sme.bikaner@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एम.एल.-54/1978/

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

श्री दीपाराम पुत्र श्री धन्नाराम मेघवाल के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलांस्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला-चुरु में कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 3085-90 दिनांक 22.07.1978 द्वारा संविदा पंजीयन से 10 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ। संविदा का पंजीयन दिनांक 29.08.1979 को हुआ। खननपट्टे की प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 17/89 अवधि दिनांक 29.08.1989 से 28.08.1999 तक के लिए दिनांक 08.03.1989 को आवेदित किया गया। खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 13/99 अवधि दिनांक 29.08.1999 से 28.08.2019 तक के लिए दिनांक 30.04.1999 को आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा तत्समय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा। पट्टाधारी की मृत्यु होने पर सहायक खनि अभियन्ता, चुरु के आदेश क्रमांक 2663 दिनांक 18.10.2016 से उक्त खननपट्टा श्रीमति मैना देवी पत्नि श्री गिरधारी लाल मेघवाल, निवासी- रणधीसर पहाड़ी, तहसील- सुजानगढ़, जिला-चुरु के नाम से नामान्तरण स्वीकृत किया गया।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 28.08.2029 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 34,834/- है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 85 दिनांक 03.06.2022 जारी किया। जो कि पट्टाधारणी को दिनांक 03.06.2022 को ही तामिल हुआ।

1. यह कि देय राशि रुपये 77,82,923/-आपके विरुद्ध बकाया है और निश्चित तिथी पर भुगतान करने में आप असफल रहे हैं। यह संविदा की धारा की धारा 4(3)(4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लंघन है।

पट्टाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नहीं करने के कारण एवं वर्तमान में पट्टेधारणी के विरुद्ध राशि मय ब्याज रुपये 77,91,632/-बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये है। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2485 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जप्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

- श्री -  
भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

क्रमांकसम/ 1777

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 2485 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरु को उनके पत्र क्रमांक 439 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरु।
5. श्रीमति मैना देवी, निवासी रणधीसर पहाड़ी, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरु द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरु

cc-I

श्रीमति  
09/09/2022

- श्री -  
भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)


क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-54/1978/ 594

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 54/1978 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1777 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।



(सोहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)  
Office of the Supdt. Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner  
(Rajasthan) Tel. no 0151-2226611

E-mail- sme.bikaner@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एम.एल.-44/1978/

दिनांक :-

**कार्यालय आदेश**


श्री इन्द्रचन्द गोल्यान पुत्र श्री लीलाधर गोल्यान निवासी- 7 सी, ब्लॉक, श्रीगंगानगर के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम-रणधीासर, तहसील-सुजानगढ, जिला-चुरु में क्षेत्रफल 5000वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 1620/- पर संविदा पंजीयन की तिथि से 05 वर्ष के लिए कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल./44/1978/2452 दिनांक 28.10.1978 द्वारा अवधि दिनांक 27.01.1979 से 10 वर्ष के लिए प्रथम नवीनीकरण स्वीकृत किया गया।

पट्टाधारी द्वारा द्वितीय नवीनीकरण आवेदन पत्र एम.एम. 34/1988 दिनांक 26.09.1988 को कार्यालय खनि अभियन्ता बीकानेर में आवेदित किया गया। पट्टाधारी द्वारा तृतीय नवीनीकरण आवेदन पत्र एम.एम. 03/1998 दिनांक 21.01.1998 को कार्यालय खनि अभियन्ता बीकानेर में आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 1,05,000/- है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 89 दिनांक 03.06.2022 जारी किया। जो कि पट्टाधारी को डाक विभाग की वेबसाईट अनुसार दिनांक 13.06.2022 को तामिल हुई।

2. यह कि देय राशि रुपये 1,90,38,393/- आपके विरुद्ध बकाया है और निश्चित तिथी पर भुगतान करने में आप असफल रहे हैं। यह संविदा की धारा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लंघन है।

पट्टाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नहीं करने के कारण एवं वर्तमान में पट्टेधारी के विरुद्ध राशि मय ब्याज रुपये 1,90,64,643/-बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये हैं। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2483 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

  
श्रीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।


दिनांक: 9.9.2022


क्रमांकसम/1789

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 2483 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरु को उनके पत्र क्रमांक 433 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरु।
5. इन्द्रचन्द गोल्यान पुत्र श्री लीलाधर गोल्यान, निवास:- 107, पैराडाईज अपार्टमेंट, डी-148, दुर्गा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, जिला-जयपुर द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरु

cc - I

  
09/09/2022

  
श्रीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)


क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-44/1978/ 592

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एम. 44/1978 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1789 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12-09/2022

(सोहनलाल गुरु)

सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)  
Office of the Supdt. Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner  
(Rajasthan) Tel. no 0151-2226611

E-mail- [sme.bikaner@rajasthan.gov.in](mailto:sme.bikaner@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एम.एल.-52/1990/

दिनांक :-

कार्यालय आदेश


सर्वश्री श्याम ग्रीट उत्पादक कम्पनी, सुजानगढ़ के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलांस्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला-चुरु क्षेत्रफल 5461.60वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 956/- पर कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 906 दिनांक 24.09.1980 द्वारा संविदा पंजीयन से 10 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ। संविदा का पंजीयन दिनांक 31.12.1980 को हुआ। खननपट्टे की प्रथम नवीनीकरण एम.एम.एल. 52/90 अवधि दिनांक 31.12.1990 से 30.12.2000 तक के लिए दिनांक 27.06.1990 को आवेदित किया गया। कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 295 दिनांक 01.05.1991 द्वारा खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण स्वीकृत किया गया। कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 4224 दिनांक 16.11.1992 द्वारा खननपट्टा का हस्तांतरण श्री योगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री निरंजन शर्मा, निवासी- झंवर रोड़, नया बास, सुजानगढ़, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चुरु के पक्ष में स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एम.एल. 63/99 अवधि दिनांक 31.12.2000 से 30.12.2020 तक के लिए दिनांक 30.12.1999 को आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा तत्समय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 30.12.2030 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 68,600/- है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 82 दिनांक 03.06.2022 जारी किया। जो कि पट्टाधारी को दिनांक 12.06.2022 को तामिल हुआ।

1. यह कि देय राशि रुपये 73,47,426/-आपके विरुद्ध बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने में आप असफल रहे हैं। यह संविदा की धारा की धारा 4(3)(4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लंघन है।

पट्टाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पालना निर्धारित समयवधि पश्चात भी नहीं करने के कारण एवं वर्तमान में पट्टेधारी के विरुद्ध राशि मय ब्याज रुपये 73,64,576/-बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2477 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

  
भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।


दिनांक: 09.9.2022

क्रमांकसम/ 1837

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 2477 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरु को उनके पत्र क्रमांक 447 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चुरु।
5. श्री योगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री निरंजन शर्मा, निवासी झंवर रोड़, नया बास सुजानगढ़, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरु द्वारा स.ख.अ. चुरु।

cc - I

  
09/09/2022

  
भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)


क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-52/1990/ 591

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 52/1990 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1837 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।



(सोहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)  
Office of the Supdt. Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan)  
Tel. no 0151-2226611

E-mail- [sme.bikaner@rajasthan.gov.in](mailto:sme.bikaner@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एम.एल.-60/1983/

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

श्री सेडूराम पुत्र श्री ओमप्रकाश, प्रो. श्री सेडूराम, रणधीसर के पक्ष में खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 20/1978, खनिज-स्टोन बैलास्ट, क्षेत्रफल 3000वर्गमीटर, निकट ग्राम-रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चुरु के पक्ष में कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल./20/1978/1610 दिनांक 31.07.1978 द्वारा अवधि दिनांक 31.10.1978 से 30.10.1983 तक के लिए स्वीकृत हुआ। कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीके/एम.एम.एल. 20/1978/1801 दिनांक 18.12.1981 द्वारा खननपट्टे का हस्तांतरण श्री ललित कुमार वर्मा पुत्र श्री हनुमानमल वर्मा, निवासी- लाडनूं जिला-नागौर के पक्ष में स्वीकृत हुआ। कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीके/एम.एम.एल. 60/1983/908 दिनांक 06.11.1990 द्वारा खननपट्टे का खननपट्टा का द्वितीय नवीनीकरण अवधि दिनांक 31.10.1983 से 30.10.1993 तक के लिए स्वीकृत किया गया। खननपट्टा का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 37/1993 दिनांक 15.04.1995 को अवधि दिनांक 31.10.1993 से 30.10.2003 व चतुर्थ नवीनीकरण एम.एल. 02/2002 दिनांक 05.04.2002 को अवधि दिनांक 31.10.2003 से 30.10.2023 तक के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त खननपट्टा तत्समय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 1,05,000/- है।

पट्टाधारी को उनके पते पर दिनांक 30.09.2019 तक की बकाया राशि रुपये 2,05,68,890/- जमा कराने हेतु चेतना पत्र 1795 दिनांक 04.09.2019 जारी किया गया। उक्त बकाया राशि के संबंध में बकायादार द्वारा एस.बी.सी.डब्ल्यू. 16668/2019 माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर की गयी। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा चेतना पत्र दिनांक 04.09.2019 पर "Meanwhile, No coercive measures shall be take by the respondents in pursuance of the notice of demand dated 04.09.2019" जारी किया गया।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 77 दिनांक 03.06.2022 जारी किया। जो कि पट्टाधारी को दिनांक 12.06.2022 को तामिल हुआ।

1. यह कि देय राशि रुपये 2,08,57,640/-आपके विरुद्ध बकाया है और निश्चित तिथी पर भुगतान करने में आप असफल रहे हैं। यह संविदा की धारा की धारा 4(3)(4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लंघन है।

इस संबंध में सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने यह उल्लेख किया है कि पट्टाधारी को जारी चेतना पत्र दिनांक 03.06.2022 की कुल राशि रुपये 2,08,57,640 /- में से राशि रुपये 2,05,68,890/- पर माननीय न्यायालय का स्थगन प्राप्त है। शेष स्थिर भाटक अवधि दिनांक 01.10.2019 से 30.06.2022 तक की राशि रुपये 2,88,750/- पर माननीय न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है। अतः उक्त राशि रुपये 2,88,750/- पट्टाधारी से विभाग द्वारा वसूलनीय है। जिसे पट्टाधारी द्वारा अभी तक जमा नहीं करवाया गया है साथ ही दिनांक 01.07.2022 से 30.09.2022 तक का स्थिर भाटक राशि रुपये 26250/-और बकाया हो जाने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने अपने पत्रांक 491 दिनांक 07.09.2022 से उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के प्रस्ताव पठाये है। श्रीमान अतिरिक्त

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)  
Office of the Supdt. Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan)  
Tel. no 0151-2226611

E-mail- [sme.bikaner@rajasthan.gov.in](mailto:sme.bikaner@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एम.एल.-60/1983/

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

श्री सेडूराम पुत्र श्री ओमप्रकाश, प्रो. श्री सेडूराम, रणधीसर के पक्ष में खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 20/1978, खनिज-स्टोन बैलास्ट, क्षेत्रफल 3000वर्गमीटर, निकट ग्राम-रणधीसर, तहसील-सुजानगढ, जिला-चुरु के पक्ष में कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल./20/1978/1610 दिनांक 31.07.1978 द्वारा अवधि दिनांक 31.10.1978 से 30.10.1983 तक के लिए स्वीकृत हुआ। कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीके/एम.एम.एल. 20/1978/1801 दिनांक 18.12.1981 द्वारा खननपट्टे का हस्तांतरण श्री ललित कुमार वर्मा पुत्र श्री हनुमानमल वर्मा, निवासी- लाडनूं जिला-नागौर के पक्ष में स्वीकृत हुआ। कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीके/एम.एम.एल. 60/1983/908 दिनांक 06.11.1990 द्वारा खननपट्टे का खननपट्टा का द्वितीय नवीनीकरण अवधि दिनांक 31.10.1983 से 30.10.1993 तक के लिए स्वीकृत किया गया। खननपट्टा का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 37/1993 दिनांक 15.04.1995 को अवधि दिनांक 31.10.1993 से 30.10.2003 व चतुर्थ नवीनीकरण एम.एल. 02/2002 दिनांक 05.04.2002 को अवधि दिनांक 31.10.2003 से 30.10.2023 तक के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त खननपट्टा तत्समय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 1,05,000/- है।

पट्टाधारी को उनके पते पर दिनांक 30.09.2019 तक की बकाया राशि रुपये 2,05,68,890/- जमा कराने हेतु चेतना पत्र 1795 दिनांक 04.09.2019 जारी किया गया। उक्त बकाया राशि के संबंध में बकायादार द्वारा एस.बी.सी.डब्ल्यू. 16668/2019 माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर की गयी। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा चेतना पत्र दिनांक 04.09.2019 पर "Meanwhile, No coercive measures shall be take by the respondents in pursuance of the notice of demand dated 04.09.2019" जारी किया गया।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 77 दिनांक 03.06.2022 जारी किया। जो कि पट्टाधारी को दिनांक 12.06.2022 को तामिल हुआ।

1. यह कि देय राशि रुपये 2,08,57,640/-आपके विरुद्ध बकाया है और निश्चित तिथी पर भुगतान करने में आप असफल रहे हैं। यह संविदा की धारा की धारा 4(3)(4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लंघन है।

इस संबंध में सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने यह उल्लेख किया है कि पट्टाधारी को जारी चेतना पत्र दिनांक 03.06.2022 की कुल राशि रुपये 2,08,57,640 /- में से राशि रुपये 2,05,68,890/- पर माननीय न्यायालय का स्थगन प्राप्त है। शेष स्थिर भाटक अवधि दिनांक 01.10.2019 से 30.06.2022 तक की राशि रुपये 2,88,750/- पर माननीय न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है। अतः उक्त राशि रुपये 2,88,750/- पट्टाधारी से विभाग द्वारा वसूलनीय है। जिसे पट्टाधारी द्वारा अभी तक जमा नहीं करवाया गया है साथ ही दिनांक 01.07.2022 से 30.09.2022 तक का स्थिर भाटक राशि रुपये 26250/-और बकाया हो जाने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने अपने पत्रांक 491 दिनांक 07.09.2022 से उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के प्रस्ताव पठाये है। श्रीमान अतिरिक्त

निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2493 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्द करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

  
भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

क्रमांकसम/ 1953

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 2493 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 491 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरू।
5. श्री ललित कुमार वर्मा पुत्र श्री हनुमानमल वर्मा, निवासी हनुमान कॉलोनी, पोस्ट लाडा, तहसील लाडनू जिला नागौर द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू।

cc-I



भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,

GOVT. OF RAJASTHAN  
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चुरू (राजस्थान)  
Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235  
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- सखअ/चुरू/अप्र/एम.एम.एल-60/1983/ 571

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 60/1983 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ,  
जिला-चुरू के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1953 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022  
(सोहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चुरू(राजस्थान)

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)  
Office of the Supdt. Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan)  
Tel. no 0151-2226611

E-mail- [sme.bikaner@rajasthan.gov.in](mailto:sme.bikaner@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एम.एल.-22/2003/ दिनांक :-

कार्यालय आदेश

सर्वश्री सेडूराम ओमप्रकाश प्रोपराईटर श्री सेडूराम, निवासी-रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चूरु(राजस्थान) के पक्ष में सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश क्रमांक सखअ/बीके/एम.एल/38/ 73/615/1545 दिनांक 24.08.1977 से खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट, क्षेत्र 2500वर्गमीटर निकट ग्राम रणधीसर, तहसील -सुजानगढ़, जिला- चूरु के पक्ष में अवधि दिनांक 31.10.1973 से 30.10.1978 तक के लिए स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का हस्तान्तरण श्री शंकर सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, रणधीसर पहाड़ी, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चूरु के पक्ष में सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 1753 दिनांक 30.08.1978 द्वारा स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 19/78 अवधि दिनांक 31.10.1978 से 30.10.1983 तक के लिए सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एल/19/78/1674 दिनांक 31.07.1978 द्वारा स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 33/83 अवधि दिनांक 31.10.1983 से 30.10.1993 तक के लिए खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एल/33/33/904 दिनांक 06.11.1990 द्वारा स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 34/93 अवधि दिनांक 31.10.1993 से 30.10.2003 तक के लिए तथा चतुर्थ नवीनीकरण एम.एल. 22/03 अवधि दिनांक 31.10.2003 से 30.10.2023 तक के लिए अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/अप्र/एम.एल/34/93 एवं 22/03/3705 दिनांक 31.12.2004 द्वारा स्वीकृत किया गया। खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/अप्र /एमएमएल/22/2003/2114 दिनांक 22.11.2010 द्वारा खननपट्टा श्री प्रतापसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री शंकर सिंह राजपुरोहित, निवासी-रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला- चूरु के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 1,05,000/- है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 128 दिनांक 07.06.2022 जारी किया।

1. आपके के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे का मौका पंचनामा दिनांक 08.02.2022 के अनुसार आप द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 4461 टन खनिज मैसेनरी स्टोन का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जिसकी माँग नियमानुसार रू. 15,61,350/- कायम की गई।

जिसकी पालना में पट्टाधारी द्वारा राशि रूपये 2,61,350/- दिनांक 22.06.2022 को राजकोष में जमा करवाये गये परन्तु नोटिस दिनांक 07.06.2022 की पूर्ण पालना निर्धारित समयावधि पश्चात् भी नहीं करने के कारण एवं वर्तमान में पट्टेधारी के विरुद्ध राशि मय ब्याज रूपये 13,00,000/-बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2481 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जम्मा करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-

भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

कमांकसम/ 1813

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र कमांक 2481 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरु को उनके पत्र कमांक 477 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरु।
5. श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह राजपुरोहित निवासी रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चुरु द्वारा स.ख.अ. चुरु।

CC-I

9/9/2022

38

भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)

कमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-22/2003/ 568

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 22/2003 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश कमांक 1813 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

12/09/2022

(सोहनलाल गुरु)

सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

राजस्थान सरकार  
GOVT. OF RAJASTHAN

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर (राजस्थान)  
Office of the Supdt. Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan)  
Tel. no 0151-2226611

E-mail- [sme.bikaner@rajasthan.gov.in](mailto:sme.bikaner@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एम.एल.-42/1978/

दिनांक :-

कार्यालय आदेश


श्री गोपीराम पुत्र श्री महादेव प्रसाद अग्रवाल, रानी बाजार, बीकानेर के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम-रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू क्षेत्रफल 4582 वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 1484.60 पर खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण अवधि दिनांक 27.01.1979 से 26.01.1989 तक के लिये कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एल./42/1978/2446 दिनांक: 28.10.1978 द्वारा स्वीकृत किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 27/1988 अवधि दिनांक 27.01.1989 से 26.01.1999 तक के लिए दिनांक 02.08.1988 को आवेदित किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 15/1999 अवधि दिनांक 27.01.1999 से 26.01.2019 तक के लिए दिनांक 10.05.1999 को आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा तत्समय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढी हुई अवधि में प्रभावशील रहा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ गई है। कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर वृत्त, बीकानेर के आदेश क्रमांक अखअ /बीका /अप्र / एमएल-42/78/410 दिनांक 31.01.2018 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण श्री मोंगीलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, निवासी छापर, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू(राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 49,000/- है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषों के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 136 दिनांक 01.06.2022 जारी किया।

1. आपके के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे का मौका पंचनामा दिनांक 05.03.2022 के अनुसार आप द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 3932 टन खनिज मैसेनरी स्टोन का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जिसकी मोंग नियमानुसार रू. 13,76,200/- कायम की गई।

जिसकी पालना में खनन पट्टाधारी द्वारा दिनांक 09.06.2022 को राशि रू. 1,00,000/- जमा करवाई गई परन्तु नोटिस दिनांक 01.06.2022 पूर्ण पालना नहीं कि गई है। पट्टाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पूर्ण पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नहीं करने के कारण एवं वर्तमान में पट्टेधारी के विरुद्ध राशि मय ब्याज रूपये 12,76,200/- बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2491 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अधिष्ठापन खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जप्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

  
भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।


दिनांक: 09.09.2022

कमांकसम/ 1849

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र कमांक 2491 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र कमांक 479 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरू।
5. श्री मॉगी लाल पुत्र श्री घीसाराम जाती जाट निवासी छापर तहसील सुजानगढ जिला चुरू द्वारा स.ख.अ. चुरू।

CC-I

  
09/09/2022

  
भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चुरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)


कमांक:- सखअ/चुरू/अप्र/एम.एम.एल-42/1978/ 569

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 42/1978 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ,  
जिला-चुरू के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश कमांक 1849 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022

(सोहनलाल गुरु)

सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चुरू(राजस्थान)

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)  
Office of the Supdt. Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan)  
Tel. no 0151-2226611

E-mail- [sme.bikaner@rajasthan.gov.in](mailto:sme.bikaner@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एम.एल.-75/1983/

दिनांक :-

**कार्यालय आदेश**

श्री बुधाराम पुत्र श्री भैराराम मेघवाल, निवासी रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु के पक्ष में सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर कार्यालय के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल.-35/78/1776 दिनांक 31.08.1978 द्वारा एक खनन पट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट क्षेत्रफल 1500वर्गमीटर निकटग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में वार्षिक स्थिरभाटक रूपये 437.50/- पर संविदा पंजीयन की तिथि से 5 वर्ष के लिये स्वीकृत हुआ। संविदा का पंजीयन दिनांक 15.01.1979 को हुआ। अतः खनन पट्टा अवधि 15.01.1979 से 14.01.1984 तक के लिए प्रभाव में आया। खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण एम.एम.एल. 75/1983 अवधि दिनांक 15.01.1984 से 14.01.1994 तक के लिये कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय के आदेश क्रमांक खअ/बीका/नवीनी/एम.एम.एल.-75/83/319 दिनांक 01.05.1991 द्वारा स्वीकृत किया गया। कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एम.एल.-75/83/1654 दिनांक 21.05.1993 द्वारा खननपट्टा श्री हुक्माराम पुत्र श्री तन्नाराम मेघवाल, निवासी जोगलिया, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरु के नाम स्वीकृत किया गया। पट्टाधारी ने खननपट्टा का द्वितीय नवीनीकरण एम.एम.एल. 56/1993 अवधि दिनांक 15.01.1994 से 14.01.2004 हेतु दिनांक 26.07.1993 को कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर में प्रस्तुत किया गया।

पट्टाधारी ने खननपट्टा का तृतीय नवीनीकरण एम.एम.एल. 18/2003 अवधि दिनांक 15.01.2004 से 14.01.2024 हेतु दिनांक 21.12.2003 को कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर में प्रस्तुत किया गया। उक्त खननपट्टा तत्समय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 14.01.2029 तक स्वतः ही बढ़ गई है। कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर वृत्त, बीकानेर के आदेश क्रमांक अखअ /बीका/अप्र/एम.एम.एल.-75/83/3751 दिनांक 17.10.2017 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण श्रीमति राजूदेवी पत्नि श्री नोपाराम मण्डा, निवासी-सुजानगढ़, जिला-चूरु(राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 49,000/- है।

सहायक खनि अभियन्ता, चूरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 100 दिनांक 01.06.2022 जारी किया। जिसकी पालना में पट्टाधारणी द्वारा राशि रूपये 1,00,000/- दिनांक 09.06.2022 को राजकोष में जमा करवाये गये परन्तु पट्टाधारणी द्वारा चेतना पत्र की पूर्ण पालना नहीं की गई।

1. आपके के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे का मौका पंचनामा दिनांक 24.12.2021 के अनुसार आप द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 1404 टन खनिज मैसेनरी स्टोन का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जिसकी मॉग नियमानुसार रू. 4,91,400/- कायम की गई।

पट्टाधारणी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पूर्ण पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नहीं करने के कारण एवं शेष राशि रूपये 3,91,400/- बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरु

ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये है। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2467 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-

भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

क्रमांकसम/ : - 1819

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 2467 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 481 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरू।
5. श्रीमति राजदेवी पत्नी श्री नोपाराम मण्डा, निवासी सुजानगढ जिला चुरू द्वारा स.ख.अ. चुरू।

CC - I

श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान) जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।  
श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।  
श्रीमान उप वन संरक्षक, चुरू।  
श्रीमति राजदेवी पत्नी श्री नोपाराम मण्डा, निवासी सुजानगढ जिला चुरू द्वारा स.ख.अ. चुरू।

38

भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चुरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- सखअ/चुरू/अप्र/एम.एम.एल-75/1983/ 567

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एम. 75/1983 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ जिला-चुरू के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1819 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

सोहनलाल गुरु  
12/09/2022

(सोहनलाल गुरु)

सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चुरू(राजस्थान)

कार्यालय आदेश

मैसर्स जोशी एण्ड जोशी प्रो० श्री आर.के. जोशी बीकानेर के पक्ष में एक खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट, क्षेत्रफल 5000वर्गमीटर, निकट ग्राम रणधीसर पहाड़ी, तहसील सुजानगढ़ के पक्ष में सहायक सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एम.एल./35/74/687-691 दिनांक 15.03.1974 से संविदा पंजीयन की तिथि से पाँच वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया। संविदा का पंजीयन दिनांक 03.06.1974 को हुआ। इस प्रकार उक्त खननपट्टे की अवधि दिनांक 03.06.1974 से 02.06.1979 तक के लिये थी।

खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 370 दिनांक 19.03.1980 द्वारा उक्त खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एम. 28/1979 अवधि दिनांक 02.06.1979 से 01.06.1984 तक के लिए स्वीकृत किया गया। खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1022 दिनांक 08.06.1982 द्वारा उक्त खननपट्टा श्री मघाराम पुत्र श्री नत्थूराम पूनियाँ निवासी-पड़िहारा, तहसील-रतनगढ़ जिला चुरू के पक्ष में हस्तान्तरित किया गया। खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 326 दिनांक 04.02.1992 द्वारा उक्त खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एम. 86/1983 अवधि दिनांक 02.06.1984 से 01.06.1994 तक के लिए स्वीकृत किया गया। खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 4510 दिनांक 09.12.1992 द्वारा उक्त खननपट्टा का हस्तान्तरण सर्वश्री जगदम्बा स्टोन क्रेसिंग इण्डस्ट्रीज के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

पट्टाधारी ने खननपट्टा का तृतीय नवीनीकरण एम.एम. 23/1994 दिनांक 08.03.1994 को अवधि दिनांक 02.06.1994 से 01.06.2004 व चतुर्थ नवीनीकरण एम.एम. 25/2003 दिनांक 17.07.2003 को अवधि दिनांक 03.06.2004 से 02.06.2024 तक के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त खननपट्टा तत्समय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 94,342/- है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषों के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 84 दिनांक 03.06.2022 जारी किया। जो कि पट्टाधारी को दिनांक 12.06.2022 को तामिल हुआ।

1. यह कि देय राशि रुपये 2,12,37,187/-आपके विरुद्ध बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने में आप असफल रहे हैं। यह संविदा की धारा 4(3)(4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लंघन है।

पट्टाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नहीं करने के कारण एवं वर्तमान में पट्टेधारी के विरुद्ध राशि मय ब्याज रुपये 2,12,60,773/-बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये है। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2487 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जमा करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

- 21 -

भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,

बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

कमांकसम/1795

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र कमांक 2487 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरु को उनके पत्र कमांक 437 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरु।
5. सर्वश्री जगदम्बा स्टोन क्रेसिंग इण्डस्ट्रीज, निवासी रणधीसर पहाड़ी, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरु द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरु।

cc - I

सी.ई.

09/09/2022

28

भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,

बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT. OF RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चुरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)

कमांक:- सखअ/चुरु/अप्र/एम.एम.एल-86/1983/ 572

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 86/1983 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चुरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश कमांक 1795 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दि 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

सी.ई.

12/09/2022

(सोहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चुरु(राजस्थान)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी-64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।  
क्रमांक:अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एल. 76/1983/ दिनांक: 2022

कार्यालय आदेश

सर्वश्री भंवरलाल भीखमचन्द प्रो० श्री भंवरलाल, सुजानगढ़ के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम- रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु क्षेत्रफल 4500.00वर्गमीटर स्थिर भाटक 940.00 पर कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एल./87/1978/276 दिनांक: 30.01.1979 द्वारा अवधि दिनांक 28.01.1979 से 5 वर्ष के लिए प्रथम नवीनीकरण स्वीकृत किया गया। कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एल.-13/1974/381 दिनांक 08.02.1979 द्वारा उक्त खननपट्टा श्री मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री रमण लाल शर्मा, निवासी-दड़ीबा बीदासर, तहसील-बीदासर, जिला-चूरु के पक्ष में हस्तान्तरण किया गया। कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक/खअ/बीका/एम.एल./76/1983/913 दिनांक 06.11.1990 द्वारा खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण अवधि दिनांक 28.01.1984 से 27.01.1994 तक के लिए स्वीकृत किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 53/1993 दिनांक 12.07.1993 को अवधि दिनांक 28.01.1994 से 27.01.2004 तक के लिए आवेदित किया गया तथा खननपट्टे का चतुर्थ नवीनीकरण एम.एल. 17/2003 दिनांक 10.02.2003 को अवधि दिनांक 28.01.2004 से 27.01.2024 तक के लिए आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 1,05,000/- है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/अप्र/एम.एल./76/83/446 दिनांक 22.05.2018 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण श्री ताराचन्द पुत्र श्री आशाराम जाति जाट निवासी कस्बा छापर, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरु (राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु पट्टाधारी को चेतना पत्र संख्या 70 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पट्टेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1-खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

2- खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पट्टाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाब दिनांक 16.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नहीं हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरु द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 4500वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जम्मा करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sel-  
भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांकसम/ 1870

दिनांक: 9.9.2022

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक: निदे/प.2(एच-1)चुरु/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरु।
3. उप वन संरक्षक, चुरु।
4. सहायक खनि अभियन्ता, चुरु को उनके पत्र क्रमांक 456 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
5. श्री ताराचन्द पुत्र श्री आशाराम जाति जाट निवासी कस्बा छापर, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरु (राजस्थान)।
6. रक्षित पत्रावली

CC-I

श्रीमंत  
09/09/2022

भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)


क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-76/1983/ 558

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 76/1983 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1870 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
12/09/2022  
(साहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी-64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।  
क्रमांक:अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एल. 162/1990/ दिनांक: .2022

**कार्यालय आदेश**

श्री आईदान धोबी पुत्र श्री मालचन्द धोबी के पक्ष में खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एल.एल.-18/80/868 दिनांक 27.05.1981 द्वारा एक खनन पट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट क्षेत्रफल 4800वर्गमीटर निकट ग्राम-रणधीसर, तहसील-सुजानगढ, जिला चूरु में वार्षिक स्थिरभाटक रूपये 840/- पर संविदा पंजीयन की तिथि से 10 वर्ष के लिये अवधि दिनांक 27.06.1981 से 26.06.1991 तक के लिए प्रभाव में आया। खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एल.एल.-162/90/565 दिनांक 05.07.1991 से प्रथम नवीनीकरण अवधि दिनांक 27.06.1991 से 26.06.2001 के लिये स्वीकृत किया गया। पट्टाधारी द्वारा द्वितीय नवीनीकरण एम.एल.एल. 35/2000 दिनांक 02.08.2000 को अवधि दिनांक 27.06.2001 से 26.06.2021 तक के लिए आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1988 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। कार्यालय अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर जोन, जोधपुर के आदेश क्रमांक अनिखा/जोध/सीसी/अप्र/चुरु/एम.एल./162/90/1638 दिनांक 20.06.2017 द्वारा खननपट्टा का नामांतरण श्री राजेन्द्र पंवार पुत्र स्व. आईदान धोबी, निवासी- हनुमान धोरा, पानी की टंकी के पास, वार्ड नं. 14, सुजानगढ, तहसील- सुजानगढ, जिला-चूरु (राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 26.06.2031 तक स्वतः ही बढ़ी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 68,800/- है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने निम्न दोषों के निवारण हेतु पट्टाधारी को चेतना पत्र संख्या 56 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पट्टेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1-खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

2- खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पट्टाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 28.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नहीं हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरु द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 4800वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पट्टे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंसा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरु के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

*sd-*  
भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 9.9.2022

क्रमांकसम/ 1876

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक: निदे/प.2(एच-1)चुरु/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरु।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरु को उनके पत्र क्रमांक 422 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चुरु।
5. श्री राजेन्द्र पंवार पुत्र स्व. आईदान धोबी, निवासी- हनुमान धोरा, पानी की टंकी के पास, वार्ड नं. 14, सुजानगढ, तहसील- सुजानगढ, जिला-चूरु (राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरु।
6. रक्षित पत्रावली

CC - I

21/09/2022

*sd-*  
भीमसिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)


क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-162/1990/ 562

दिनांक :-12.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 162/1990 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1876 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।



(सोहनलाल गुरु)

सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

क्रमांक:- अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एम.एल.-06/2001/ दिनांक :- 09.2022

**कार्यालय आदेश**

श्री प्रताप सिंह पुरोहित पुत्र श्री भांकरसिंह निवासी- रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चुरु के पक्ष में खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट, क्षेत्रफल 6436वर्गमीटर, एम.एल.-55/1980 कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदे । क्रमांक-खअ/बीका/एमएमएल/55/1980/1224-1229 दिनांक 31.08.1981 द्वारा संविदा पंजीयन तिथि से 10 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया। संविदा का पंजीयन दिनांक 16.02.1982 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 16.02.1982 से 15.02.1992 तक के लिए प्रभावी हुआ। खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 179/1991 अवधि दिनांक 16.02.1992 से 15.02.2002 तक के लिए तथा द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 06/2001 अवधि दिनांक 16.02.2002 से 15.02.2022 तक के लिए कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदे । क्रमांक खअ/बीके/अप्र/06/2001/1162 दिनांक 18.12.2004 के द्वारा स्वीकृत किया गया।

कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदे । क्रमांक खअ/बीका/अप्र/06/2001/231 दिनांक 06.02.2012 द्वारा खननपट्टा का हस्तांतरण श्री रामनिवास जाट पुत्र श्री गणपतराम जाट, निवासी-गोपालपुरा तहसील-सुजानगढ़, जिला-चुरु (राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदे । क्रमांक खअ/बीका/अप्र/06 /2001/2218-2227 दिनांक 31.10.2012 द्वारा खननपट्टा की अवधि 20 से 30 वर्ष अर्थात् दिनांक 19.06.2031 तक बढ़ाई गई। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 26,148/- है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने निम्न दोषो के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 98 दिनांक 26.07.2022 जारी किया। जो कि पट्टाधारी को दिनांक 26.07.2022 को ही तामिल हुआ।

1. यह कि देय राशि रूपये 19147/-आपके विरुद्ध बकाया है और निश्चित तिथी पर भुगतान करने में आप असफल रहे हैं। यह संविदा की धारा की धारा 4(3)(4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लंघन है।

पट्टाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नहीं करने के कारण एवं वर्तमान में पट्टेधारी के विरुद्ध राशि मय ब्याज रूपये 32,221/-बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरु ने उक्त खनन पट्टा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये है। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान), जोधपुर से उक्त खनन पट्टा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2536 दिनांक 16.09.2022 से प्रदान किया है।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त खनन पट्टा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

- 90-

भीम सिंह

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांक: 16.9.2022

कमांकसम/ 2076

प्रतिलिपी:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र कमांक 2536 दिनांक 16.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र कमांक 548 दिनांक 12.09.2022 के संदर्भ में।
4. उपवन संरक्षक, चुरू।
5. श्री रामनिवास जाट पुत्र श्री गणपतराम जाट, निवासी-गोपालपुरा तहसील-सुजानगढ़, जिला-चुरू द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू।

cc-I

सौद

16/09/2022

अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चुरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235  
E-mail- [ame.churu@rajasthan.gov.in](mailto:ame.churu@rajasthan.gov.in)

कमांक:- सखअ/चुरू/अप्र/एम.एम.एल-06/2001/ 599

दिनांक :-20.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 06/2001 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चुरू के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश कमांक 2076 दिनांक 16.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 17.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

सौद  
20/09/2022

(सोहनलाल गुरु)

सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चुरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार  
GOVT. RAJASTHAN  
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)  
Office of the Supdt. Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan)  
Tel. no 0151-2226611

E-mail- [sme.bikaner@rajasthan.gov.in](mailto:sme.bikaner@rajasthan.gov.in)  
क्रमांक:- अखअ/बीका/अप्र/चुरु/एम.एल.-40/1985/

दिनांक :- 09.2022

### कार्यालय आदेश

श्री गणेशाराम पुत्र श्री जेठाराम बावरी के पक्ष में खननपट्टा खनिज स्टोन वैलास्ट, क्षेत्रफल 1400 वर्गमीटर, एम.एल.-87/1979 कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक-1924 दिनांक 29.04.1979 द्वारा संविदा पंजीयन तिथि से 5 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया। संविदा का पंजीयन दिनांक 25.02.1980 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 25.02.1980 से 24.02.1985 तक के लिए प्रभावी हुआ। पट्टाधारी का स्वर्गवास दिनांक 27.09.1984 को होने के कारण खननपट्टे का नामान्तरण पट्टाधारी के पुत्र श्री बीरबलराम के पक्ष में कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एल.-40/85/452 दिनांक 29.08.1985 के द्वारा स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 40/85 अवधि दिनांक 01.03.1990 से 29.02.2000 तक के लिए कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एल.-40/85/2207 दिनांक 15.11.1991 व संशोधित आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एल.-40/85/684 दिनांक 29.02.1992 से स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण आवेदन पत्र एम.एल. 4/2000 अवधि दिनांक 28.02.2000 से 28.02.2020 तक के लिए दिनांक 07.02.2000 को प्रस्तुत किया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 24.02.2030 तक स्वतः ही बढ़ी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 68,600/- है।

स.ख.अ. चुरु द्वारा उक्त खनन पट्टे का दिनांक 18.07.2022 को मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार खनन पट्टे में पाई गयी निम्न कमियों के संबंध में पट्टाधारी को सहायक खनि अभियन्ता, चुरु द्वारा 30/45 दिवसीय नोटिस क्रमांक 99 दिनांक 28.07.2022 जारी किया गया, जो कि पट्टाधारी स्वयं को दिनांक 29.07.2022 को तामील हुआ।

- 1-खननपट्टा स्थल के सीमा स्तम्भ निर्धारित आकार के नहीं मिले।
- 2-खननपट्टा स्थल पर वृक्षारोपण संबंधी कोई उपाय नहीं किया जाना पाया गया।
- 3-खननपट्टा स्थल की सुरक्षा संबंधी कोई चारदीवारी या तारबंदी/फेंसिंग की हुई नहीं मिली।
- 4-खननपट्टा 1400 वर्गमीटर क्षेत्रफल में स्वीकृत है, जिसकी गहराई 100 से 150 फीट हो गयी है। खनन पट्टा में माइनिंग प्लान (खनन योजना) अनुसार विधिवत बैच पद्धति अनुसार खनन कार्य नहीं किया गया है।

GOVT. OF RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Engineer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,  
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in


क्रमांक:- सखअ/चूरु/अप्र/एम.एम.एल-40/1985/608

दिनांक :-22.09.2022

1. मांग शाखा
2. अवैध खनन शाखा
3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक
5. मानचित्र शाखा

विषय:- खननपट्टा एम.एल. 40/1985 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़,  
जिला-चूरु के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री बीरबलराम बावरी पुत्र श्री गणेशाराम बावरी निवासी-  
रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चूरु के पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा एम.एल. 40/1985 निकट  
ग्राम-रणधीसर, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चूरु को श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के  
आदेश क्रमांक 2082 दिनांक 19.09.2022 से खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 20.  
09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

  
22/09/2022  
(सोहनलाल गुरु)

सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू विज्ञान विभाग  
चूरु(राजस्थान)

**Status of Illegal Mining Recovery of Mining Leases/Lessees at Randhisar Pahadi, Tehsil- Sujangarh, Distt. Churu (Rajasthan)**

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
OFFICE OF THE ASSISTANT MINING ENGINEER, DEPTT. OF MINES AND GEOLOGY CHURU (RAJ)

(Updated up to 01-11-2022)

S/N	ML NO.	Name of lessee	Mineral	Area (in hect.)	date of registration	Status	cancelled date	KABIA DATE	Total illegal dues in rs. (Year 2000, 2012 & 2021-22)	Recovery Certificate Issu to	Recovery Certificate Issue Date	Deemand order Date	Demand order delivered/Ch aspa at site date	Dues Amount Deposit in rs.	Dues Amount Deposit Date	Rest illegal dues in rs.	Kurki warrant issued date	Kurki Date	KURKI ANNOUNCEMENT Date	Selling Amount Date
1	21/1988	Shyam greet	Stone Ballast	0.6000	12-Nov-73	CANCELLED	12-08-2010	23-08-2010	630000	AME CHURU	12-09-2022	12-09-2022	15-09-2022	0	-	630000	20-09-2022	22-09-2022	30-09-2022	21-10-2022
2	48/1978	Sujanram Khatrik S/O Hanumanram Khatrik	Stone Ballast	0.3570	16-Feb-79	CANCELLED	26-08-2022	27-08-2022	12813790	AME CHURU	12-09-2022	12-09-2022	14-09-2022	0	-	12813790	20-09-2022	22-09-2022	30-09-2022	21-10-2022
3	95/1978	Bhagirath Mal Agarwal S/O Tara Ram Agarwal	Stone Ballast	0.2500	27-Feb-74	CANCELLED	28-07-2021	30-07-2021	42000000	AME CHURU	12-09-2022	12-09-2022	14-09-2022	0	-	42000000	20-09-2022	22-09-2022	30-09-2022	21-10-2022
4	65/1983	Churu Labor Conctor Co. Operative Society	Stone Ballast	0.2500	12-Nov-73	CANCELLED	09-09-2022	10-09-2022	12887986	AME CHURU	12-09-2022	12-09-2022	14-09-2022	0	-	12887986	20-09-2022	22-09-2022	30-09-2022	21-10-2022
5	54/1978	Mainadevi W/O Giridharlal Meghwal	Stone Ballast	0.2620	29-Aug-79	CANCELLED	09-09-2022	10-09-2022	7739380	AME CHURU	12-09-2022	12-09-2022	14-09-2022	0	-	7739380	20-09-2022	19-10-2022	20-10-2022	
6	32/1988	Niranjan Sharma	Stone Ballast	0.3500	06-Mar-74	CANCELLED	09-09-2022	10-09-2022	15257537	AME CHURU	12-09-2022	12-09-2022	14-09-2022	0	-	15257537	20-09-2022	22-09-2022	30-09-2022	21-10-2022
7	86/1983	Jagdamba Stone Crushing Industries,	Stone Ballast	0.5000	03-Jun-74	CANCELLED	09-09-2022	10-09-2022	21119259	AME CHURU	12-09-2022	12-09-2022	14-09-2022	0	-	21119259	20-09-2022	22-09-2022	30-09-2022	21-10-2022
8	52/1990	Yogesh Kumar Sharma S/O Niranjan Sharma	Stone Ballast	0.5461	31-Oct-80	CANCELLED	09-09-2022	10-09-2022	7278826	AME CHURU	12-09-2022	12-09-2022	14-09-2022	0	-	7278826	20-09-2022	22-09-2022	30-09-2022	21-10-2022
9	62/1983	Randhisar Stone Crushing	Stone Ballast	0.2500	31-Oct-73	CANCELLED	09-09-2022	10-09-2022	17541195	AME CHURU	12-09-2022	12-09-2022	14-09-2022	0	-	17541195	20-09-2022	05-10-2022	10-10-2022	27-10-2022
10	22/2003	Pratap Singh Rajpurohit	Stone Ballast	0.2500	27-Jan-74	CANCELLED	09-09-2022	10-09-2022	1561350	AME CHURU	12-09-2022	12-09-2022	14-09-2022	0	-	1561350	20-09-2022	22-09-2022	30-09-2022	21-10-2022
11	42/1978	Mangli	Stone Ballast	0.4582	27-Jan-74	CANCELLED	09-09-2022	10-09-2022	1276200	AME CHURU	12-09-2022	12-09-2022	14-09-2022	0	-	1276200	20-09-2022	22-09-2022	30-09-2022	21-10-2022
12	59/1981	Arjuna ram	Stone Ballast	0.2500	09-Jul-82	CANCELLED	09-09-2022	10-09-2022	860000	AME CHURU	12-09-2022	12-09-2022	14-09-2022	0	-	860000	20-09-2022	22-09-2022	30-09-2022	21-10-2022
13	75/1983	Raju Davi	Stone Ballast	0.2500	15-Jan-79	CANCELLED	09-09-2022	10-09-2022	391400	AME CHURU	12-09-2022	12-09-2022	14-09-2022	0	-	391400	20-09-2022	22-09-2022	30-09-2022	21-10-2022
14	161/1990	M/S Ambey Mines and minerals,	Stone Ballast	0.2800	14-Aug-81	CANCELLED	09-09-2022	10-09-2022	1179500	AME CHURU	12-09-2022	12-09-2022	14-09-2022	0	-	1179500	20-09-2022	22-09-2022	30-09-2022	21-10-2022
15	74/1978	Punja Blast Supplier	Stone Ballast	0.4916	31-Jul-79	CANCELLED	09-09-2022	10-09-2022	501450	AME CHURU	12-09-2022	12-09-2022	14-09-2022	0	-	501450	20-09-2022	22-09-2022	30-09-2022	21-10-2022
16	11/1978	Pg Stone Crusing Ind.	Stone Ballast	0.3052	27-Apr-78	CANCELLED	09-09-2022	10-09-2022	5921559	AME CHURU	12-09-2022	12-09-2022	14-09-2022	0	-	5921559	20-09-2022	22-09-2022	30-09-2022	21-10-2022
17	54/1990	Kishan Singh Gehlot	Stone Ballast	0.5578	05-Dec-75	CANCELLED	26-08-2022	27-08-2022	14274674	ME BIKANER	12-09-2022	12-09-2022	14-09-2022	0	-	14274674	20-09-2022	01-11-2022		
18	45/1978	Inderch& Golan-II	Stone Ballast	0.3500	02-Jun-80	CANCELLED	09-09-2022	10-09-2022	8007169	ME JAIPUR	12-09-2022	12-09-2022	14-09-2022	0	-	8007169	20-09-2022			
19	44/1978	Inderch& Golan-I	Stone Ballast	0.5000	27-Jan-74	CANCELLED	09-09-2022	10-09-2022	18802143	ME JAIPUR	12-09-2022	12-09-2022	14-09-2022	0	-	18802143	20-09-2022			
20	60/1983	Lalit Kumar Verma S/O Hanuman Mal Verma	Stone Ballast	0.3000	31-Oct-73	CANCELLED	09-09-2022	10-09-2022	20001179	GANGANAGAR STAV HC JODHPUR	12-09-2022	12-09-2022	14-09-2022	0	-	20001179	20-09-2022			
21	25/1979	Khatu Shyam Greet Udyog	Stone Ballast	0.3375	29-Aug-79	CANCELLED	09-11-2021	17-11-2021	8440767	ME NAGGAR	12-09-2022	12-09-2022	14-09-2022	0	-	8440767	20-09-2022			
22	73/1977	Sh. Shankar Lal	Stone Ballast	0.1575	27-Apr-78	CANCELLED	09-09-2022	10-09-2022	7468169	STAV HC JODHPUR	12-09-2022	12-09-2022	14-09-2022	0	-	7468169	20-09-2022			
									<b>TOTAL</b>	<b>188053533</b>				<b>5669900</b>		<b>182383633</b>				

नोट- कुल 22 प्रकरण में अवैध खनन की राशि बकाया है, जिसमें से 15 प्रकरण में एल.आर.एक्ट में वसूली हेतु इस कार्यालय स्तर से कार्यावाही की गई। उक्त 15 में से आज दिनांक तक 6 प्रकरण में कुल राशि रूपये 56,69,900/- की वसूली कर ली गई है। तथा शेष बकाया 09 प्रकरण में बकायादार की सम्पत्ति को कुर्क करने के लिए कुर्की वारंट दिनांक 20.09.2022 को जारी किये गये हैं। जिनमें से 6 प्रकरण में सम्पत्ति कुर्क कर ली गई है। कुर्क की गई सम्पत्ति की नीलामी की कार्यावाही प्राक्रियाधीन है। 3 प्रकरण के बाकीदारों के नाम कोई सम्पत्ति नहीं होने की जानकारी संबंधित तहसीलदार व नगरपरिषद/नगरपालिका सुजानगढ़ व रतनगढ़ से प्राप्त हुई है, परन्तु उक्त बाकीदारों की पत्रावली में इनके द्वारा अपनी सम्पत्ति बाबत दिये गये शपथ पत्र के आधार पर इनकी सम्पत्ति को कुर्क किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। इनके अलावा 5 प्रकरण के बाकीदार चूरु जिले के बाहर के होने से इनकी वसूली हेतु दिनांक 12.09.2022 को 2 प्रकरण खनि अभियन्ता, श्रीगानगर भिजवाये गये हैं। दो प्रकरण एम.एल. 73/1977 एवं एम.एल. 60/1983 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर से बकाया वसूली पर स्टे प्राप्त है। इस कार्यालय से अन्य कार्यालय को वसूली हेतु कुल 5 प्रकरण भिजवाये गये हैं, जिनमें वसूली में सहयोग हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर, चूरु द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर, बीकानेर, जयपुर व नागौर को संबंधित खनि अभियन्ता को सहयोग हेतु दिनांक 14.09.2022 को वसूली में सहयोग करने हेतु पत्र भी लिखा गया है। उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये बकाया प्रकरणों के अलावा अन्य कोई दूसरा बकाया राशि का प्रकरण नहीं है।

  
 सहायक खनि अभियन्ता  
 खान एवं नू-विज्ञान विभाग  
 चूरु (राज.)।

# कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, चूरु (राज.)।

रणधीसर पहाड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु क्षेत्र में वर्ष 2000 व 2012 एवं 2021-22 व 2022-23 में पट्टाधारकों के विरुद्ध अवैध खनन के बनावे गये प्रकरणों का विवरण:- (UPDATED 01-11-2022)

वर्ष	बनावे गये कुल प्रकरण	एन.जी.टी. की रिपोर्ट के आधार पर वसूली के प्रकरण	वर्तमान स्थिति अनुसार वसूली के प्रकरण	वर्तमान स्थिति एवं एन.जी.टी. की रिपोर्ट में अन्तर प्रकरण जिनकी वसूली बाद में हुई	वर्तमान स्थिति अनुसार शेष बकाया शास्ती प्रकरणों का विवरण
	प्रकरण संख्या	प्रकरण संख्या	प्रकरण संख्या	प्रकरण संख्या	प्रकरण संख्या
	कुल बकाया शास्ती राशि	वसूल शास्ती राशि	वसूल शास्ती राशि	वसूल शास्ती राशि	बकाया शास्ती राशि
2000	38	25	23	01	15
	8,65,20,000	4,26,26,500	4,29,62,500	3,36,000	4,35,57,500
2012	33	18	19	01	14
	25,57,18,200	11,11,66,503	11,68,92,067	57,25,564	13,88,26,133
2021-22	12	00	12	12	00
	95,77,750	00	95,77,750	95,77,750	00
2022-23	83	43	54	14	29
	35,18,15,950	15,37,93,003	16,94,32,317	1,56,39,314	18,23,83,633

नोट:-

- एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.04.2022 की पालना में विभाग द्वारा अवैध खनन के प्रकरण एवं शास्ती राशि की प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के बाद आज दिनांक 01.11.2022 तक कुल 13 खननपट्टों के 14 प्रकरणों में कुल राशि रुपये 1,56,39,314/- की वसूली हो चुकी है। शेष खनन है।
- वर्तमान में कुल 16 खननपट्टों में (वर्ष 2000 के 15 प्रकरण, 2012 के 14 प्रकरण कुल 29 प्रकरण) में अवैध खनन की शास्ती राशि रुपये 18,23,83,633/- बकाया है, जिसकी वसूली की कार्यवाही की भूराजस्व अधिनियम के तहत की जा रही है।
- उक्त बकाया के अलावा रणधीसर पहाड़ी का अन्य कोई भी प्रकरण शेष नहीं है।

  
01/11/2022

सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,  
चूरु (राज.)।

## कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, चूरु (राज.)।

एन.जी.टी. आदेश दिनांक 22.04.2022 की पालना में विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद आज दिनांक 01.11.2022 तक अवैध खनन की वसूली रिपोर्ट

क्र.सं.	दिनांक	एन.एल. नं.	पार्ट का नाम	पिचट ग्राम	खनि का प्रकार	MIT	खनि की सीमा की 10 गुणा संरक्षित राशि	कमालाचंद्र कंस	कुल शाली राशि	संरक्षित दिनांक	वसूली राशि	वसूली का दिवस (वी.आर.एन.)	वसूली दिनांक	शेष राशि
1	Yr. 2000	ML NO 40/1985	श्री दीरखाराम बावरी पुत्र श्री गणेशाराम बावरी	रामाशिर, सुजानगढ़	मैसैरी स्टीन		6061564	0	6061564	01-06-2022	6061564		12-08-2022	0
2	24.12.2021	ML NO 75/1983	श्रीमती राजदेवी फली श्री नारायण भास्करा	रामाशिर, सुजानगढ़	मैसैरी स्टीन	1404	491400	20000	511400	01-06-2022	511400	66644197 66644565	21-09-2022 17-09-2022	0
3	24.12.2021	ML NO 68/1978	श्रीमती शांति देवी फली श्री दीरखाराम खटीक	रामाशिर, सुजानगढ़	मैसैरी स्टीन	3370	1179500	20000	1199500	01-06-2022	1199500	63188964 63483059 63483249	09-06-2022 15-06-2022 15-06-2022	0
4	28.12.2021	ML NO 59/1981	अर्जुन राम पुत्र श्री मोहनराम गढ़वाल	रामाशिर, सुजानगढ़	मैसैरी स्टीन	3019	1056650	20000	1076650	01-06-2022	1076650	66668422 66681403	16-09-2022 17-09-2022	0
5	28.12.2021	ML NO 73/1977	श्री शंकरलाल पुत्र श्री गणेशाराम	रामाशिर, सुजानगढ़	मैसैरी स्टीन	1475	516250	20000	536250	01-06-2022	536250	63188538 63189826 63189463	09-06-2022 10-06-2022 10-06-2022	0
6	28.12.2021	ML NO 76/1983	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री आशाराम जाट	रामाशिर, सुजानगढ़	मैसैरी स्टीन	2247	786450	20000	806450	01-06-2022	806450	63340639 63341599	13-06-2022 13-06-2022	0
7	31.12.2021	ML NO 50/1979	सरश्री जैन स्टीन क्रोडिंग वर्क-II	रामाशिर, सुजानगढ़	मैसैरी स्टीन	515	180250	20000	200250	01-05-2022	200250	63425131	14-06-2022	0
8	16.01.2022	ML NO 49/1983	श्री रामखार खटीक पुत्र श्री सख्तनारायण खटीक	रामाशिर, सुजानगढ़	मैसैरी स्टीन	1049	367150	20000	387150	01-06-2022	387150	63968517	05-07-2022	0
9	08.02.2022	ML NO 22/2003	प्रतापरिंह पुत्र श्री शंकरसिंह राजपुरोहित	रामाशिर, सुजानगढ़	मैसैरी स्टीन	4461	1561350	20000	1581350	01-06-2022	1581350	63245939 66828942 66829708 66830019 66830391 66830714	22-06-2022 22-09-2022 22-09-2022 22-09-2022 23-09-2022 23-09-2022	0
10	08.02.2022	ML NO 36/1980	विजु देवी फली श्री श्रवण कुमार	रामाशिर, सुजानगढ़	मैसैरी स्टीन	1376	481600	20000	501600	01-06-2022	501600	63343112 63226247 66645116 66645478	13-06-2022 09-06-2022 19-09-2022 19-09-2022	0
11	05.03.2022	ML NO 42/1978	श्री माणिकलाल पुत्र श्री दीप्साराम जाट	रामाशिर, सुजानगढ़	मैसैरी स्टीन	3932	1376200	20000	1396200	01-06-2022	1396200	66665475 66666404 66666830 66680353	19-09-2022 16-09-2022 16-09-2022 17-09-2022	0
12	09.06.2022	ML NO 161/1990	श्री आनंद माधेरास पांडव गिरलस	रामाशिर, सुजानगढ़	मैसैरी स्टीन	3370	1179500	20000	1199500	28-07-2022	1199500	66680802	17-09-2022	0
13	10.06.2022	ML NO 74/1978	श्री प्रविण कान्हार सखारसै	रामाशिर, सुजानगढ़	मैसैरी स्टीन	1147	401450	20000	421450	28-07-2022	421450	67991342	01-11-2022	0
						27365	15639314	240000	15879314		15879314			0

  
 01/11/2022  
 सहायक खनि अभियन्ता  
 खान एवं भूविज्ञान विभाग  
 चूरु (राज.)



नोट:- 1. वर्तमान में कुल 16 खननपट्टों में अवैध खनन की राशि 18,23,83,633/- बकाया है, जिसमें से 2 खननपट्टों एम.एल. 73/1977 व एम.एल. 60/1983 में बकाया वसूली पर माननीय न्यायालय जोधपुर का स्थगन है। शेष 5 प्रकरण के बाकीदार चूरु जिले के बाहर के होने से 2 प्रकरण खनि अभियन्ता, बीकानेर, 2 प्रकरण खनि अभियन्ता, जयपुर व श्रीगंगानगर व 1 प्रकरण खनि अभियन्ता, नागौर को दिनांक 12.09.2022 को वसूली हेतु भिजवाये जा चुके हैं। इस कार्यालय स्तर से शेष 09 प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम के तहत की जा रही है, जिसमें सभी 09 प्रकरण में मांग के आदेश दिनांक 12.09.2022 को जारी किये जाकर बकायादार की सम्पत्ति के कुर्की आदेश दिनांक 20.09.2022 को जारी कर दिया गया है, जिसमें से 6 प्रकरणों में बकायादार की सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही दिनांक 22.09.2022 को 4 प्रकरण में, 06.10.2022 को 1 प्रकरण में व 19.10.2022 को 1 प्रकरण में कर ली है। शेष 3 प्रकरणों में सम्पत्ति की जानकारी कर कुर्की करने की कार्यवाही की जा रही है। 2. उपरोक्त तालिका के अनुसार वर्तमान में कुल 16 खननपट्टों में अवैध खनन की कोई बकाया राशि नहीं है। 18,23,83,633/- बकाया है। इसके अलावा रणधीसर पहाड़ी में अवैध खनन की कोई बकाया राशि नहीं है।

सहायक खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
चूरु

01/11/2022

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरु (राजस्थान)।

E-mail-ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांक/सखअ/चूरु/अप्र/एन.जी.टी./ 398

दिनांक :- 04-11-2022

प्रेषित:-

श्रीमान जिला कलेक्टर,  
चूरु (राजस्थान)।

विषय :- माननीय न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रधान पीठ द्वारा मूल प्रार्थना पत्र संख्या 209/2022 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2022 की पालना के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक एफ( ) ( )जिराले/खनन/2022/3096-99 दिनांक 03.09.2022 के संबंध में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय न्यायालय ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रधान पीठ द्वारा मूल प्रार्थना पत्र संख्या 209/2022 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2022 की पालना में निवेदन है कि रणधीसर पहाड़ी पर कुल 42 खननपट्टे स्वीकृत थे। माननीय न्यायालय ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रधान पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.2022 से पूर्व 05 खनन पट्टे खण्डित किये जा चुके जिसमें से 01 खनन पट्टा दिनांक 12.08.2010, 01 खनन पट्टा दिनांक 28.07.2021, 01 खनन पट्टा दिनांक 09.11.2021 एवं 02 खनन पट्टों को दिनांक 26.08.2022 को खण्डित किये गये हैं। शेष 37 खननपट्टों में अनियमितता एवं बकाया के कारण खण्डित किये गये जिसमें से 35 खनन पट्टे दिनांक 09.09.2022 को, 01 खनन पट्टा दिनांक 16.09.2022 को तथा शेष 01 खननपट्टा दिनांक 19.09.2022 को खण्डित किया गया। वर्तमान में रणधीसर पहाड़ी में स्वीकृत सभी 42 खनन पट्टे खण्डित किये जा चुके हैं जिसमें खनन कार्य पूर्णतया बन्द करवा दिया गया है। तथा भविष्य में कोई किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं होने पाये इस हेतु हल्का खनिकार्यदेशक एवं 06 बोर्डर होमगार्ड्स की ड्यूटी रणधीसर पहाड़ी में लगायी गई है जो समय-समय पर क्षेत्र का निरीक्षण कर अवैध खनन की रोकथाम/निगरानी करेंगे।

कुल 22 खनन पट्टों के बकायादारों से अवैध खनन की शास्ति राशि रूपये 18.8053 करोड़ की वसूली करने के संबंध में निवेदन है कि इनमें से 02 खनन पट्टों (एल.एल. 60/1983 व 73/1977) में अवैध खनन की बकाया शास्ति राशि रूपये 2.7469 करोड़ की वसूली पर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर का स्थगन है (प्रति संलग्न है)। बकाया वसूली के 06 प्रकरणों में शास्ति राशि रूपये 0.5669 करोड़. ( 56,69,900/-रु) की वसूली कर ली गई है।

शेष 14 प्रकरण में से 05 प्रकरण चूरु जिले से बाहर जला चूरु से बाहर अन्य जिलों से संबंधित है। जिनमें दो बकायादार बीकानेर, एक बकायादार नागौर तथा दो बकायादार जयपुर व श्री गंगानगर जिले से संबंधित होने से इनके माँग पत्र दिनांक 12.09.2022 को जारी किए जाकर इसकी वसूली भू-राजस्व अधिनियम के तहत किए जाने हेतु संबंधित जिले के खनि अभियन्ता को भिजवाए गए हैं(प्रतियाँ संलग्न है)।

शेष 09 प्रकरण चूरु जिले से संबंधित होने के कारण इनकी वसूली भू-राजस्व अधिनियम के तहत करने हेतु संबंधित बकायादारों के नाम माँग पत्र दिनांक 12.09.2022 को जारी कर संबंधित बकायादारों को तीन दिवसीय माँग का आदेश दिनांक 12.09.2022 को जारी किये गये हैं (प्रतियाँ संलग्न है)। माँग आदेश की अवधि पूर्ण होने पर बकायादारों की चल/अचल सम्पत्ति को



कुर्क करने के लिए कुर्की वारंट दिनांक 20.09.2022 को जारी किये गये हैं। कुल 09 बकायादारों में से 06 बकायादारों की सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही ( 04 प्रकरणों में दिनांक 22.09.2022, 01 प्रकरण में 06.10.2022 एवं 01 प्रकरण में 19.10.2022) कर ली गई है। तथा इनमें से 05 बकायादारों के सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही के आदेश दिनांक 21.10.2022 व 27.10.2022 को जारी किये गये हैं तथा शेष 03 प्रकरणों में कुर्की के लिए बकायादार की सम्पत्ति की जानकारी के लिए संबंधित तहसीलदार एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका को दिनांक 23.09.2022 को पत्र लिखे गये परन्तु संबंधित तहसीलदार व नगरपालिका से बाकीदारों के नाम कोई भी सम्पत्ति नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई है। परन्तु बाकीदार की पत्रावली में इनके द्वारा अपनी सम्पत्ति बाबत दिये गये शपथ पत्र के आधार पर इनकी सम्पत्ति को कुर्क किये जाने की आदेश जारी किये गये हैं तथा इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार के 09 बकायादारों के बकाया राशि के बारे में सूचना राजस्थान पत्रिका (झुंझुनू-चूरु-सीकर संस्करण) दिनांक 04.11.2022 में प्रकाशित करवाई गई है(प्रति संलग्न)।

रणधीसर पहाड़ी के खननपट्टों में बकाया वसूली बाबत सूचना श्रीमान को सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय  
सोहल  
04/11/2022  
(सोहनलाल गुरु)  
सहायक खनि अभियन्ता,  
खान एवं भू विज्ञान विभाग,  
चूरु(राजस्थान)  
दिनांक :-

क्रमांक / सखअ / चूरु / अप्र / एन.जी.टी. /

प्रतिलिपि निम्नांकित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:-

1. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर वृत्त बीकानेर।

सहायक खनि अभियन्ता,  
खान एवं भू विज्ञान विभाग,  
चूरु(राजस्थान)



राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सुजानगढ

क्रमांक :संस्था / 2022 / 1218

दिनांक 15/9/22

न्याय

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,  
चूरु।

15/9/22

विषय:- नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल मूल आवेदन संख्या 209/2022 नोटिस तामिल  
करवान बाबत।

प्रसंग:-श्रीमान का पत्रांक एफ.()न्याय/एन.जी.टी/2022/3423 दिनांक 13.9.22।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन हैं कि नेशनल  
ग्रीन ट्रिब्युनल मूल आवेदन संख्या 209/2022 में प्राप्त नोटिस की श्रीमान के  
निर्देशानुसार संबंधित को तामिल करवाई जाकर तामिली प्रति पत्र के सलग्न श्रीमान  
को आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सलग्न:-उपरोक्तानुसार

उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
सुजानगढ



कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरु (राजस्थान)

क्रमांक : एफ. ( )न्याय/एन.जी.टी./2022 /3423

दिनांक : 13.9.2022

प्रेषित,

उपखण्ड अधिकारी,  
सुजानगढ़

विषय : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मूल आवेदन संख्या 209/2022 - नोटिस तामील बाबत ।

प्रसंग : एन.जी.टी., नई दिल्ली का पत्रांक NGT/Judicial/OA/209-2022/ दिनांक 13.9.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त 42 mining lease धारक एवं 51 stone crushers धारक को दिनांक 29.9.2022 की सुनवाई हेतु जारी नोटिस तामील हेतु पत्र के संलग्न कर प्रेषित किए जा रहे हैं । अविलम्ब तामील करवाई जाकर मय तामील रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(सिद्धार्थ सिहाग)  
जिला कलक्टर एवं  
जिला मजिस्ट्रेट, चूरु

"By Email"

National Green Tribunal  
Faridkot House, Copernicus Marg,  
New Delhi-110001

No. NGT/Judicial/OA/209-2022/

Dated: 13.09.2022

To

THE DISTRICT COLLECTOR, CHURU  
Civil Lines, Churu, Rajasthan-331001  
Email: [dm-chu-rj@nic.in](mailto:dm-chu-rj@nic.in)

Sub: Service of Notice dated 13.09.2022 to 42 mining lessees and 51 stone crushers in Original Application No. 209/2022 titled "Megh Singh Vs State of Rajasthan"-reg.

Sir,

The aforesaid application was listed before the Tribunal on 22.08.2022, when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

*"Notice be served on the 42 mining lessees and 51 stone crushers through District Collector, Churu and for this purpose notice issued to them be sent to the District Collector, Churu by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard.*

*List the matter for further consideration on 29.09.2022"*

2. In pursuance of the order dated 22.08.2022 passed by Hon'ble Tribunal, notices dated 13.09.2022, is enclosed with the request to service the said notice to 42 mining lessees and 51 stone crushers mentioned in the notice & send the service report.

With regards

*13/9/2022*  
Consultant (Judicial),  
National Green Tribunal

Encl: As stated above.



BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 209 OF 2022  
MEGH SINGH VS STATE OF RAJASTHAN

To

1. **MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE,**  
Through its Secretary,  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change,  
Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bag Road, New Delhi-110003  
Email:- [secy-moef@nic.in](mailto:secy-moef@nic.in) Contact: 011-24695132

2. **THE CHIEF SECRETARY,**  
Government of Rajasthan,  
Secretariat, Ashok Nagar, Jaipur, Rajasthan-302005  
Email: [csraj@rajasthan.gov.in](mailto:csraj@rajasthan.gov.in)

3. **THE DISTRICT COLLECTOR, CHURU**  
Civil Lines, Churu, Rajasthan-331001  
Email: [dm-chu-rj@nic.in](mailto:dm-chu-rj@nic.in)

4. **M/s Ram Niwas Jat**  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 7727993555, 9928715328  
Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

5. **M/s Mamta Devi**  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9549900009 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

6. **M/s P G Stone Crushing Industry**  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 7665002435 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

7. **M/s Loka Bandu Somani**  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9636361199 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

8. **M/s Munshi Ram Niku Ram**  
Khasra No. 343, Village- Randhisar, Po.-Dhatri,  
Tehsil- Sujangarh, District- Churu 331505  
Contact:- 7406859885 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

9. **M/s Khiya Ram**  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 6378854251 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

10. **M/s Jhumarmal**  
Khasra No-634/344 Village- Randhisar, Po-Dhatri,  
Via-Parihara, Tehsil- Sujangarh, District- Churu (Raj) 331505  
Contact:- 9610360022 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

11. **M/s Rajendra Panwar S/o Aidan**  
Village- Randhisar, Po-Dhatri, Via-Parihara,  
Tehsil- Sujangarh, District- Churu (Raj) 331505  
Contact:- 9414402266 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

12. **M/s Shyam grit utpadk company**  
Contact:- 9414086599  
Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten signature/initials*

Contd...

13. M/s Pratap Singh S/o Shankar Singh  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9982618489 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

9982618489

14. M/s Khatu Shyam Grit Udhog  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9414402268 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

जतिप राजस

Handwritten notes and signatures in Hindi.

15. M/s Niranjan Sharma  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9414086599 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

Yogesh (9414086599)  
15/9/22

16. M/s Ambika Stone Ballast Suppliers  
Village- Randhisar, Po-Dhatri, Via-Parihara,  
Tehsil- Sujangarh, District- Churu (Raj) 331505  
Contact:- 9414402070 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

Handwritten notes and signatures in Hindi.

17. M/s Birbal Ram Ganesh Ram Bawri  
Village- Randhisar, Po-Dhatri, Via-Parihara,  
Tehsil- Sujangarh, District- Churu (Raj) 331506  
Contact:- 8890943142 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

Handwritten notes and signatures in Hindi.

18. M/s Banwari Lal  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 6378854251 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

Handwritten note in Hindi.

Handwritten notes and signatures in Hindi.

19. M/s Megha Ram S/o Sh. Roopa Ram Jat  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9882499834 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

Handwritten notes and signatures in Hindi.

20. M/s Mangi Lal  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9882499834 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

Handwritten notes and signatures in Hindi.

21. M/s Inderchand Golyan-I  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9828369506 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

Handwritten notes and signatures in Hindi.

22. M/s Inder Chand Golyan II  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9828369506 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

Handwritten notes and signatures in Hindi.

23. M/s Surja Ram  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 7568588465 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

Handwritten notes and signatures in Hindi.

24. M/s AMBIKA STONE CRUSHING INDUSTRIES  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9928614385 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

Handwritten notes and signatures in Hindi.

25. M/s Jain Stone Crushing Works -II  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9413361814 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

Handwritten notes and signatures in Hindi.

26. M/s Yogesh Kumar Sharma  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9414086599 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

Handwritten note in Hindi.

Yogesh (9414086599)  
15/9/22 contd...

27. M/s Vinod Kumar Bangarwa  
RAMDEVRA BAS, PARIHARA, CHURU  
Contact:- 9413361814 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

6350221573  
YILAR  
Rahul

28. M/s Girdhari Lal Meghwal  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9414423723 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

92201210  
9001938967

29. M/s Kishan Singh Gahlot  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9414423523 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

YK Singh  
Sourabh  
Chhuma  
992895194

30. M/s Arjum Ram  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 6378854251 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

Arjum Ram  
6378854251

31. M/s Lalit Kumar Verma  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9414085439 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

Lalit Kumar Verma  
9414085439

32. M/s Randhisar Stone Crushing Industries  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9828472218  
Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

9828876095  
14/09/22

33. M/s Churu Labour Contractors Cooperative Ltd.  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9887131922 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

Churu Labour Contractors  
9887131922

34. M/s Shanti Devi W/o Dola Ram Khateek  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9799060482 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

Shanti Devi  
9799060482

35. M/s Joga Ram Ragar  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9929895194 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

Joga Ram Ragar  
9929895194

36. M/s Shankar Lal S/o Ganesh Ram  
Village- Randhisar, Po-Dhatri, Via-Parihara,  
Tehsil- Sujangarh, District- Churu (Raj) 331505  
Contact:- 9079723750 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

PRABHU  
7665002439

37. M/s Punia Ballast Suppliers ML NO. 74/1978  
RAMDEVRA BAS, PARIHARA, CHURU  
Contact:- 9414086308 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

Punia Ballast Suppliers  
6350221573

38. M/s Radheshyam  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9882499834 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

Radheshyam  
9882499834

39. M/s Parki W/o Nopa Ram  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9460845100 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

Parki W/o Nopa Ram  
9460845100

40. M/s Hukma Ram  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9882499834 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

Hukma Ram  
9882499834

41. Mohan Lal Sharma  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9929895194 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:*  
Duli (Duni) 9929895194  
Duli (Duni) 9929895194

42. M/s Ram Niwas Sharma  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9929895194 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

43. M/s Shri Jagdamba Stone Crushing  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9799060482 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:*  
Aman Hina  
9414086482

44. M/s Satya Narayan Poonia  
Tilak Nagar Jat Hostal ke samne Bikaner  
Contact:- 9413693134 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:*  
Sulam 9350721573

45. M/s Bagirath Mal Agarwal  
Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9829453036 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:*  
Duli (Duni) 9929895194

46. Sidhi Vinayak Stone Crusher Pvt.Ltd.  
Khasra No.- 866/28, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9414086482 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:*  
Duni 9929895194  
9414086482  
992907281

47. Angira Stone  
Khasra No.- 924/31, 926/641 Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9462475991 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

48. Anjani Crusher Udyog  
Khasra No.- 653/404 (New 1022/724) Village- Randhisar,  
Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9414092733 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:*  
9462475991

49. Annapurna Stone Crusher  
Khasra No.- 640/344, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 8094239366 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:*  
8094239366  
HRISHABH

50. Annapurna Grit Udyog  
Khasra No.- 6071, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 8607885063 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:*  
8607885063

51. Ashirwad Stone Crusher  
Khasra No.- 406 (New 1022/724) Village- Randhisar,  
Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9414202713 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:*  
9352412210  
malakh  
Sujana KAN chhabra

52. Amar Grit Udyog  
Khasra No.- 343, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9413361814 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:*  
Sulam 9350721573

53. Ambey Grit Udyog  
Khasra No.- 634/344, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9460007488 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:*  
9460007488

54. M/s Maa Durga Stone Crushing Industries  
Khasra No.- 648/374, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 6375416866 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:*  
9829499232

55. Ashopa Ind

Khasra No.- 79, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9929895194 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten:* Duli (Dulika) 9929 895194

56. Bagri Bajari Udyog

Khasra No.- 841, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9414632697 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten:* 894986405, 21/11/2019, कृष्णाम 012, फो डूआरत

57. Bhagwati Stone Crushing Ind

Khasra No.- 367, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9079478759 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten:* 9636155218, 10/11/2019, जैमल देव

58. Bagri Stone Crushing Ind

Khasra No.- 320, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9414632697 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten:* 9414632697, 21/11/2019

59. Bhairav Grit Udyog

Khasra No.- 639/344, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9983737548 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten:* 946007488, 21/11/2019

60. Bhawani Grit Udyog

Khasra No.- 376 (New Khasra No. 736/376), Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9414402266 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten:* 6378014109, 21/11/2019

61. Choudhary Stone Crusher

Khasra No.- 837/830, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9660173387 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten:* 9660173387, 21/11/2019

62. G.S. Stone Crusher

Khasra No.- 591/348, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9636361199 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten:* 63761778, सुरेश कुमार, 21/11/2019

63. Ganpati Stone Crushing Industries

Khasra No.- 653/404, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9928194501 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten:* सुरेश कुमार, 21/11/2019

64. Godara Stone Crusher

Khasra No.- 751/615, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9784401481 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten:* सुरेश कुमार, 21/11/2019

65. Gurukripa Stone Crusher

Khasra No.- 29, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9982618489 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten:* 8269363663, सुरेश कुमार, 21/11/2019

66. Hari Om Grit Udyog

Khasra No.- 922/919, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9982499834 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten:* सुरेश कुमार, 21/11/2019

67. Harsawal Stone Crushing Industries

Khasra No.- , Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9414085239 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten:* सुरेश कुमार, 21/11/2019

68. Jai Shree Ram Industry

Khasra No.- 321, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 7300330189 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten:* सुरेश कुमार, 21/11/2019

69. Hari Om Stone Crusher

Khasra No.- 901/894, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9982499834 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten signature*

70. J.S.C. Works

Khasra No.- 343, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9413361814 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:* (983) / 6350 221 573

71. Jai Jagdamba Stone Crushing Industries

Khasra No.- 344, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9414086482 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:* 21/04/2022, 9414086482

72. Jain Stone Crushing Works

Khasra No.- 364, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9549900009 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:* 637665 3038, 25/04/2022

73. Maruti Mangal Stone Ind.

Khasra No.- 347, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9602337007 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:* Rajkumar (S)

74. Keshav Grit Udyog

Khasra No.- 376 (New Kh No 706/376), Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9414402266 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:* 63780 14109

75. Krishna Naresh Kanhiya Industries

Khasra No.- 800/790, 827/791, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9928614385 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:* 9928614385

76. Niranjani Concrete Udyog

Khasra No.- 536/319, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9414086482 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:* (9414086599), 15/9/22

77. M/s Hari Om Crusher Udyog (Old-Anjani Stone Crusher)

Khasra No.- 320 (New Khasara no. 1011/602), Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9982499834 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten signature*

78. Mahalaxmi Crusher Udyog

Khasra No.- 577/315 (750/577), Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9667533824 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten note:* मुनिम

*Handwritten notes:* 9667533824, 533824

79. Mateshwari Stone Crusher

Khasra No.- 801/700, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9460845100 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:* 9460845100

80. R.K. Crushing Udyog

Khasra No.- 653/404 (New Khasra No. 695/404), Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 7014842808 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:* 6375 410181

81. Partap Singh

Khasra No.- 699/373, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9982618489 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*Handwritten notes:* 9982618489

82. Pashupati Nath Stone Crusher

Khasra No.- 648/374, Village- Randhisar,  
Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9468912725 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

shashi kumar 94689127  
25

83. R.K. Industry

Khasra No.- 738/374, Village- Randhisar,  
Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 7665002435 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

शुद्धि (मोन)  
9799895194

84. Randhisar Stone Crushing Industries

Khasra No.- 319, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9828876095 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

शुद्धि 2141 2014

85. Shree Maa Devi Crushing Industries

Khasra No.- 671/79, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9414956344 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

शुद्धि 2141 2014  
935237823

86. Shri Devi Ind.

Khasra No.- 373, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9982618489 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

शुद्धि 9982618489

87. Shree Balaji Stone Supplier

Khasra No.- 375, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9414086292 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

शुद्धि 2141 2014

88. Shyam Grit Utpadak Co.

Khasra No.- 319, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9414086482 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

96029 82826 9414086599  
1519122

निर्देश

89. Shri ganesh grit ugyog

Khasra No.- 367, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9414437157 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

शुद्धि (निर्देशकर्ता) 9414086482

90. Shri Jagdamba Stone Crusher

Khasra No.- 536/319, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9829758611 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

शुद्धि 9414086482

91. Shri Krishna Stone Dust Udhog

Khasra No.- 938/918, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9550131100, 8696951100 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

शुद्धि 9672699229

92. Shri Maa Veshno Devi Stone Crusher

Khasra No.- 834/833, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9414956344 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

शुद्धि 9116951776

93. Shri Shakti Stone Crushing Industries

Khasra No.- 367, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9799060482 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

शुद्धि 9414086482

94. Uma Grit Udyog

Khasra No.- 376, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9460026404 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

शुद्धि 9799895194

95. Choudhary Infra

Khasra No.- 920/643 and 1098/644, Village- Randhisar,  
Tehsil- Sujangarh, District- Churu  
Contact:- 9950032002 Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

शुद्धि 7357119957

**96. Om Grit Udyog**

Khasra No.- 867/28, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu

Contact:- 9929072810

Email:- [randhisarunion@gmail.com](mailto:randhisarunion@gmail.com)

*[Handwritten signature]*  
9929072810

**NOTICE**

Whereas the above titled Application was listed before the Tribunal on 22.08.2022 (copy of order, petition and Joint Committee Report dated 20.06.2022 are enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

*"Para 23:- Notice alongwith the copies of the application and report of the Joint Committee and documents attached therewith be issued to the Secretary, MoEF & CC, Government of India, State of Rajasthan through Chief Secretary, Government of Rajasthan, District Collector, Churu and 42 mining lessees and 51 stone crushers requiring them to file their response/reply to the allegations made in the application/observations made in the report of the Joint Committee and compliance with consent conditions and environmental norms within one month at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

*Notice be served on the 42 mining lessees and 51 stone crushers through District Collector, Churu and for this purpose notice issued to them be sent to the District Collector, Churu by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard.*

*List the matter for further consideration on 29.09.2022."*

*\*\*\*\*\**

2. Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 29<sup>th</sup> September, 2022, at Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001 through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file replies, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 22.08.2022.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

4. Given under my hand and the seal of this Tribunal, on this 13<sup>th</sup> September, 2022.

Note: (For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website [www.greentribunal.gov.in](http://www.greentribunal.gov.in))

*[Handwritten signature]*  
13/9/2022  
Consultant (Judicial), NGT



राजस्थान सरकार  
कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सुजानगढ़

क्रमांक:- भू.अ./2022/ 3731

दिनांक 13.09.2022

निमित्त:

पटवारी हल्का  
रणधीसर

विषय: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मूल आवेदन संख्या 209/2022 नोटिस  
तामील करवाने बाबत।  
प्रसंग: श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सुजानगढ़ का पत्रांक 3423  
दिनांक 13.09.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सुजानगढ़ से प्राप्त नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मूल आवेदन संख्या 209/2022 के नोटिस की प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त नोटिस को तीन दिवस में तामील करवाकर तामील रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें।

इसे अति आवश्यक समझें।

संलग्न: कुल नोटिस 93।

  
तहसीलदार  
सुजानगढ़

क्रमांक:- भू.अ./2022/ 3732-3734

दिनांक 13.09.2022

प्रतिलिपि:

1. श्री विनोद कुमार, भू-अभिलेख निरीक्षक, छापर को उक्त कार्य की मोनिटॉरिंग करने एवं समयबद्धता से संपादित कराने हेतु प्रेषित।
2. श्री जितेन्द्रकुमार मेघवाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को आवश्यक सहयोग हेतु प्रेषित।
3. श्री कल्याणसिंह, चतुर्थ श्रेणी कार्मिक को आवश्यक सहयोग हेतु प्रेषित।

  
तहसीलदार  
सुजानगढ़

श्रीमानजी

कुमसेखा, 4, 14, 17, 21, 22, 29, 31, 33, 39, 46, 58, यह क्षेत्र 19 दिनांक अब फिलहाल स्थिति का आदमी के सामने एक एक परी मेरिच के यथा कि गी

उपर वाली एकेडमी


श्रीमानजी


कुमसेखा, 4 से 98 तक के - 3093


मेरिच परी कि

आर नामित क्षेत्र के क्षेत्र


  
जमान

  
परवादी

  
जमान

  
पुणे जमान

  
S.M. Z.L.R.

  
जमान

Before the National Green Tribunal, New Delhi  
Original Application No. 209 Of 2022  
Megh Singh VS State of Rajasthan  
Notices Service List

क्र.सं.	नाम मय पता	तामिल की स्थिति	गवाह
1.	M/s Ram Niwas Jat Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 7727993555, 9928715328 Email- randhisarunion@gmail.com	चस्या किया	1.श्री रामचन्द्र पुत्र श्री किशनाराम। 2.श्री तिलोकाराम पुत्र श्री धनाराम।
2.	M/s Mamta Devi Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9549900009 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (पति को)	श्री नरेन्द्र (पति) मोबाईल नं. 9549900009
3.	M/s P G Stone Crushing Industry Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 7665002435 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	श्री प्रभु (मुनिम) मोबाईल नं. 7665002439
4.	M/s Loka Bandu Somani Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9636361199 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	श्री इन्द्र सहु (मुनिम)
5.	M/s Munshi Ram Niku Ram Khasra No. 343, Village- Randhisar, Po.- Dhatri Tehsil- Sujangarh, District- Churu-331505 Contact- 7406859885 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	श्री दीपक अग्रवाल (मुनिम)
6.	M/s Khiya Ram Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 6378854251 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (स्वयं को)	श्री खिंवाराम (स्वयं)
7.	M/s Jhumarmal Khasra No.-634/344 Village- Randhisar, Po.- Dhatri, Via- Parihara, Tehsil- Sujangarh, District- Churu (Raj)-331505 Contact- 9610360022 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	श्री भींवाराम पुत्र श्री श्रवण कुमार मोबाईल नं. 9460007488
8.	M/s Rajendra Panwar S/o Aaidan Village- Randhisar, Po.- Dhatri, Via- Parihara, Tehsil- Sujangarh, District- Churu (Raj)-331505 Contact- 9414402266 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (प्रतिनिधि को)	श्री संजय अग्रवाल (प्रतिनिधि) मोबाईल नं. 9414402070
9.	M/s Shyam grit utpadk company Contact- 9414086599 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई	श्री योगेश मोबाईल नं. 9414086599
10.	M/s Pratap Singh S/o Shankar Singh Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9982618489 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (पुत्र को)	मोबाईल नं. 9982664781
11.	M/s Khatu Shyam Grit Udhyog Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9414402268	चस्या किया	1.श्री धीराराम पुत्र श्री तोलाराम। 2.श्री रामावतार पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण।

	Email- <a href="mailto:randhisarunion@gmail.com">randhisarunion@gmail.com</a>		
12.	M/s Niranjan Sharma Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 6378854251 Email- <a href="mailto:randhisarunion@gmail.com">randhisarunion@gmail.com</a>	तामिल हुई	श्री योगेश मोबाईल नं. 9414086599
13.	M/s Ambika Stone Ballast Suppliers Village- Randhisar, Po.- Dhatri, Via- Parihara, Tehsil- Sujangarh, District- Churu (Raj)-331505 Contact- 9414402070 Email- <a href="mailto:randhisarunion@gmail.com">randhisarunion@gmail.com</a>	तामिल हुई	श्री संजय अग्रवाल मोबाईल नं. 9414402070
14.	M/s Birbal Ram Ganesh Ram Bawri Village- Randhisar, Po.- Dhatri, Via- Parihara, Tehsil- Sujangarh, District- Churu (Raj)-331505 Contact- 8890943142 Email- <a href="mailto:randhisarunion@gmail.com">randhisarunion@gmail.com</a>	चरपा किया	1.श्री हरलाल 2.श्री मंगलचन्द
15.	M/s Banwari Lal Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 6378854251 Email- <a href="mailto:randhisarunion@gmail.com">randhisarunion@gmail.com</a>	तामिल हुई (मुनिम को)	1.श्री नेमाराम (मुनिम) मोबाईल नं. 9928660275 2.श्री किशनाराम (मुनिम)
16.	M/s Megha Ram S/o Sh. Roopa Ram Jat Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9882499834 Email- <a href="mailto:randhisarunion@gmail.com">randhisarunion@gmail.com</a>	तामिल हुई (मुनिम को)	मुनिम
17.	M/s Mangi Lal Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9882499834 Email- <a href="mailto:randhisarunion@gmail.com">randhisarunion@gmail.com</a>	तामिल हुई (मुनिम को)	मुनिम
18.	M/s Inder Chand Golyan-I Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9828369506 Email- <a href="mailto:randhisarunion@gmail.com">randhisarunion@gmail.com</a>	चरपा किया	1.श्री रामावतार पुत्र श्री सत्यनारायण। 2.श्री धीराराम पुत्र श्री दोलाराम।
19.	M/s Inder Chand Golyan-II Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9828369506 Email- <a href="mailto:randhisarunion@gmail.com">randhisarunion@gmail.com</a>	चरपा किया	1.श्री रामावतार पुत्र श्री सत्यनारायण। 2.श्री धीराराम पुत्र श्री दोलाराम।
20.	M/s Surja Ram Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 7568588465 Email- <a href="mailto:randhisarunion@gmail.com">randhisarunion@gmail.com</a>	तामिल हुई (मुनिम को)	मुनिम के मोबाईल नं. 9929295194
21.	M/s Ambika Stone Crushing Industries Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9928614385 Email- <a href="mailto:randhisarunion@gmail.com">randhisarunion@gmail.com</a>	तामिल हुई	श्री रामावतार/ श्री सत्यनारायण।
22.	M/s Jain Stone Crushing Works-II Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9413361814 Email- <a href="mailto:randhisarunion@gmail.com">randhisarunion@gmail.com</a>	तामिल हुई	मोबाईल नं. 6350221573
23.	M/s Yogesh Kumar Sharma Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9414086599	तामिल हुई	श्री योगेश मोबाईल नं. 9414086599

	Email- randhisarunion@gmail.com		
24.	M/s Vinod Kumar Bangarwa Ramdevra Bas Parihara, Churu Contact- 9413361814 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई	मोबाईल नं. 6350221573
25.	M/s Girdhari Lal Meghwal Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9414423723 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (स्वयं भाई)	श्री पुरखाराम (स्वयं भाई) मोबाईल नं. 9001938967
26.	M/s Kishan Singh Gahlot Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9414423523 Email- randhisarunion@gmail.com	चर्या किया	श्री सत्यनारायण मोबाईल नं. 9929895194
27.	M/s Arjun Ram Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 6378854251 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (स्वयं को)	श्री अर्जुनराम (स्वयं)।
28.	M/s Lalit Kumar Verma Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9414085439 Email- randhisarunion@gmail.com	चर्या किया	1.श्री सुरेश/मोरुराम 2.श्री नेमाराम/किशनाराम
29.	M/s Randhisar Stone Crushing Industries Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9828472218 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (स्वयं को)	स्वयं के मोबाईल नं. 9828876095
30.	M/s Churu Labour Contractors Cooperative Ltd. Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9887131922 Email- randhisarunion@gmail.com	चर्या किया	1.श्री सुरेश/मोरुराम 2.श्री नेमाराम/किशनाराम
31.	M/s Shanti Devi W/o Dola Ram Khateek Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9799060482 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (पुत्र को)	श्री धीराराम पुत्र श्री दोलाराम मोबाईल नं. 9414086482
32.	M/s Joga Ram Ragar Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9929895194 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	मोबाईल नं. 9929895194
33.	M/s Shankar Lal S/o Ganesh Ram Village- Randhisar, Po-Dhatri, Via-Parihara, Tehsil- Sujangarh, District- Churu (Raj)-331505 Contact- 9079723750 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई	श्री प्रमुराम मोबाईल नं. 7665002439
34.	M/s Punia Ballast Suppliers ML NO. 74/1978 Ramdevra Bas, Parihara, Churu Contact-9414086308 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई	श्री बिहारीलाल मोबाईल नं. 6350221573
35.	M/s Radheshyam Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9882499834 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	खुद मुनिम
36.	M/s Parki W/o Nopa Ram	चर्या किया	श्री धीराराम पुत्र श्री दोलाराम।

	Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9460845100 Email- randhisarunion@gmail.com		
37.	M/s Hukma Ram Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9882499834 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	खुद मुनिम
38.	Mohan Lal Sharma Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9929895194 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	स्वयं मुनिम मोबाईल नं. 9929895194
39.	M/s Ram Niwas Sharma Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9929895194 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (प्रतिनिधि को)	मोबाईल नं. 9929895194
40.	M/s Shri Jagdamba Stone Crushing Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9799060482 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (खुद मालिक को)	मोबाईल नं. 9414086482
41.	M/s Satya Narayan Poonia Tilak Nagar Jat Hospital ke samne Bikaner Contact- 9413693134 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	खुद मुनिम मोबाईल नं. 6350221573
42.	M/s Bhagirath Mal Agarwal Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9829453036 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	खुद मुनिम मोबाईल नं. 9929895194
43.	Sidhi Vinayak Stone Crusher Pvt. Ltd. Khasra No.-866/28, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9414086482 Email- randhisarunion@gmail.com	चर्या किया	1.श्री देवीलाल 2.श्री सुरेन्द्र सुथार पुत्र श्री पोकर्मल सुथार मोबाईल नं. 9929072810
44.	Angira Stone Khasra No. 924/31, 926/641 Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9462475991 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (स्वयं को)	श्री माणकचन्द (स्वयं) पुत्र श्री बद्रीप्रसाद निवासी सुजानगढ़। मोबाईल नं. 9462475991
45.	Anjani Crusher Udyog Khasra No. 653/404 (New 1022/724) Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9414092733 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई	श्री जयलाल सिंह श्री भागीरथ मोबाईल नं. 9460203900
46.	Annapurna Stone Crusher Khasra No. 640/344, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 8094239366 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	स्वयं मुनिम मोबाईल नं. 8094239366
47.	Annapurna Grit Udyog Khasra No. 6071, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 8607885063 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	1.श्री दीपक अग्रवाल 2.श्री दौलत राम निवासी सुजानगढ़।
48.	Ashirwad Stone Crusher Khasra No. 406 (New 1022/724) Village- Randhisar,	तामिल हुई (मुनिम को)	श्री महेश/श्री सत्यनारायण निवासी छापर।

	Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9414202713 Email- randhisarunion@gmail.com		मोबाईल नं. 9352412210
49.	Amar Grit Udyog Khasra No. 343, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9413361814 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	स्वयं मुनिम मोबाईल नं. 6350221573
50.	Ambey Grit Udyog Khasra No. 634/344, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9460007488 Email- randhisarunion@gmail.com	बन्द मिली	श्री भीवाराम पुत्र श्री श्रवण कुमार (मुनिम)। मोबाईल नं. 9460007488
51.	M/s Maa Durga Stone Crushing Industries Khasra No. 648/374, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 6375416866 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (स्वयं को)	श्री उगम सिंह (स्वयं)। मोबाईल नं. 9829499232
52.	Ashopa Ind Khasra No.-79, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9929895194 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	स्वयं मुनिम मोबाईल नं. 9929895194
53.	Bagri Bajari Udyog Khasra No.-841, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9414632697 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई	श्री रामदयाल पुत्र श्री बालूराम जाट निवासी झूगरास। मोबाईल नं. 8949864057
54.	Bhagwati Stone Crushing Ind Khasra No.-367, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9079478759 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई	श्री महावीर पुत्र श्री लिछमण राम मोबाईल नं. 9636133218
55.	Bagri Stone Crushing Ind Khasra No.-320, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9414632697 Email- randhisarunion@gmail.com	चरपा किया	1.श्री रामदयाल पुत्र श्री बालूराम। 2.श्री देवीलाल।
56.	Bhairav Grit Udyog Khasra No. 639/344, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9983737548 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	श्री भीवाराम (मुनिम) पुत्र श्री श्रवणराम। मोबाईल नं. 9460007488
57.	Bhawani Grit Udyog Khasra No. 376 (New Khasra No. 736/376) Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9414402266 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	1.श्री नंबरलाल। 2.श्री गणेशदास (मुनिम) निवासी राजियासर।
58.	Choudhary Stone Crusher Khasra No.-837/830, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9660173387 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	स्वयं मुनिम
59.	G.S. Stone Crusher Khasra No. 591/348 Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9636361199 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	1.श्री सुरेश कुमार (मुनिम)। 2.श्री चुनीलाल निवासी धातरी। मोबाईल नं. 6376177818
60.	Ganpati Stone Crushing Industries Khasra No. 653/404, Village- Randhisar, Tehsil-	तामिल हुई (स्वयं को)	श्री रमेश कुमार (स्वयं)

	Sujangarh, District- Churu Contact- 9928194501 Email- randhisarunion@gmail.com		
61.	Godara Stone Crusher Khasra No. 751/615, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9784401481 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	स्वयं मुनिम
62.	Gurukripa Stone Crusher Khasra No. 29, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9982618489 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (स्वयं को)	श्री जितेन्द्र सिंह (स्वयं)। मोबाईल नं. 8769363663
63.	Hari Om Grit Udyog Khasra No. 922/919, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9982499834 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	स्वयं मुनिम
64.	Harsawal Stone Crushing Industries Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9414085239 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	श्री देवीलाल (मुनिम) पुत्र श्री लक्ष्मण राम
65.	Jai Shree Ram Industry Khasra No. 321, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 7300330189 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (स्वयं को)	श्री घनश्याम (स्वयं)।
66.	Hari Om Stone Crusher Khasra No. 901/894, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9982499834 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	स्वयं मुनिम।
67.	J.S.C. Works Khasra No. 343, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9413361814 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (स्वयं को)	स्वयं मोबाईल नं. 6350221573
68.	Jai Jagdamba Stone Crushing Industries Khasra No. 344, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9414086482 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मालिक को)	श्री धीराराम (मालिक) पुत्र श्री दोलाराम। मोबाईल नं. 9414086482
69.	Jain Stone Crushing Works Khasra No. 364, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9549900009 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	श्री सुमाष (मुनिम) पुत्र श्री भगवानाराम निवासी जोगलिया। मोबाईल नं. 6376653038
70.	Maruti Mangal Stone Ind. Khasra No. 347, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9602337007 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (पुत्र को)	श्री राजकुमार (पुत्र)।
71.	Keshav Grit Udyog Khasra No. 376 (New Kh No. 706/376), Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9414402266 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	1.श्री भंवरलाल। 2.श्री गणेशदास (मुनिम)। मोबाईल नं. 6378014109
72.	Krishna Naresh Kanhiya Industries Khasra No. 800/790, 827/791, Village- Randhisar,	तामिल हुई (मालिक को)	श्री रामावतार (मालिक) पुत्र श्री सत्यनारायण।

	Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9928614385 Email- randhisarunion@gmail.com		मोबाईल नं. 9928614385
73.	Niranjan Concreet Udyog Khasra No. 536/319, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9414086482 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई	श्री योगेश मोबाईल नं. 9414086599
74.	M/s Hari Om Crusher Udyog (Old-Anjani Stone Crusher) Khasra No. 320 (New Khasra No. 1011/602), Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9982499834 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	स्वयं मुनिम।
75.	Mahalaxmi Crusher Udyog Khasra No. 577/315, (750/577) Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9667533824 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	श्री रामचन्द्र (मुनिम) पुत्र श्री दुलीचन्द्र निवासी खोतडी। मोबाईल नं. 9667533824
76.	Mateshwari Stone Crusher Khasra No. 801/404, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9460845100 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मालिक को)	श्री किशनाराम (मालिक)। मोबाईल नं. 9460845100
77.	R.K. Crushing Udyog Khasra No. 653/404 (New Khasra No. 695/404), Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 7014842808 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	श्री राकेश सिंह (मुनिम)। मोबाईल नं. 6375410181
78.	Partap Singh Khasra No. 699/373, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9982618489 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (पुत्र को)	स्वयं पुत्र। मोबाईल नं. 9982964781
79.	Pashupati Nath Stone Crusher Khasra No. 648/374, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9468912725 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (स्वयं को)	श्री शशि कुमार (स्वयं)। मोबाईल नं. 9468912725
80.	R.K. Industry Khasra No. 738/374, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 7665002435 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	स्वयं मुनिम। मोबाईल नं. 9799895194
81.	Randhisar Stone Crushing Industries Khasra No. 319, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9828876095 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (स्वयं को)	स्वयं।
82.	Shree Maa Devi Crushing Industries Khasra No. 671/79, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9414956344 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	श्री सत्यनारायण पाशोक (मुनिम)। मोबाईल नं. 9352397823
83.	Shri Devi Ind. Khasra No. 373, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9982618489	तामिल हुई (पुत्र को)	स्वयं पुत्र। मोबाईल नं. 9982964781

	Email- randhisarunion@gmail.com		
84.	Shri Balaji Stone Supplier Khasra No. 375, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9414086292 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई	श्री गोपाल राम पुत्र श्री टिकुराम। मोबाईल नं. 9602982826
85.	Shyam Grit Utpadak Co. Khasra No. 319, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9414086482 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई	श्री योगेश। मोबाईल नं. 9414086599
86.	Shri ganesh grit ugyog Khasra No. 367, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9414437157 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई	श्री तिलोकाराम मेघवाल।
87.	Shri Jagdamba Stone Crusher Khasra No. 536/319, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9829758611 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मालिक को)	श्री धीराराम (मालिक) पुत्र श्री दोलाराम। मोबाईल नं. 9414086482
88.	Shri Krishna Stone Dust Udhog Khasra No. 938/918, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9550131100 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	श्री मनोज (मुनिम) पुत्र श्री कालूराम। मोबाईल नं. 9672699229
89.	Shri Maa Veshno Devi Stone Crusher Khasra No. 834/833, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9414956344 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई	श्री गजानन्द पुत्र श्री गोविन्द राम। मोबाईल नं. 9116915170
90.	Shri Shakti Stone Crushing Industries Khasra No. 367, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9799060482 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मालिक को)	श्री धीराराम (मालिक) पुत्र श्री दोलाराम निवासी रणधीसर। मोबाईल नं. 9414086482
91.	Uma Grit Udyog Khasra No. 376, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9460026404 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई (मुनिम को)	स्वयं मुनिम। मोबाईल नं. 9799895194
92.	Choudhary Infra Khasra No. 920/643, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9950032002 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई	श्री मनोज पुत्र श्री परमेश्वरलाल जाट निवासी रणधीसर। मोबाईल नं. 7357111957
93.	Om Grit Udyog Khasra No. 867/28, Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh, District- Churu Contact- 9929072810 Email- randhisarunion@gmail.com	तामिल हुई	श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री पोकर राम सुथार निवासी बीदासर। मोबाईल नं. 9929072810